तृतीय माला, खंड 54, अंक 41 सोमवार, 18 अप्रेल, 1966/28 चैत्र, 1888 (शक)
Third Series, Vol. LIV, No. 41 Monday, April 18, 1966/Chaitra 28, 1888 (Saka)

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF

## 3rd
## LOK SABHA DEBATES

---

[ चौदहवां सत्र ]

**Fourteenth Session**

सत्यमेव जयते

Preservation
Fumigated
Parliament Library

[ खंड 54 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. LIV contains Nos. 41 to 50 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

# विषय-सूची/CONTENTS

अंक 41—सोमवार, 18 अप्रैल, 1966/28 चैत्र, 1888 (शक)

*No.* 41—*Monday, April* 18, 1966/*Chaitra* 28, 1888 (*Saka*)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| *ता० प्र० संख्या<br>*S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ<br>Pages |
|---|---|---|---|
| 1158 | कमिशन्ड रैंकों में महिलाओं की भर्ती | Recruitment of Women in Commissioned Ranks . . . | 6745–46 |
| 1159 | सुरक्षा परिषद के संकल्प की क्रियान्विति | Implementation of Security Council's Resolution . . . | 6746–49 |
| 1160 | भारत-पाकिस्तान संघर्ष में वीरगति को प्राप्त जवानों के बच्चों के लिये शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें | Educational Facilities to Children of Jawans killed in Indo-Pak. Conflict . . . | 6749–53 |
| 1161 | यकर्ता स्थित भारतीय दूतावास तथा एयर इंडिया के कार्यालय को हुई क्षति | Damage to Indian Embassy and Air India Office in Jakarta . | 6753–55 |
| 1162 | आसाम में पाकिस्तान द्वारा कब्जे में लिये गये क्षेत्र | Areas occupied by Pakistan in Assam . . . . . | 6755–57 |
| 1163 | संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिये भारत का नाम पेश किया जाना | Indian Candidature for U.N. Security Council . . . | 6757–60 |
| 1164 | पूर्वी पाकिस्तान में रामकृष्ण मिशन | Ramakrishna Missions in East Pakistan . . . . | 6760–61 |
| अ० सू० प्र० संख्या<br>S. N. Q. No. | | | |
| 20 | दिल्ली के मस्जिद मोट क्षेत्र में अनधिकृत मकानों का गिराया जाना | Demolition of Unauthorised houses in Masjid Moth Area, Delhi . | 6761–65 |


## प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS


| ता० प्र० संख्या<br>S. Q. Nos. | | | |
|---|---|---|---|
| 1157 | राष्ट्रीय रक्षा कोष | National Defence Fund . . | 6765 |
| 1165 | सूचना के माध्यमों और प्रचार कार्य में सुधार करना | Stream-lining of Information Media and Publicity . . | 6765 |
| 1166 | आकाशवाणी की आयव्ययक सम्बन्धी फाइल | A.I.R. Budget File . . . | 6766 |
| 1167 | विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में पुस्तकालयाध्यक्ष (लाइब्रेरियन) | Librarians in Indian Embassies Abroad . . . . | 6767 |


*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Members indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.



1—57 L. S./66

| ता॰ प्र॰ संख्या S. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 1168 | पोस्टरों में राष्ट्रीय झंडा चित्रित किया जाना | Depicting of National Flag in Posters . . . . | 6767 |
| 1169 | भारत-चीन सीमा विवादों का निपटाया जाना | Settlement of Indo-China Border Disputes . . . . | 6767–68 |
| 1170 | नागालैंड में सैनिक कार्यवाही रोक देना | Suspension of Operations in Nagaland . . . | 6768 |
| 1171 | चीन में निर्मित हथियारों का पाकिस्तान द्वारा प्रदर्शन | Display of Chinese-built Arms by Pakistan . . . . | 6768–69 |
| 1172 | ढाका में मिजो लोगों का मुख्यालय | Headquarters of Mizos in Dacca. | 6769 |
| 1173 | हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर में लाभानुसार (प्रोफिट शेयरिंग ) बोनस | Profit Sharing Bonus in H.A.L., Bangalore . . . | 6769–70 |
| 1175 | विदेशों में भारतीयों के लिये गुजराती भाषा में प्रसारण | Gujarati Broadcast for Overseas Indians . . . . | 6770 |
| 1176 | चीन की वायुसेना और नौसेना की शक्ति | Chinese Air and Naval Strength | 6770 |
| 1177 | हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में हड़ताल | Strike in Hindustan Aeronautics Ltd. . . . . . | 6770–71 |
| 1178 | ग्राम्य क्षेत्रों में रेडियो | Radios in Rural Areas . . | 6771 |
| 1179 | पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आने वाले शरणार्थी | Refugees coming to India from East Pakistan . . . | 6771–72 |
| 1180 | पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द घोषणा का उल्लंघन | Violation of Tashkent Declaration by Pakistan . . | 6772 |
| 1181 | अमरीका द्वारा पाकिस्तान को घातक हथियारों के पुर्जों का दिया जाना | Supply of Spares for Lethal Weapons to Pakistan by U.S.A. . | 6772 |
| 1182 | रोडेशिया | Rhodesia . . . . . . | 6772–73 |
| 1183 | पूर्वी पाकिस्तान-पश्चिम बंगाल सीमा का खोला जाना | Opening of East Pakistan-West Bengal Border . . . | 6773 |
| 1184 | नागाओं और बर्मा की सशस्त्र सेना के बीच मुठभेड़ | Clashes between Nagas and Burmese Armed Forces . . | 6773–74 |
| 1185 | "न्यूयार्क हैराल्ड" में अमरीकी सहायता के बारे में समाचार | Report in 'New York Herald' about U.S. Aid . . . | 6774 |
| 1186 | हुसेनीवाला सीमा का बन्द किया जाना | Sealing of Hussainiwala Border . | 6774 |

| तारांकित प्र० संख्या U. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 3811 | संयुक्त अरबगणराज्य के उप-प्रधान मंत्री की भारत यात्रा | Visit of Deputy Prime Minister of U.A.R. . . . . | 6775 |
| 3812 | उड़ीसा में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिये रेडियो सेट | Radio Sets for Community Development Projects in Orissa . | 6775 |
| 3813 | वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के भूतपूर्व उपमंत्री के विदेशों में दौरे | Former Deputy Minister of External Affairs Visits Abroad . | 6775 |
| 3814 | प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अनिवाय बीमा योजना | Compulsory Insurance Scheme for Defence Personnel . . . | 6776 |
| 3815 | डाक्टर तथा नर्सों की सशस्त्र सेनाओं के लिय अनिवार्य भर्ती | Conscription of Doctors and Nurses for Armed Forces . . . | 6776 |
| 3816 | सिंकियांग में मुसलमान | Muslims in Sinkiang. . | 6776–77 |
| 3817 | अणु विस्फोटों का पता लगाना | Detection of Atomic Explosions . | 6777 |
| 3818 | नेपाल की पुलिस द्वारा मारे गये भारतीय लोग | Indians killed by Nepal Police . | 6777 |
| 3819 | एक विदेशी दूतावास द्वारा सामरिक महत्व के नक्शों की कथित प्राप्ति | Alleged Procurement of Strategic Maps by a Foreign Embassy . | 6778 |
| 3821 | समाचारपत्रों के मूल्यों में वृद्धि | Increase in Prices of Newspapers . | 6778 |
| 3822 | कन्टीन स्टोअर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को बोनस | Bonus to Employees in Canteen Stores Department . . | 6778–79 |
| 3823 | सोवियत संघ से हेलीकोप्टर | Helicopters from U.S.S.R. . . | 6779 |
| 3824 | अमरीकी नौसेना के विध्वंसक जहाज (डस्ट्रायर्ज) | U.S. Navy Destroyers . | 6779 |
| 3825 | टेलिविजन सेवा का विस्तार | T. V. Expansion | 6779–80 |
| 3826 | सैनिक स्कूल | Sainik Schools . . . | 6780 |
| 3827 | प्रेस एसोशियेशन द्वारा प्रधान मंत्री का स्वागत | Press Association's Reception to P.M. . . . . | 6780 |
| 3828 | टस्कर संगठन के विरुद्ध जांच | Enquiry Against Tusker Organisation . . . . . | 6780–81 |
| 3829 | विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में लाइब्रेरियन के पद पर गैर-भारतीय लोग | Non-Indians as Librarians in Indian Embassies Abroad . | 6781 |
| 3830 | थुम्बा स्थित भूमध्यवर्ती राकेट छोड़ने का केन्द्र | Thumba Equatorial Rocket-Launching Station . . | 6782 |
| 3831 | सेन्ट्रल आर्डनेन्स डिपो/वैहिकल डिपो, दिल्ली केन्ट | C.O.D./Vehicle Depot Delhi Cantt. | 6782 |

| अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3832 | सेना की जीप गाड़ियां और ट्रक | Military Jeeps and Trucks | 6782–83 |
| 3833 | प्रधान मंत्री द्वारा गणराज्य दिवस पर दिये गये भाषण का छापा जाना | Printing of Republic Day Speech of Prime Minister | 6783 |
| 3834 | पूर्वी यूरोपीय देशों से प्रतिरक्षा सम्बन्धी उपकरण | Defence Equipment from East European Countries | 6784 |
| 3835 | सिनेमा फिल्मों में दलों के झंडों का प्रदर्शन | Display of Party Flags in Cinema Films | 6784 |
| 3837 | सशस्त्र सेनाओं के मैस के असैनिक कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते | Pay and Allowances of Civilians in Armed Forces Messes | 6784–85 |
| 3838 | राजस्थान में यूरेनियम | Uranium in Rajasthan | 6785 |
| 3839 | नौसेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना | Navy Plane Crash | 6785–86 |
| 3840 | सामुदायिक रेडियो | Community Listening Sets | 6786 |
| 3841 | लखनऊ और वाराणसी में ट्रांसमिटर | Transmitters at Lucknow and Varanasi | 6786 |
| 3842 | जम्मू तथा इम्फाल के लिये ट्रांसमिटर | Transmitters for Jammu and Imphal | 6787 |
| 3843 | तुलीहाल हवाई अड्डा | Tulihal Airfield | 6787 |
| 3844 | यूरेनियम अयस्क मिल | Uranium Ore Mill | 6787–88 |
| 3845 | भुवनेश्वर में सैनिक स्कूल | Sainik School at Bhubaneshwar | 6788 |
| 3846 | आकाशवाणी के कटक और सम्बलपुर केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्ट | Staff Artistes of A.I.R., Cutattak and Sambalpur | 6788 |
| 3847 | भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान हवाई अड्डों को क्षति | Damage to Air Ports during Indo-Pak. Conflict | 6788–89 |
| 3848 | सूचना अधिकारी | Information Officers | 6789 |
| 3849 | छोटे समाचार पत्र | Small Newspapers | 6789 |
| 3850 | उत्तर प्रदेश में एनकार्डीओनाइट इलेट्रोनिक कारखाना | Encardionite Electronic Factory in U.P. | 6790 |
| 3852 | एच० एफ०-24 जेट विमानों का निर्माण | Production of HF-24 Jets | 6790 |
| 3854 | परमाणु बिजली घर | Atomic Power Stations | 6790–91 |
| 3855 | परमाणु शक्ति आयोग के प्रधान | Chairman, Atomic Energy Commission | 6791 |
| **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—** | | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance— | |
| | पूर्वी पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय सीमा पुलिस के एक गस्ती दस्ते पर हमला | Attack on Indian Border Police Patrol by East Pakistani | 6791–96 |
| **ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)** | | Re : Calling Attention Notice (Query) | 6797 |
| **सभा पटल पर रखे गये पत्र** | | Papers laid on the Table | 6797–98 |

| विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|
| सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति | Leave of Absence of Members from Sittings of the House | 6798–6800 |
| आधे घंटे की चर्चा का स्थगन | Postponement of Half-an-hour Discussion | 6800 |
| लोक लेखा समिति— | Public Accounts Committee— | |
| अड़तालीसवां प्रतिवेदन | Forty-Eight Report | 6800 |
| दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक— | Delhi High Court Bill— | |
| (1) प्रवर समिति का प्रतिवेदन और | (i) Report of Select Committee; and | 6801 |
| (2) साक्ष्य | (ii) Evidence | 6801 |
| याचिका का उपस्थापन—खाद्य तथा कृषि के लिये बजट आवंटनों के बारे में | Petition Re: Budget Allocations for Food and Agriculture | 6801 |
| पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बारे में वक्तव्य— | Statement Re : Reorganisation of Punjab State— | |
| श्री नन्दा | Shri Nanda | 6801–02 |
| गुजरात के पंजमहल जिले में आदिवासियों पर गोली चलाये जाने के वक्तव्य बारे में | Re : Statement about Firing on Adivasis in Panchamahal District of Gujarat | 6805 |
| अनुदानों की मांगें— | Demands for Grants— | |
| श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय— | Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation— | |
| श्री दे० शि० पाटिल | Shri D. S. Patil | 6805–06 |
| श्रीमती सुभद्रा जोशी | Shrimati Subhadra Joshi | 6806–07 |
| श्री हुकम चन्द कछवाय | Shri Hukam Chand Kachhavaiya | 6807–08 |
| श्री श्यामलाल सर्राफ | Shri Sham Lal Saraf | 6808 |
| श्री प्रिय गुप्त | Shri Priya Gupta | 6809 |
| श्री अ० प्र० शर्मा | Shri A. P. Sharma | 6809–10 |
| श्री म० प० स्वामी | Shri M. P. Swamy | 6810 |
| श्री गौरी शंकर कक्कड | Shri Gauri Shankar Kakkar | 6811 |
| डा० मेलकोटे | Dr. Melkote | 6811–12 |
| श्री तुलसीदास जाधव | Shri Tulsidas Jadhav | 6812 |
| श्री अ० व० राघवन | Shri A. V. Raghavan | 6812 |
| श्री वाल्मीकी | Shri Balmiki | 6812–13 |
| श्रीमती रेणुका बडकटकी | Shrimati Renuka Barkataki | 6813–14 |
| श्री ह० प० चटर्जी | Shri H. P. Chatterjee | 6814–15 |

| विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|
| श्री मं० रं० कृष्ण | Shri M. R. Krishna . . | 6815–16 |
| श्री अ० ना० विद्यालंकार | Shri A. N. Vidyalankar . | 6816–17 |
| श्री मोहसिन | Shri Mohsin . . . | 6817–18 |
| श्री मुहम्मद ताहिर | Shri Mohammad Tahir . | 6818 |
| श्रीमती रेणु चक्रवर्ती | Shrimati Renu Chakravartty | 6818–19 |
| श्री ब० कु० दास | Shri B. K. Das . . . | 6819–20 |
| श्री न० प्र० यादव | Shri N. P. Yadab . . | 6820 |
| श्री दी० चं० शर्मा | Shri D. C. Sharma . . | 6820–21 |

# लोक-सभा
# LOK SABHA

**सोमवार, 18 अप्रैल, 1966/28 चैत्र, 1888 (शक)**

Monday, April 18, 1966/Chaitra 28, 1888 (Saka)

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।**

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.*

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### Recruitment of Women in Commissioned Ranks

***1158. Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a scheme has been formulated to recruit women to the commissioned ranks ; and

(b) if so, the nature of the defence work to be entrusted to them ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी नहीं । तदपि महिलाएं सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सा सेवाओं में कमीशन प्राप्त अफसरों के तौर पर नियुक्ति की अधिकारिणी हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या उन्हें अग्रिम क्षेत्रों में तैनात किया जाता है या पीछे रखा जाता है ?

**श्री अ० म० थामस :** यद्यपि, उन्हें सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सा सेवाओं के लिये लिया जाता हैं, किन्तु फिर भी आम धारणा यह होती है कि उन्हें अग्रिम क्षेत्रों में तैनात नहीं किया जायेगा ।

**श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या ऐसी कोई शर्त है कि सेवाकाल में विवाह नहीं करेंगी ?

**श्री अ० म० थामस :** मै नहीं समझता कि ऐसी कोई शर्त है ।

**श्री भागवत झा आजाद :** क्या कमीशन प्राप्त महिलाओं ने अग्रिम क्षेत्रों में जाने की पेशकश की है, और यदि हां, तो वे कितने प्रतिशत हैं अथवा क्या उनको अग्रिम क्षेत्रों में भेजने में नियम बाधा डालते हैं और इसलिये उन्होंने पेशकश नहीं की है ?

**श्री अ० म० थामस :** प्रश्न का संबंध सशस्त्र सेनाओं में आम भर्ती से है । जैसा कि मैंने बताया चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर उनको नहीं लिया जाता है । चिकित्सा सेवाओं में भी उन्हें वास्तव में अग्रिम क्षेत्रों में नहीं भेजा जाता है, उन्हें विभिन्न सैनिक अस्पतालों में काम करना पड़ता है, परन्तु उन्हें अग्रिम क्षेत्रों में काम करने के लिये नहीं कहा जाता ; और मैं नहीं समझता कि अग्रिम क्षेत्रों में जाने के लिये कोई स्वेच्छा से पेशकश की गई है ।

**Shri M. L. Dwivedi :** The history tells us that women have fought valiantly in forward areas just as Rani of Jhansi did. In view of this, may I know whether women are not sent to forward areas because the hon. Minister underestimates their bravery or whether there are some other reasons and what are those ?

**श्री अ० म० थामस :** यह बहादुरी का प्रश्न नहीं है। उनका सामान्य काम वही है जो डाक्टरों का है। अन्तर केवल इतना ही है कि उनको युद्ध क्षेत्रों में नहीं भेजा जाता। माननीय सदस्य भी इस बात को मानेंगे कि यह वांछनीय है कि उन्हें अग्रिम क्षेत्रों में न भेजा जाये।

**श्री वी० चं० शर्मा :** संसार की कुछ महिलाओं ने आसूचना और जासूसी के क्षेत्र में बहुत सराहनीय काम किया है। क्या भारतीय महिलाएं इस कार्य को देश तथा विदेशों में करने के लिये पर्याप्त रूप से सक्षम हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** जासूसी तथा आसूचना का प्रश्न बिल्कुल अलग है।

## सुरक्षा परिषद के संकल्प की क्रियान्विति

+

*1159. **श्री किशन पटनायक :**

**श्री मधु लिमये :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारतीय प्रतिनिधि ने कभी यह कहा है कि यदि सुरक्षा परिषद् के 20 सितम्बर, 1965 के संकल्प में अवेक्षित कार्यवाही के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो भारत उसे पूरी तरह से क्रियान्वित करेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**Shri Kishan Pattnayak :** Have the Government made any assessment to find out whether Tashkent Declaration is a better arrangement than the Security Council's Resolution in any respect ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** ताशकन्द घोषणा, जिसपर कि भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा सहमति प्रकट की गई थी, सुरक्षा परिषद् के बाहर सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक प्रयत्न था और उस दृष्टि से न केवल सेनाओं को पीछे हटाने के संबंध में ही, अपितु अन्य स्थितियों के बारे में भी, जिनको मैंने समय समय पर इस सभा के सामने विचार के लिये प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से एक बेहतर व्यवस्था है ; इसकी व्यवस्था सुरक्षा परिषद् के संकल्प से कहीं अच्छी है।

**Shri Kishen Pattnayak** : I want to know whether in the matter of implementation of the Tashkent Declaration it is a better arrangement than the Security Council's Resolution ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** यह ठीक है कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी नेता समय समय पर ऐसे वक्तव्य देते रहे हैं जो ताशकन्द समझौते की भावना के प्रतिकूल हैं। इनमें से कुछ वक्तव्य तो इस समझौते के उपबन्धों के विरुद्ध हैं परन्तु यहां प्रश्न सुरक्षा परिषद् के संकल्प और ताशकंद समझौता के तुलनात्मक महत्व का है ; एक का उल्लंघन हो सकता है और दूसरे का भी उल्लंघन हो सकता है।

**श्री नाथ पाई :** मैं मंत्री महोदय का ध्यान सुरक्षा परिषद के संकल्प की कंडिका चार की ओर दिलाना चाहता हूं, जो इस प्रश्न का विषय है। इस संकल्प में संघर्ष की तह में समस्या का राजनीतिक हल ढूंढने का प्रयत्न किया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि आज इस कंडिका के बारे में सरकार का क्या रवैया है? स्वर्गीय श्री शास्त्रीने 16 सितम्बर, 1965 को सभा में इस आशय का स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि हम भारत की अखण्डता को बनाये रखने के लिये पूर्णत: तैयार हैं और जम्मू और काश्मीर राज्य भारत का एक अविभाज्य अंग है। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। अब जबकि अन्य भागोंको क्रियान्वित कर दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री भुट्टो इस मामले को सुरक्षा परिषद् में ले जाने की धमकी दे रहे हैं, सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी?

**श्री स्वर्ण सिंह :** पहले तो मैं इस धारणा को दूर कर देना चाहता हूं कि प्रश्न का संबंध सुरक्षा परिषद् के 20 सितम्बर, 1965 के संकल्प की कंडिका 4 से है। मुख्य प्रश्न सुरक्षा परिषद् के 20 सितम्बर के सम्पूर्ण संकल्प के संबंध में है।

**श्री नाथ पाई :** परन्तु कंडिका 4 उस संकल्प का ही अंग है।

**श्री स्वर्ण सिंह :** मैं यह नहीं कहता कि यह इसका अंग नहीं है। मुख्य प्रश्न सम्पूर्ण संकल्प से संबंधित है। श्री नाथ पाई के प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि सुरक्षा परिषद् के 20 सितम्बर के संकल्प की कंडिका 4 पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जम्मू तथा काश्मीर के प्रश्न पर भारत की स्थिति की पुन: घोषणा की थी। भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट है कि जम्मू और काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और ताशकन्द में प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसकी घोषणा की थी और तबसे भारत सरकार की इस नीति में कोई अन्तर नहीं आया है और हम इस पर दृढ़ हैं। सुरक्षा परिषद् का संकल्प यह है कि सुरक्षा परिषद इस बात पर विचार करेगी कि आगे और क्या कदम उठाये जायें। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा किसी अन्य संगठन द्वारा सुझाये गये ऐसे किसी कदम के संबंध में हमारा उत्तर यह होगा कि जम्मू और काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है।

**श्री श्रीनारायण दास :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान सरकार यह संकेत देती रही है कि वह इस मामले को सुरक्षा परिषद में ले जायेगी, क्या सरकारने इस विषय पर सुरक्षा परिषद् के सदस्यों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने का विचार किया है और यदि हां, तो अब जो मत व्यक्त किये गये हैं वे क्या हैं?

**श्री स्वर्ण सिंह :** हमने सुरक्षा परिषद के सदस्यों का मत इस बारे में जानने का प्रयत्न नहीं किया है कि यदि पाकिस्तान इस मामले को सुरक्षा परिषद में ले आया तो उसपर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जब तक सुरक्षा परिषद् के सदस्यों के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्तुत न रखा जाय, वे सामान्यत: कोई मत व्यक्त नहीं करते, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि यदि सुरक्षा परिषद् के समक्ष किसी मामले से संबंधित कोई दल एक अनौपचारिक बैठक की मांग करे तो सुरक्षा परिषद् के सदस्य अपनी राय दे सकते हैं कि सुरक्षा परिषद में उस प्रश्न पर चर्चा करने के लिये कोई विशिष्ट समय उपयुक्त है या नहीं; परन्तु यदि कोई पक्ष मामले को सुरक्षा परिषद में लाने के लिये बहुत ही इच्छुक है तो सामान्यत: उस पर चर्चा करने से इन्कार नहीं किया जाता।

**श्री कपूर सिंह :** क्या हमारी स्थिति अब भी वही है कि यदि पाकिस्तान सुरक्षा परिषद के वर्ष 1948 के मूल संकल्प का पालन करता है तो और पाक अधिकृत काश्मीर के सभी क्षेत्रों से पीछे हट जाता है तो क्या हम जनमत संग्रह के संबंध में उस संकल्प में रखी गई शर्तों को मानने के लिये तैयार हैं?

**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं समझता हूं कि सुरक्षा परिषद् में तथा उसके बाहर भारत सरकार के प्रतिधियों द्वारा यह स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी गई है। 1948 का संकल्प कई बातों पर आधारित था और पाकिस्तान द्वारा उन बातों का पालन नहीं किया गया है। इस लिये उनके बाद में जो बातें हुई हैं उनका प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि ताशकन्द घोषणा का उद्देश्य यह है कि हमारी सभी समस्याओं का फैसला सुरक्षा परिषद के बाहर किया जायेगा? यदि ऐसी बात है और यदि पाकिस्तान इस काश्मीर के झगडे के संबंध में सुरक्षा परिषद में जाने की बात सोचता है तो क्या मैं यह समझूं कि ताशकन्द करार समाप्त हो जायेगा?

**श्री स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य का सुझाव बिल्कुल सही है कि ताशकन्द घोषणा की पहली शर्त यह है कि दोनों देश अपने सभी विवादों तथा मतभेदों को शांतिपूर्वक तथा आपसी बातचीत द्वारा निपटायेंगे। यदि पाकिस्तान सुरक्षा परिषद् में जाने की बात सोचता है तो मैं समझता हूं कि यही बहुत अच्छा उत्तर होगा।

**श्री नाथ पाई** : क्या माननीय मंत्री इस बात को स्वीकार करते है कि ताशकन्द करार का अन्त हो गया है।

**श्री स्वर्ण सिंह** : ताशन्कद घोषणा का पाकिस्तान द्वारा एक पक्षीय रूप से निराकरण नहीं किया जा सकता।

**श्री हेम बरुआ** : 20 सितम्बर के संकल्प के पांच भाग हैं। चौथे भाग में राजनीतिक मामलों की चर्चा की व्यवस्था है, जिसका श्री नाथ पाई ने उल्लेख किया है। क्या भारत सरकारने 20 सितम्बर, के इस संकल्प को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है? यदि इसको पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या इसमें काश्मीर का मामला नहीं आ जाता? यदि इसमें काश्मीर का मामला आ जाता है और यदि सरकार संकल्प के उस भाग को भी क्रियान्वित करने जा रही है तो क्या यह ताशकन्द घोषणा के प्रतिकूल नहीं है?

**श्री स्वर्ण सिंह** : हमने यह कभी नहीं कहा है कि हमने संकल्प को पूर्णत: स्वीकार कर लिया है। दूसरे, यह कहा जाता है कि भाग चार में वर्तमान विवाद की राजनीतिक समस्याओं के निपटाने का उपबन्ध है। हमने इसको कभी स्वीकार नहीं किया है। जम्मू और काश्मीर के संबंध में मैंने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है।

**श्री हेम बरुआ** : संकल्प पूर्णत: स्वीकार किया जाता है, अंशत: नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी ने कहा है कि पूर्णत: स्वीकार नहीं किया गया।

**श्री प्र० चं० बरूआ** : केवल काश्मीर ही नहीं अपितु सिलायकोट और आसाम जैसे अन्य क्षेत्रों में जिन प्रदेशों पर पाकिस्तान का अनधिकृत कब्जा है उनको वापस लेने के लिये और क्या उपाय सोचे गये हैं?

**श्री स्वर्ण सिंह** : ताशकन्द घोषणा के अनुसार दोनों देशों ने अपने मतभेदों को शांतिपूर्वक तथा आपसी बातचीत के द्वारा हल करने का निश्चय किया है।

**Dr. Ram Manohar Lohia** : What is the area of those lands which according to 1948 Agreement were under the occupation of India and for whose transfer to Pakistan the External Affairs' Minister had to give his consent?

**श्री स्वर्ण सिंह :** क्योंकि यह एक ब्यौरे का मामला है, अतः मुझे इसके लिये पूर्व सूचना मिलनी चाहिये ।

**श्री श्यामलाल सर्राफ :** वैदेशिक-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को देखते हुए यह स्पष्ट है कि ताशकन्द घोषणा को सुरक्षा परिषद के 20 अगस्त के संकल्प पर प्राथमिकता मिल गई है, और बाद में सुरक्षा परिषद के महा सचिव ने इस घोषणा को मान्यता दी है। अतः ताशकन्द घोषणा स्थायी है, परन्तु जहां तक संकल्प का संबंध है हम इसको समाप्त हो गया मानते हैं ।

**श्री स्वर्ण सिंह :** मैं यह नहीं कह सकता कि सुरक्षा परिषद् के संकल्प का अन्त हो चुका है। मैं इस बात से सहमत हूं कि ताशकन्द घोषणा एक द्विपक्षीय करार है जिसको भारत और पाकिस्तान दोनों देश मानते हैं और इसलिये यह दोनों देशों पर लागू है।

**श्री त्यागी :** माननीय मंत्री ने कई बार इस बात को दोहराया है कि जम्मू और काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जब वह जम्मू और काश्मीर कहते हैं तो क्या इसमें काश्मीर का वह भाग भी शामिल है जिस पर पाकिस्तान का अनधिकृत कब्जा है और यदि हां, तो क्या उस प्रदेश को वापस लेने के लिये पाकिस्तान से बातचीत करने का मंत्री जी का इरादा है ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** जम्मू और काश्मीर राज्य में उस राज्य का वह भाग भी शामिल है जिस-पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और किसी भी बातचीत में निश्चय ही हमारा यही रवैया रहेगा ।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** माननीय मंत्री द्वारा स्वीकार की गई इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि पाकिस्तान ताशकन्द करार के विशिष्ट उपबन्धों का भी उल्लंघन कर रहा है और पाकिस्तान के नेता लड़ाई की बातें करते हैं, क्या सरकार रूस को और विशेष रूप से श्री कोसिजिन को पाकिस्तान की इस प्रवृत्ति से अवगत कराने का विचार करती है, क्योंकि वह इस करार के साक्षी थे और उनके ही प्रयत्नों से यह करार हो पाया था ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** ताशकन्द घोषणा के उल्लंघन के संबंध में हम पाकिस्तान सरकार को बताते रहे हैं । हम रूस सरकार को भी इसकी जानकारी देते रहते है । परन्तु हमने रूस सरकार या श्री कोसिजिन को मध्यस्थता का कोई सुझाव नहीं दिया है क्योंकि यह एक द्विपक्षीय करार है । इसलिये हमें आपसी बातचीत से ही अपने मतभेदों को दूर करना चाहिये और अन्य पक्षों को बीच में नहीं लाना चाहिये ।

**Shri Yashpal Singh :** In view of Mr. Bhutto's statement that Pakistan has given no such commitment that she would not resort to war unless Kashmir problem is solved and in view of Mr. Ayub's statement that the ways of the war and the negotiation both are open to them and also in view of the fact that a Calling Attention Notice has been allowed in Lok Sabha regarding reported firing by Pakistan on our police squads, may I know whether this resolution of the Security Council applies to our Country only or it appllies to both ?

**Shri Swaran Singh :** To both the countries. Both should respect it.

## Educational Facilities to Children of Jawans Killed in Indo-Pak Conflict

*1160. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) Whether Government have decided to provide free education, scholarships and books to the children of those who have laid down their lives during the recent Indo-Pak conflict in schools, colleges and *Gurukuls* ;

(b) if so, the number of families of soldiers who have been provided with such assistance and the total amount spent thereon; and

(c) if the reply to part (a) above be in negative, the reasons therefor ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय मे राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है आवश्यक सुचना "संक्रियाओं इत्यादी में मारे गये रक्षा सेवाओं के सेविवर्ग के कुटुम्बों को देय पेन्शनी तथा अन्य लाभ" नाम की पुस्तिका के चौथे भाग के पैरा 23 में दिए गए हैं जो हाल ही में सभी संसद सदस्यों में बांटी गई हैं। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है सूचना 21 मार्च 1966 को उत्तर दिये गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2477 के भाग (क) के उत्तर में सभा के पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Will the Ministry of Defence advise the Ministry of Education to get the names of such deceased jawans from that Ministry and ask their families about the kind of scholarships that they want to have for their children and that Ministry should also write to the district authorities so that quick action may be taken in this matter ?

**श्री अ० म० थामस :** इस सम्बन्ध में हमारे लिये यह आवश्यक नहीं है कि हम शिक्षा मंत्रालय से सम्पर्क रखें। नामावलि हमारे पास हैं। जहां तक रियायतें तथा अन्य बातों का सम्बन्ध है, वह लगभग स्वयंपूर्ण दस्तावेज है, जो सभी संसद सदस्यों को भज दिया गया है। उसमें सभी आवश्यक सूचना दी गई है। जहां तक राज्य सरकारों का प्रश्न है, स्वयं माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में 21 मार्च को सूचना दे दी गई थी। वह 33 पृष्ठों का विवरण है और उसमें सभी सम्बद्ध सूचना मौजूद है।

**Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Will the Ministry of Defence ask a military officer of the Army Headquarters to take the list of the deceased jawans so that efforts to render help to the families of the deceased jawans can be expedited?

**श्री अ० म० थामस :** हमारे पास वीरगति प्राप्त जवानों की सूची है। हमारे पास अन्य सम्बध्द जानकारी भी है। उसके लिये हमारे पास आवश्यक व्यवस्था है और हम उसके लिये एन० सी० सी० का भी उपयोग करत हैं। जहां तक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का जैसे छात्रवृत्ति, फीस में रियायत इत्यादि का सम्बन्ध है, वरिष्ठ अधिकारियों के बच्चों को "पब्लिक स्कूलों" में तथा सैनिक स्कूलों तथा उन स्कूलों में जिनको पहले किंग जार्ज स्कूल कहा जाता था, दाखिला दिलाया जाता है। अन्य श्रेणियों के जवानों के बच्चों को विभिन्न राज्यों के स्कूलों में दाखिला दिया जाता है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने व्यवस्था की हुई है। जो व्यवस्था की गई है वह हर राज्य में अलग अलग है। हमारा भी यह विचार है कि हम विभिन्न राज्य सरकारों को कहें कि वे रियायतों इत्यादि के सम्बन्ध में समान नीति अपनायें।

**Shri R. S. Pandey :** Is it not a fact that thousands of people had written to the Ministry expressing their desire to give necessary facilities and help to the children of the jawans who died during the last Indo-Pakistan conflict ? If it is a fact, have those people since been supplied with the names of those families ? If so, the result thereof ?

**श्री रंगा :** यह देखते हुए कि वीरगति प्राप्त जवानों के, जिन्होंने देश के लिये प्राण दिये हैं, आश्रित लोगों को नियमों तथा तरीकों की जानकारी नहीं है, जिससे वे राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों तथा लाभों को प्राप्त कर सकें, क्या सरकार ऐसे कदम उठायेगी कि उच्च स्तर के अधिकारी उन आश्रितों की दी गई सहायता की मात्रा, तरीक़े, तथा तिथि इत्यादि के बारे में नियंत्रण रखें और यह सब जानकारी वर्ष में एक बार इस सभा के समक्ष रखें अथवा संसद् सदस्यों को भेजें, ताकि सभा को यह विश्वास रहे कि पीड़ितों तथा आश्रितों को वास्तव में लाभ पहुंच रहा है ?

**श्री अ० म० थामस :** इस सम्बन्ध में हम यह बात अच्छी तरह समझते हैं कि जिन लोगों को यह लाभ मिलने चाहिये उनको यह पता रहे कि क्या क्या लाभ उन्हें मिल सकते हैं। इस कार्य के लिये हमने वरिष्ट अधिकारियों को विभिन्न कमानों के मुख्यालयों में नियुक्त कर रखा है। हमने 30 अवकाश-प्राप्त अधिकारियों को भी इस कार्य के लिये नियुक्त कर रखा है। राष्ट्रीय कैडट कोर भी काफी बड़ा कोर है और हमने उसको प्रत्येक राज्य में बांट कर इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये कहा है। यह देखते हुए कि 95 प्रतिशत मामले निपटाये जा चुके हैं, माननीय सदस्यों को यह पता होना चाहिये कि वीरगति प्राप्त जवानों के परिवारों को इस बात से अवगत रखा जाता है कि उन्हें कौन कौन से लाभ मिल सकेंगे। जिन परिवारों को सहायता मिल चकी है उनकी संख्या तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में हम ने जानकारी भेजने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को लिखा है। जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् वह सभा पटल पर रख दी जायेगी। यदि माननीय सदस्य और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हम बड़ी प्रसन्नता से देंगे ।

एक और भी बात है। विभिन्न राज्यों में सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड है। वास्तव में उनका ही इस कार्य से सम्बन्ध है। विशिष्ट अधिकारियों को यह कार्य सौंपा हुआ है।

**श्री अ० प्र० शर्मा :** क्या विभिन्न विभागों में भर्ती के मामले में वीरगति प्राप्त जवानों के परिवारों के सदस्यों को तरजीह दी जाती है ? यदि हां, तो पिछले तीन महीनों में ऐसे कितने लोगों को रोजगार दिया गया है ?

**श्री अ० म० थामस :** भर्ती किये गये लोगों की संख्या का मुझे पता नहीं है। परन्तु तरजीह अवश्य दी जाती है। वास्तव में राज्य सरकारों ने इस संबंध में व्यवस्था की है और यदि आश्रितों को रोजगार दिया जा सकता है तो हम रोजगार कार्यालयों की मारफत आने के सामान्य नियम को भी छोड़ देते हैं और अपने विभागों में स्थान रिक्त होने पर उनको सीधा ही भर्ती कर लेते हैं ।

**श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या कारण है कि प्रतिरक्षा विभाग युद्ध में वीरगति प्राप्त लोगों के बच्चों को दी जाने वाली सहायता के मामले को राज्य सरकारों पर छोड़ने के स्थान पर कोई योजना नहीं बना सका है ? क्या राज्य सरकारों को ऐसी शक्तियां दी गयी हैं कि वे लोगों द्वारा प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारी के लिये दिये गये धन को इन लोगों को बसाने तथा उनके बच्चों की सहायता करने के कार्य में व्यय कर सकती है ?

**श्री अ० म० थामस :** सहायता के स्वरूप के बारे में जो योजना होनी चाहिये हमने उसके सम्बन्ध में व्यवस्था की हुई है, और इस पुस्तिका में जो कि माननीय सदस्यों को दी गई है, पूर्ण विवरण दिया हुआ है। उन लोगों के परिवारों के लिये पेंशन तथा अन्य लाभों की व्यवस्था है। इन लाभों के अतिरिक्त जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जा रहे हैं कुछ ऐसे लाभों की भी व्यवस्था है, जो कि राज्य सरकारों द्वारा दिये जायेंगे। यह सहायता प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रत्येक राज्य द्वारा दिये जाने वाले लाभ सारे देश में प्रायः समान हों।

**श्री मं० रं० कृष्ण** : रक्षा कोष के उपयोग के बारे में क्या उत्तर है ?

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । श्री सरजू पाण्डेय ।

**Shri Sarjoo Pandey** : It has been noticed that the State Governments usually do not accept the suggestions of the Central Government, particularly in respect of Uttar Pradesh, such complaints have all along been made.

The assistance, which according to the Central Government should be given to old soldiers or families of the deceased soldiers, is not being given there. How can the State Governments be compelled to implement the suggestions of the Central Government ? How can you compell the State Governments to give to soldiers the kind of assistance which you want to be given to them?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि उत्तर प्रदेश में किसी वीरगति प्राप्त जवान के परिवार को सहायता नहीं दी गई। प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में उनका अलग कोष है --राष्ट्रीय सुरक्षा कोष-- जिसके उपयोग के बारे में राज्यों के विभागों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष समिति के बीच पत्र व्यवहार किया जाता है।

जहां तक परिवारों को दिये जाने वाली रियायतों तथा अन्य सहायता का प्रश्न है। केन्द्रीय सरकार इस मामले में राज्य सरकार की सहायता से देखभाल करती है क्योंकि इनमें से कुछ क्षेत्र तथा दी जाने वाली सहायता सीधी राज्य सरकारों के अधीन है। उदाहरण के लिये भूमि का वितरण अथवा शिक्षा के क्षेत्र में रियायतें। अतः हमें राज्य सरकारों की मारफत कार्य करना पड़ता है। किन्तु मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति को सहायता नहीं मिली।

**Shri Sarjoo Pandey** : There are so many types of complaints which may be made.

**Shri Y. B. Chavan** : Whatever may be the complaints, they r `v sen to me and I will look into them.

**Shri M. L. Dwivedi** : The statement which has been laid on the Table states that this facility is from the States "for children of the Defence personnel who died figthing on the frontier". But it is said that facts are being collected from the States. What is the necessity of collecting facts when this assistance is being given to all ?

**Shri Y. B. Chavan** : The fact is that assistance will be given and must be given. If the House wants information regarding those who have received assistance and those who have not, that information will have to be collected.

**Shri Tulsidas Jadhav** : People used to appreciate those person, who courted imprisonment at the time of struggle for independence and people used to help them. The public opinion is not in favour of the soldiers. What steps are the Government going to take to better the feeling of the people in regard to the soldiers ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : जहा तक प्रचार का प्रश्न है गांव गांव में प्रचार नहीं किया जा सकता इस सम्बन्ध में हमें अवैतनिक कार्यकर्ताओं पर तथा माननीय सदस्यों पर निर्भर करना पड़ता है, जो लोकमत बनाते हैं।

**श्री हेम बरुआ :** श्रीमन् कुछ समय पूर्व कुछ वीरगति प्राप्त जवानों तथा अफसरों की माताएं मेरे पास आई थी। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर मुझे बताया था कि उन जवानों तथा अफसरों के जिन्होंने देश के लिये प्राण दिय थे बीमार माता-पिताओं के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। क्या माननीय प्रतिरक्षा मंत्री मझे बतायेंगे कि वृद्ध तथा रोगी माता-पिताओं के लिये क्या कुछ किया गया है ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** जी, हां। स्वयं माननीय सदस्य ने ही अपने अनुभव के बारे में मुझे लिखा है और म इस मामले की जांच करवा रहा हूं और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कुछ श्रेणियों के बारे में कह सकता हूं जिनके बारे में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। नियमों के अन्तर्गत एक जवान की विधवा को.....

**श्री हेम बरुआ :** नियम तो 1940 में बने थे। वे बहुत पुराने हो गये हैं।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** कुछ ऐसी विधवायें हैं जिनको परिवारिक पेंशन मिलनी चाहिये और सामान्यत: उन्हें मिलती भी है। कभी कभी नियमों के अन्तर्गत मातापिता को यह सहायता नहीं दी जा सकती। परन्तु मैं इस मामले की जांच अवश्य करवाऊंगा।

**श्री हेम बरुआ :** आपने एक बहुत अच्छा काम किया है।

## यकर्ता स्थित भारतीय दूतावास तथा एयर इंडिया के कार्यालय को हुई क्षति

+

*1161. **श्री श्री नारायण दास :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान एयर इंडिया के कार्यालय को पहुंचाई गई क्षति तथा इंडोनेशिया के लोगों की भीड़ द्वारा यकर्ता स्थित भारतीय दूतावास की संपत्ति को पहुंचाई गई क्षति के लिए सरकार समुचित क्षतिपूर्ति लेने में सफल हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्षतिपूर्ति किस रूप में मिली है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनश सिंह) :** (क) अभी मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन इंडोनेशिया की सरकार भारतीय राजदूतावास की संपत्ति के नुकसान का मुआवजा देने के लिये सहमत हो गई है। हवाई कार्यालय को जो नुकसान पहुंचा था, उसके लिये कोई मुआवजा नहीं मांगा गया है क्योंकि उसकी रकम ज्यादा नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री श्रीनारायण दास :** हाल में इन्डोनेशिया के प्रशासन तथा वहां की सरकार में परिवर्तन के फलस्वरूप क्या इन्डोनेशिया सरकार का भारत के प्रति रूख बदल गया है ?

**श्री दिनश सिंह :** जी, हां। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान सरकार हमारे साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखना चाहती है।

**श्री श्रीनारायण दास :** आजकल भारत और इन्डोनेशिया के बीच राजनयिक सम्बन्ध किस प्रकार के हैं ?

**श्री दिनेश सिंह :** दोनों देशों के राजदूत एक दूसरे के देश में हैं।

**डा० रानेन सेन :** जब यकर्ता में भारतीय दुतावास तथा एअर इंडिया के कार्यालय की तलाशी ली गई थी तो ऐसा मत था कि उसमें चीनी सरकार का हाथ था। अब चूंकि कुछ पश्चिमी शक्तियों द्वारा पुनः उकसानेपर चीनी दूतावास तथा चीन सरकार के अन्य संस्थानों की बुरी तरह तलाशी ली जा रही है, क्या सरकार का विचार है कि मुआवजे की अदायगी को छोड़ दिया जाये और इस मामले में इन्डोनेशिया सरकार से पुनर्मेल कर लिया जाये ?

**श्री दिनेश सिंह :** अभी हमने मुआवजे को छोड़ देने के बारे में कोई विचार नहीं किया है।

**Shri Vishwa Nath Pandey :** As the honourable Minister has just told the House, no demand for compensation for damage to the office of the Air-India has been made as the damage was quite nominal. What is the reason for this and what is the extent of damage for which the Ministry has not demanded any compensation ?

**Shri Dinesh Singh :** Air-India themselves have to decide whether they would demand any compensation or not. They have not said any thing regarding demand for any damage. They have estimated that 5,000 rupees damage had been done.

**श्री हरि विष्णु कामत :** जाकार्ता में हमारे दूतावास से अथवा इन्डोनेशिया अथवा अन्य स्थानों के विश्वस्त सूत्रों से यह पता चला है कि राष्ट्रपति सुकर्ण ने पद-त्याग कर दिया है ? क्या उन्होंने, हमारे दूतावास तथा एयर-इन्डिया के कार्यालय पर आक्रमण के पश्चात्, राष्ट्रपति अथवा प्रधान मंत्री को अपने बारे में तथा अन्य बातों के बारे में लिखा है ?

**श्री दिनेश सिंह :** जी नहीं, हमें उन्होंने कोई पत्र नहीं भेजा है।

**श्री हि० ना० मुकर्जी :** मैं औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को यह पता नहीं है लेकिन संसद में विशेषकर लोक-सभा में मित्रतापूर्ण सम्बन्धों वाले देशों के राज्य-अध्यक्ष के बारे में जब कुछ कहा जाये तो क्या उचित ढंग से नहीं कहा जाना चाहिये? क्या संसद में इस प्रकार कुछ कहा जाना चाहिये जबकि यहां की चर्चा के बारे में सारे संसार को पता रहता है और सरकार कोई आपत्ति भी नहीं प्रकट करती।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस बात से सहमत हूं।

**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपत्ति उठाई गई है।

**अध्यक्ष महोदय :** जिन देशों से हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं उनके राज्य-अध्यक्षों के बारे में इस प्रकार नहीं कहा जाना चाहिये।

**श्री हरि विष्णु कामत :** कुछ दिनों पूर्व भी इस प्रश्न को उठाया गया था और कहा गया था कि "President Sokarno is on the way out" परन्तु इस में अनादरपूर्ण कोई बात नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि इस सम्बन्ध में आपत्ति क्यों उठाई जा रही है।

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे राज्याध्यक्ष के विरुद्ध कुछ न कहें।

**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं ने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही थी।

**श्री स्वर्ण सिंह :** उदाहरण के लिये यह कहना कि "He is on the way out" (उन्होंने पद-त्याग कर दिया है)। .....

**श्री हरि विष्णु कामत :** यदि आप अंग्रेजी अच्छी तरह जानते हैं तो आप को पता चलेगा कि इन शब्दों का प्रयोग अच्छी अंग्रेजी में किया गया है। "Way-out" का मतलब " exit " (पद-त्याग) से है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसके लिये अनुमति नहीं देता।

**श्री हेम बरुआ :** उस अभिव्यक्ति में कोई ग़लती नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

## आसाम में पाकिस्तान द्वारा कब्जे में लिये गये क्षेत्र

*1162. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री स० चं० सामन्त :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री भागवत झा आजाद :**

**क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या पाकिस्तान ने दिसम्बर, 1965 में आसाम में सत्रसाल के निकट कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो उस ने कितने क्षेत्र पर कब्जा किया था; और

(ग) क्या हमारी सुरक्षा सेना ने उन से सभी क्षेत्र खाली करा लिये हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) से (ग) : दिसम्बर 1965 में पाकिस्तानी अतिक्रमियों ने असम के गोलपाड़ा जिला के गोलकगंज पोलीस स्टेशन के अन्तर्गत फस्करकुटी और मोडंगा गांवों में कुछ मकानों पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया था। तदपि अनधिकारी अतिक्रमियों को दिसम्बर 1965 के अन्त तक खदेड़ कर निकाल दिया गया था।

**श्री सुबोध हंसदा :** क्या इस अवैध कब्जे के परिणामस्वरूप जान और माल का कोई नुकसान हुआ है और यदि हां, तो कितना नुकसान हुआ ?

**श्री अ० म० थामस :** आसाम से निकाले गये 77 पाकिस्तानी इस क्षेत्र में आये और उन्होंने हमारे राष्ट्रजनों के कुछ खाली मकानों और गाड़ियों पर कब्जा किया और उनके खेतो में से धान काट लिये। इसके अलावा, किसी अन्य हानि के बारे में हमें पता नहीं है। दिसम्बर के अन्त तक उन सब लोगों को खदेड़ कर निकाल दिया गया।

**श्री सुबोध हंसदा :** क्या इस क्षेत्र पर पहली बार पाकिस्तानी अतिक्रमणकारियों का कब्जा हुआ था अथवा इससे पहले भी कभी कब्जा किया गया था ?

**श्री अ० म० थामस :** इस विशेष क्षत्र में पाकिस्तानी सेनाओ ने 1 दिसम्बर, 1965 से गोलीबारी आरम्भ की जो 4 दिसम्बर तक जारी रही जिसके फलस्वरूप उस विशेष क्षेत्र के कुछ निवासियों को वहां से निकालकर आन्तरिक क्षत्र में लाना पड़ा। इस निष्क्रमण का लाभ उठाकर, 77 निष्कासित पाकिस्तानियों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हमने अब उन्हें खदेड़कर निकाल दिया है।

**श्री भागवत झा आजाद :** क्या यह क्षेत्र, जिससे 77 पाकिस्तानी घुस आये थे और जिन्होंने कुछ समय के लिये हमारे मकानों पर कब्जा कर लिया था सक्रिय गश्त किये जाने वाले क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता; यदि हां, तो हम ऐसे अतिक्रमण को क्यों नहीं रोक सके ?

**श्री अ० म० थामस :** उस क्षेत्र में अब गश्त-कार्य बढ़ा दिया गया है ताकि और कोइ क्षिप्राक्रमण न हो ।

**श्री स० चं० सामन्त :** क्या हमारी ओर से कोई प्रतिरोध किया गया था और यदि हां, तो कब ?

**श्री अ० म० थामस :** यह प्रतिरोध करने का प्रश्न नहीं है । जब 1 और 4 दिसम्बर के बीच वहां गोलीबारी चल रही थी, स्थानीय निवासी अपने को बचाने के ख्याल से उस क्षेत्र को छोड़कर आन्तरिक क्षेत्र में चले गये । इस स्थिति का लाभ उठा कर, कुछ पाकिस्तानी जवान उस क्षेत्र में घुस आय और उन मकानों पर कब्जा कर लिया । हमने अब उन्हें वहां से खदेड़ कर निकाल दिया है ।

**Shri M. L. Dwivedi :** May I know the arrangements made for re-settling those Indian citizens who were either evacuated or who had retreaded from that area into the interior due to Pakistani incursion ; the place where they are at present; and whether they are expected to go back to that particular area ?

**श्री अ० म० थामस :** लगभग 35 परिवारों को वहां से हटना पड़ा था । वे वहां जा सकते हैं ।

**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर लतीटिल्ला दुमाबाड़ी क्षेत्र को छोड़ कर कोई अन्य क्षेत्र पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है और, यदि हां, तो कौन-कौन से भागों को सरकार द्वारा विवादग्रस्त राज्यक्षेत्र घोषित किया गया है ?

**श्री अ० म० थामस :** गोलीबारी की ऐसी घटनाएं अन्य क्षेत्रों में विशेषत: माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में भी हुई हैं । दोनों देशों के सेनाध्यक्षों द्वारा दिये गये अनदेश के अनुसरण में जी०ओ०सी० ईस्टर्न कमान्ड तथा जी०ओ०सी० 14 इनफैन्टरी डिवीजन पाकिस्तान आर्मी के बीच 1 फरवरी को हुये सम्मेलन में यह निश्चय किया गया था कि सीमा पर किसी भी परिस्थिति में सुरक्षा सेनाओं द्वारा गोलीबारी नहीं की जायगी और जहां तक इस क्षेत्र का सम्बन्ध है इसमें गोलीबारी की कोई भी घटना नहीं हुई है । लतीटिल्ला, बिलोनिया और रामगढ़ में गोलीबारी की घटनाएं हुइ हैं और बाद में 22 फरवरी की बैठक में उन्होने इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी समझौते कर लिये ।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** The hon. Minister said in reply to this question that while firing was going on there, local inhabitants retreaded to the interior and in another reply he said that the inhabitants of that particular area had to be evacuated to the interiors. I want to know whether they were evacuated or they retreaded of their own and what arrangements have been made for their rehabilitation. Did they ask for any weapons in order to face the enemy and if so, the number of weapons supplied to them by the Government ?

**श्री अ० म० थामस :** जहां तक संरक्षण का सम्बन्ध है, वह बिलकुल ही एक अलग प्रश्न है । जहां तक सीमावर्ती क्षेत्रों में पूर्वसावधानियां बरतने का सम्बन्ध है, उस बारे में भी सभा को जानकारी दे दी गई है । जहां तक इन 35 परिवारों का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, वे लोग वापस जा सकते हैं । मेरी जानकारी के अनुसार उनमें से अधिकतम लोग वापस चले गये होंगे, किन्तु मुझे यह सुनिश्चित करना है कि क्या उनमें सभी लोग वापस लौट गये हैं और वहां पुन: बस गये हैं अथवा नहीं ।

**श्री श्यामलाल सर्राफ :** ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर होने के पूर्व यह घटना हुई थी । क्या वहां ऐसी घटनाओं के बारे में विचार विमर्श हुआ था और (क) पाकिस्तान ने यह मान लिया था और समझ लिया था कि वह न तो अवैध कब्जा करेगा और न ही अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करेगा और (ख) भारत तथा पाकिस्तान से मिलने वाले सभी अन्य क्षेत्रों में वह इस प्रकार की घटनाओं को नहीं बढ़ने देगा; और यदि हां, तो उसने अब तक इन बातों का किस हद तक पालन किया है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** ऐसी घटनाएं ताशकंद घोषणा से पहले हो चुकी थीं और इन विशेष घटनाओं के बारे में ताशकन्द में विचार-विमर्श नहीं हुआ, किन्तु बाद में दोनों ओर के सेना कमान्डरों के विचार विमर्श के हेतु की गई कार्यवाही ताशकन्द घोषणा के ही अनुसरण में थी। जहां तक इन दो छोटे से गांवों का सम्बन्ध है, वे ठीक सीमा पर बसे हुये हैं और गोली-बारी के कारण कुछ लोगों को तो वहां से निकाला गया और कुछ लोग खुद ही छोड़कर चले गये। जब वे गांव छोड़कर चले गये, तो आसाम से निष्कासित कुछ लोग वहां आये और उन्होंने इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उन क्षेत्रों में हमने अपना गश्त कार्य बढ़ा दिया है और उसके बाद उन्हें खदेड़कर निकाल दिया गया।

**श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या तत्पश्चात् इस प्रकार की कोई अन्य घटनाएं हुई ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** कुछ घटनाओं के बारे में हमने बताया है। कुछ घटनाएं हुई थीं किन्तु इसके बाद मुझे इस समय कोई जानकारी नहीं मिली हैं और ऐसी घटनाओं का ब्यौरा देना मेरे लिये कठिन है।

**श्री हेम बरुआ :** जब ऐसी घटनाएं हुई हैं—ताशकन्द के पहले ही नहीं अपितु बाद में भी, और हाल की घटना पश्चिम बंगाल में हुई तो, ऐसी स्थिति में सरकार ने इन पाकिस्तानियों को, चाहे वे बंगाल में आयें अथवा आसाम में खदेड़ कर बाहर करने का निश्चय क्यों नहीं किया ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मैं समझता हूं कि कार्यवाही की जा रही है।

### संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिये भारत का नाम पेश किया जाना

*1163. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री श्रीनारायण दास :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष महासभा के 21 वें अधिवेशन में होने वाले चुनावों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में एक एशियाई स्थान के लिये भारत ने अपना नाम पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत के लिये यह स्थान प्राप्त करने की संभावनाएं कैसी है और इस दिशा में क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने अपनी उम्मीदवारी का समर्थन पाने के लिए अन्य सरकारों से कहा है लेकिन चूंकि चुनाव सितंबर 1966 में होनेवाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21 वें सत्र में ही संपन्न होंगे, इस लिए अभी यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि सुरक्षा परिषद् में भारत के चुने जाने की कहां तक संभावना है।

**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वह ब्लॉक जिस पर अमरीका का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव है अथवा वह ब्लॉक जिस पर रूस का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव है या वे देश जिनपर फ्रान्स का प्रभाव है, हमारे द्वारा रखे गये प्रस्ताव के पक्ष में हैं ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** हमने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से, जैसा कि मैंने कहा है, अनुरोध किया है किन्तु इस प्रकार के मामले में मैं सुझाव दूंगा कि छः या सात महीने बाद होने वाले चुनाव के भविष्य के बारे में चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा। हम सभी सरकारों से अनुरोध कर रहे हैं और आमतौर पर सभी ने इस आशय के जबाब दिये हैं कि वे अपना अन्तिम दृष्टिकोण चुनाव के कुछ समय पूर्व ही अपनायेंगे।

**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या पाकिस्तान भी भारत की छेड़ करने के लिए उमीदवार के रूप में खड़ा हुआ है और क्या अन्य कोई अफ्रिकी-एशियाई जैसे ईरान तथा अन्य देशों ने भी अपने नाम पेश किये हैं और यदि हां, तो कौन-कौन से देश सुरक्षा परिषद में स्थान प्राप्त करने के लिये हमारे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** यह ठीक है कि दिसम्बर, 1965 में--एक महीने बाद, भारत द्वारा यह बताये जाने पर कि सुरक्षा परिषद में एक स्थान के लिये वह उम्मीदवार है--पाकिस्तान ने भी दूसरे देशों से अनुरोध करना सुरू कर दिया कि सुरक्षा परिषद में एक स्थान के लिए वह भी उम्मीदवार है। पश्चिम एशिया के एक या दो अन्य देशों ने भी उम्मीदवारों के रूप में अपने नाम दिये हैं।

**श्री श्रीनारायण दास :** क्या यह सच है कि कुछ देश जो भारत तथा पाकिस्तान दोनों के मित्र हैं, एक ऐसा उपाय निकालने का प्रयत्न कर रहे है जिससे भारत पहले सदस्य बने और कुछ समय बाद पाकिस्तान भी, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** इस आधार पर कि भारत एशिया का एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और 1920 से अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उसका महत्वपूर्ण स्थान है, क्या भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद् में एक स्थायी स्थान प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाया है और मोटे तौर पर क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में संशोधन किये जाने की संभावना के बारे में अपना अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

**श्री स्वर्ण सिंह** यह स्पष्ट है कि घोषणा पत्र में संशोधन किये बिना किसी भी देश को सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान नहीं मिल सकता। जहां तक सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान प्राप्त करने के लिये घोषणा पत्र में संशोधन करने के बारे में भारत द्वारा सुझाव दिये जाने का प्रश्न है, हमने इस सम्बन्ध में कोई ठोस पग नहीं उठाये हैं।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** उत्तर में कारण क्यों नहीं बताये गये हैं--कारणों का बताया जाना जरुरी है ?

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय कहते हैं "हमने कोई ठोस पग नहीं उठाये हैं"।

**श्री ही० ना० मुकर्जी :** कम्बोडिया के राजकुमार सिहानाउक द्वारा हाल में दिये गये इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि एशियाई राज्यों को अपने-अपने प्रश्नों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से अनौपचारिक अथवा औपचारिक रूप से आपस में सम्मेलन आयोजित करने चाहिये, क्या सरकार ने इस सुझाव का स्वागत किया है और उसके पक्ष में उत्तर दिया है और संयुक्त राष्ट्र के सह एशियाई सदस्य देशों से इस आशय का विचार विमर्श किया है कि सुरक्षा परिषद में शामिल किये जाने के भारत का न्यायसंगत दावे को पूरा समर्थन दिया जाना चाहिये ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** मैं नहीं समझता कि प्रिन्स सिहानाउक के वक्तव्य का सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्र की परिधि के अन्दर के सम्मेलनों से है। इस सभा के माननीय सदस्यों को निःसन्देह मालूम होगा कि विगत महा सभा के समय से कम्बोडियन्स संयुक्त राष्ट्र के साथ केवल प्रतीकात्मक सम्पर्क रख रहे हैं। किन्तु हम हमेशा विचार-विमर्श अथवा एशियाई देशों के बीच या अफ्रिकी-एशियाई देशों के बीच आयोजित सम्मेलनों में भाग लेने के पक्ष में हैं।

**श्री नाथ पाई :** विश्व के पांच देशों को पांच स्थान दिये गये जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है सिवाय इसके कि युद्ध में वे विजयी रहे हैं। आत्म सम्मान तथा स्वहित की दृष्टि से सरकार के समक्ष ऐसी कौन सी कठिनाइयां हैं जिनके कारण वह घोषणापत्र में जो बिलकुल ही अन्याय्यपूर्ण है। संशोधन करवाने के बारे में आवश्यक पग उठाने में पहल नहीं कर रही है--पांच राष्ट्रों को

स्थायी 'विटो' शक्ति प्रदान करने वाला घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्र का उपहास है; मैं समझता हूं कि हमें कई देशों का समर्थन प्राप्त होगा और इस सम्बन्ध में आवश्यक पग उठाने की पहल करने में भारत सरकार को किस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** यह एक व्यापक प्रश्न है किन्तु संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के उद्भव के बारे में जानकारी रखने वाले जानते हैं कि विभिन्न देश जो इस समय विटो का प्रयोग करते हैं उनका आग्रह यह है कि उन्हें विटो शक्ति प्राप्त होनी चाहिये। उस समय जिस मुख्य बात का आग्रह किया गया था वह यह थी कि संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा ढांचा बना हुआ था जिसमें कुछ विशेष देशों के एक गुट का बहुमत बन गया था और शान्ति तथा युद्ध के मामलों में केवल वही देश विटो अधिकार का प्रयोग कर सकते थे जो शान्ति अथवा युद्ध का फैसला करने में निर्णयात्मक कार्य कर सकते थे । इस घोषणापत्र में तब तक कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जब तक कि 'विटो' अधिकार प्राप्त देश भी ऐसा करने के लिये सहमत न हो जायें। इस लिये यह विषय बहुमत पैदा करके घोषणापत्र में संशोधन की मांग करने का नहीं है। यह काफी जटिल मामला है और मैं समझता हूं कि एक अवसर पर हमारे प्रतिनिधि श्री कृष्ण मेनन ने यह बात कही भी थी। घोषणापत्र में संशोधन करने के लिये देश जब राजी हो जायेंगे, तब संभवत: उस में संशोधन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।

**श्री जोकीम अल्वा :** संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधियों को भेजने के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति से कोई लाभ होने की संभावना नहीं है। एक ओर तो सरकार छोटे-छोटे प्रतिनिधि मंडल मितव्ययता के नाम पर भेजती है किन्तु उनके साथ जाने वाले अधिकारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है। अत: सरकार को अपनी वर्तमान नीतिमें सर्वांगीण परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिससे हमारा प्रतिनिधित्व अधिक सक्रिय तथा प्रभावशाली हो सके।

**श्री स्वर्ण सिंह :** माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करूंगा कि वह इस अधिकार के बारे में गौर करें क्योंकि वह प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य थे ।

**श्री दी० चं० शर्मा :** इस सभा में प्रगतिशील नियम चल रहा है।

**श्री स्वर्ण सिंह :** मुझे यकीन है कि यह सभा तथा माननीय सदस्य नि:सन्देह ही उन्हे प्रभावशाली तथा प्रगतिशील व्यक्ति मानेंगे। इस सभा के अन्य सदस्य भी थे—श्री तिरूमल राव—और दूसरी सभा के भी एक सदस्य थे। जब संसद सदस्यों को जो सभी प्रभावशाली तथा सक्रिय व्यक्ति हैं शामिल करना होता है, तो सैकड़ों सक्रिय तथा प्रभावशाली व्यक्तियों में से चुनना पड़ता है और चुनाव की आलोचना किये जाने की संभावना होती है।

**श्री कृ० चं० पन्त :** घोषणापत्र में संशोधन के प्रश्न को अलग करते हुये तथा अपने आप को केवल सिद्धान्त के प्रश्न तक ही सीमित रखते हुये मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रख कर कि संयुक्त राष्ट्र निकायों की सदस्यता में वृद्धि की जा रही है ताकि उनमें अधिक प्रतिनिधित्व हो, क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता में भी उसी सिद्धान्त के आधार पर वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है।

**श्री स्वर्ण सिंह :** ऐसा सुनिश्चित करने के लिये फिर वही बात पैदा होती है कि घोषणापत्र में संशोधन करवाया जाये।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** यही तो हम पूछ रहे हैं।

**श्री रंगा :** संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन करने और विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में अफ्रेशियाई देशों को प्रतिनिधित्व देने के संबंध में एक वर्ष से भी अधिक से जो बातचीत चल रही थी उसका क्या परिणाम निकला ? संसद् सदस्यों में से सरकार द्वारा जो व्यक्ति चुने गये हैं वे सब उनके पक्ष में हैं और उनकी जी-हजूरी करने वाले हैं।

**श्री स्वर्ण सिंह :** अधिक राष्ट्रों को और विशेष रूप से अफ्रेशियाई देशों को सुरक्षा परिषद तथा आर्थिक और सामाजिक परिषदों में प्रतिनिधित्व देने के लिये चार्टर में पहले ही संशोधन कर दिया गया है।

**श्री हरि विष्णु कामत :** न कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व।

**श्री स्वर्ण सिंह :** यह सच है कि हम इस बात पर जोर देते रहे हैं कि सुरक्षा परिषद तथा आर्थिक और सामाजिक परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। यह सही दिशा में एक कदम है, सुरक्षा परिषद तथा आर्थिक और सामाजिक परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है।

**श्री रंगा :** स्थायी सदस्यों के बारे में क्या स्थिति है ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। यह ऐसा विषय है जिसमें उस समय तक कोई सफलता नहीं मिल सकती है जब तक स्वयं स्थायी सदस्य सहमत न हों।

## पूर्वी पाकिस्तान में रामकृष्ण मिशन

***1164. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री युद्धवीर सिंह :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :** **श्री बड़े :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जनवरी, 1966 को बिहार में हुई रामकृष्ण मिशन की वार्षिक बैठक में मिशन के महासचिव (जनरल सेक्रेटरी) द्वारा जारी किये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि मिशन को पूर्वी पाकिस्तान में अपने आठ केन्द्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में काम कर रहे रामकृष्ण मिशन के चार सन्यासी सदस्यों को काफी लम्बे समय तक वहां पर हिरासत में रखा गया था; और

(ग) क्या मिशन की सम्पत्ति को पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने ज़ब्त कर लिया था ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) रामकृष्ण मिशन के चारों बन्दी सदस्य 25 दिसंबर 1965 को भारत वापस भेज दिए गए थे।

(ग) सुलभ सूचना के अनुसार पूर्व पाकिस्तान सरकार ने उक्त मिशन की संपत्ति पर अधिकार नही किया है।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** रामकृष्ण मिशन के कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार किया गया, क्या उसके संबंध में ताशकंद सम्मेलन में प्रश्न उठाया गया था ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** जी, नहीं। रामकृष्ण मिशन के प्रश्न पर विशेष रूप से चर्चा नहीं की गई थी।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** पिछले 50 वर्षों में रामकृष्ण मिशन ने जो अतुल्य निःस्वार्थ भाव से कार्य किया है उसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पूर्वी पाकिस्तान में अल्प संख्यक लोगों पर किये जा रहे अत्याचारों की जांच कराने की जरुरत समझती है ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** मैं यह मानता हूं कि रामकृष्ण मिशन ने बहुत ही उपयोगी कार्य किया है और वह हमेशा से साम्प्रदायिक विचारों से ऊपर रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान में उनके कार्य में रुकावटें डाली गईं और इन प्रशंसनीय व्यक्तियों को, जो कार्य के प्रभारी थे, कुछ

समय के लिये निरुद्ध किया गया और बाद में उन्हें स्वदेश भज दिया गया। पाकिस्तान के लिये यह उचित कार्य नहीं था। हां, संघर्ष के समय पाकिस्तान ने ऐसा किया। जहां तक अल्प संख्यक व्यक्तियों और उनकी सुरक्षा का संबंध है इस मामले में हम पाकिस्तान सरकार पर समय समय पर जोर देते रहे हैं कि वह अपनी जिम्मेदारी को निभाय और अल्प संख्यकों की सुरक्षा और उनके कल्याण का ख्याल रखे।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** When did the Government receive information about the detention of four ascetics there of Ramakrishna Mission and whether the Indian High Commissioner nad protested to Pakistan Government against these activities ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** उनको 25 दिसम्बर, 1965 को स्वदेश लौटाया गया। जहां तक हमारे उच्चायुक्त द्वारा पाकिस्तान सरकार से लिखा पढ़ी करने का प्रश्न है, निःसन्देह माननीय सदस्य यह जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष आरम्भ होने के बाद शीघ्र ही दोनों देशों में उच्च आयोगों का काम बिलकुल ठप्प हो गया था।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** For how many days they were kept in detention ?

**Shri Swaran Singh :** I do not have the information as to the date from which they were put in detention.

**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सच नहीं है कि ताशकन्द घोषणा के बाद ही नही अपितु इसके पहले भी पाकिस्तान में हिन्दू और सिख धार्मिक संस्थाओं और मन्दिरों की अवहेलना की गई, उनका कोई ध्यान नहीं रखा गया और उन्हें दूषित किया गया जबकि भारत में मुसलमानों की मस्जिदों और धार्मिक संस्थाओं का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर पाकिस्तान सरकार से लिखापढ़ी की है ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** यह सच है कि हिन्दुओं और सिखों के धार्मिक स्थानों की देख भाल के संबंध में पाकिस्तान का रवैया हमारे रवये से बिल्कुल भिन्न रहा है। समय समय पर हम पाकिस्तान सरकार से इस मामले पर लिखापढ़ी करते रहे हैं। रावलपिण्डी में मंत्रालय स्तर पर हुई पिछली बैठक में भी मैंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ इस मामले को उठाया था और उन्होंने कहा था कि अगली किसी बैठक में वह इस विषय पर चर्चा करने के लिय तयार हैं परन्तु मुझे इसमें संदेह है कि पाकिस्तान इस मामले में यथोचित रवैया अपनायेगा।

## Demolition of Unauthorised Houses in Masjid Moth area, Delhi

**S. N. Q. 20. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Dr. L. M. Singhvi :**
**Shri Bade :**

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the officers of the Delhi Development Authority went to Masjid Moth area to demolish the so-called un-authorisedly constructed houses and *Jhoppris* there;

(b) if so, the total number of such houses and *Jhoppris*, the area covered by these and the total amount invested by the people on such construction ;

(c) the causes of the clash that took place there and the number of persons injured therein;

(d) the nature of scheme, Government propose to execute at that site; and

(e) the reasons as to why Government do not take any steps before the unauthorised construction takes place so that public money is not wasted and such situations also do not arise?

**The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna)** : (a) Yes.

(b) There are about 350 unauthorised structures scattered over an area of about 2,000 square yards. The officers went to demolish only 14 structures covering an area of about 200 to 250 square yards, which was required for the widening of the road. Though the amount invested by the people on construction of these structures is not known, it is likely to be very small.

(c) Resistance of the occupants led to the clash which resulted in minor injuries to six police personnel and three others.

(d) The site will be used for widening and realignment of the road.

(e) Unauthorised construction is made surreptitiously. Besides, it is going on in Delhi on a large scale. It is, therefore, not possible for the Government to forestall the activities of unauthorised builders.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Those houses have been demolished which had been provided with water, elecricity and telephone by the Corporation. Those houses were declared as unauthorised construction by the Government. If they were unanuthorised, why they were provided with water, electricity and telephone connections? New houses are also being built near the place where houses have been demolished. In view of the large scale unauthorised construction being carried on in Delhi and also that the officers are busy in money making, does the Government propose to take strict action ?

**Shri Mehr Chand Khanna** : Sir, an hour back, I myself had gone to see the place of incident. In all 14 shops had been constructed there and they were in the middle of the road which is to be constructed, we have demolished them. But I am sorry to say that immediately after the demolition they started rebuilding. We will have to take action against this.

**Mr. Speaker** : If they were unauthorisedly constructed, why they were sanctioned electric and telephone connections ?

**Shri Mehr Chand Khanna** : I am sorry, I cannot reply to this part of the question.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : On Monday 62 shops were demolished in Munirka and Mohammad Pur.

**Mr. Speaker** : Now he is referring to some other place.....

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : I can give proof regarding the demolition of 62 shops and the Minister will have to admit that. At 7 P.M. on 20th March, Shri Rathi, the Commissioner went there and demanded ten thousand rupees from the shop keepers which the later refused to give and thereupon he dsai that he would get the shops demolished.....

**Mr. Speaker :** Such an allegation should not be made, prior notice should have been given for this. This is not proper.

**Shri Jagdev Singh Siddhanti :** This allegation is absolutely baseless. Mr. Rathi, is an honest man.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** I can give proof.

**Mr. Speaker :** For me both the hon. Members are alike and I cannot say anything.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** These constructions include houses of the value of Rs. 10,000 to 50,000. In view of the fact that they have also got the lease registered by the Government, how can they be termed as unauthorised?

**Shri Mehr Chand Khanna :** So far as these shops are concerned they are temporary and none of them would have cost more than Rs. 100-200. As regards houses, if they are constructed in contravention of the rules of Delhi Devolopment Authority, they will be demolished irrespective of their cost.

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** मुख्य शिकायत यह है कि अनधिकृत रूप से मकान बनाने वालों में जो अमीर लोग हैं उनके साथ सरकार बड़ी नर्मी से पेश आती है और जो गरीब लोग हैं उनके साथ सख्ती दिखाती है। यह ठीक है कि अनधिकृत मकानों को हटाना पड़ेगा, परन्तु हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के पास इस बात का कोई औचित्य है कि वह विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ विभिन्न प्रकार का सलूक करे और क्या सरकार उन लोगों के लिये कोई अन्य प्रबन्ध करेगी जिन्होंने सरकार की जानकारी अथवा उसकी मूक सम्मति से अनधिकृत रूप से मकान बनाये हैं और जो वर्षों से उन मकानों में रह रहे हैं ?

**श्री मेहरचन्द खन्ना :** दोनों आरोप निराधार हैं। यदि हमने कभी गलती की भी है तो वह गरीब लोगों के पक्ष में की है और उससे स्पष्ट है कि झुगियों और झोपड़ियों की संख्या दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अब इनकी संख्या लगभग 60,000 होगी। हमारी कठिनाई यह है कि हम इस अनधिकृत निर्माण को अब तक रोक नहीं पाये हैं। अगले दो या तीन दिनों में गृह-कार्य मंत्री, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम और अन्य प्राधिकारों के साथ हमारी बैठक होने वाली है, जिसमें इस अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिये निश्चित कदम उठाय जायेंगे।

**Shri S. M. Banerjee :** Mr. Speaker, Sir, some days back the hon. Minister stated that 25,000 houses are under construction which are to be given to the persons living in *Jhuggis* and *Jhoppris*. How many houses have so far been constructed and what arrangements have been made to rehabilitate those people before uprooting them ?

**Shri Mehr Chand Khanna :** It is my misfortune that the hon. Member was not present in the House when the Administrative report of tnis Ministry was being discussed. More than 20,000 persons have already been allotted accommodation.

**श्री हो० ना० मुकर्जी :** अनधिकृत मकानों का निर्माण होने का कारण यह है कि इन गरीबों के पास रहने का कोई स्थान नहीं है। हम सरकार से स्पष्ट उत्तर चाहते हैं कि इन लोगों के लिये मकानों की पर्याप्त व्यवस्था किस समय तक हो जायेगी।

**श्री मेहरचन्द खन्ना :** एक बात जो हमें मद्देनजर रखनी है वह यह है कि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण लोग आते रहते हैं। यह काम बहुत तेजी से चल रहा है। कलकत्ता में जो दशा है उसको माननीय सदस्य मुझ से अच्छी तरह जानते हैं। इन सब बातों के बावजूद भी सरकार ने राजधानी के

संबंध में एक योजना बनाई है। हमने हजारों एकड़ भूमि अर्जित कर ली है; हमारी योजनाएं हैं और इस कार्य के लिये हमने लगभग 10 करोड़ रुपये मंजूर किये है। पिछले दो या तीन वर्षों में हम 20-30 प्रतिशत समस्या को हल कर पाये हैं।

**Dr. Ram Manohar Lohia :** What was the number of *Jhuggis* and *Jhoppris* before the movement to demolish them was started and what is their present number ?

**Shri Mehr Chand Khanna :** We had taken the census in 1960 and at that time their number was 30-40 thousand. After that their number increased to 50,000 and then later to 60,000. We have taken the decision to allot lands only to those *Jhuggi* and *Jhoupri* owners, whose names have been enumerated in the 1960 census. We have no mind to allot land to other persons. To go on allotting land so long as the problem goes on increasing in dimension, is no solution of the problem.

**Dr. Ram Manohar Lohia :** I could not follow your answer. Should I take that the number of *Jhuggis* and *Jhoupris* has rather increased during this movement ?

**Shri Mehr Chand Khanna :** Yes, Sir.

**श्री रंगा :** माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा उससे यह स्पष्ट होता है कि जो लोग यहां आ रहे हैं और कुछ रोजगार ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, सरकार उनके लिये मकानों की व्यवस्था करने में असमर्थ है। क्या मैं संबंधित मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री से यह कह सकता हूं कि मकानों को झटपट गिराने की बजाय सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये जब भी जगह की जरूरत पड़े तो मकान खाली करने के लिये उन्हें पहले इन लोगों की अनुमति लेनी चाहिये और इसके साथ साथ यदि सरकार उनको कोई और स्थान नहीं दे सकती है तो उन लोगों को उनकी छोटी झौंपड़ियों में रहने दिया जाना चाहिये।

**श्री मेहरचन्द खन्ना :** हम निर्धारित योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

**श्री रंगा :** इसका उत्तर गृह मंत्री को देना चाहिये क्योंकि पुलिस की सहायता उनसे मांगी गई है।

**श्री मेहरचन्द खन्ना :** यदि गृह-कार्य मंत्री बीच में बोलना चाहे तो वह खुशी से ऐसा कर सकते हैं। परन्तु जैसा कि मैंने बताया हम योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं.....(**अन्तर्बाधाएं**)

**श्री रंगा :** मकानों को तोड़ने के लिये।

**श्री मेहरचन्द खन्ना :** हम ऐसे मकानों को गिरा रहे हैं जो राजधानी के सामान्य विकास के हित में नहीं हैं और यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग उनको प्रोत्साहन देते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया दिल्ली में 60,000 से भी अधिक परिवार हैं जिनको सरकार ने भूमि के आवंटन के लिय दर्ज किया है। इससे पता चलता है कि सरकार किस प्रकार इन लोगों की समस्याओं को हल करने में लगी हुई है।

**श्री रंगा :** क्या गृह-मंत्री कुछ भी नहीं कहेंगे जब कि वह अपनी पुलिस को उन लोगों को घर से निकालने के लिये भेजते है ?

**Shri Bagri :** It appears from the reply given by the hon. Minister that *Jhuggis* and *Jhoupris* are a great hindrance in the way of proper growth of the Capital. May I know whether Government will consider the question of fixing the ceiling on land to solve the *Jhuggi* problem ? Nobody should be allowed to hold land more than the maximum limit laid down and similarly nobody shall hold less than the minimum fixed. May I know whether efforts have been made in this direction to solve this problem, if not, how this problem is sought to be solved ?

**Shri Mehr Chand Khanna :** So far as big plots are concerned, I have already submitted that we are aiming at the proper and intensive use of the land and for this purpose we are encouraging multi-storeyed buildings. As regards the persons enumerated in the 1960 census we are allotting 80 yds. plot to those persons while they are having not more than 10-15 yds. in *Jhuggis* and *Jhoupris*. For the time being we are giving them 25 yds. for the immediate solution of this problem and afterwards 80 yds. will be given.

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली के साथ लगते हुए राज्यों और पंजाब के पड़ौसी जिलों से प्रति वर्ष 2 लाख व्यक्ति दिल्ली में आते हैं और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि हजारों झोंपड़ियों और झुग्गियों के गिराये जाने के बावजूद भी स्वयं मंत्री महोदय ने जन संघ के उम्मीदवार के मुकाबले एक लाख से भी अधिक मतप्राप्त किये थे, क्या उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई निश्चित उपाय किये हैं कि झुग्गियों और झोंपड़ियों तथा उनको गिराने के लिय पुलिस की आवश्यकता ही समाप्त हो जाये ?

**श्री मेहरचन्द खन्ना :** मैंने अपने जीवन में राजनीति और प्रशासन को सदैव ही अलग अलग रखा है।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### National Defence Fund

***1157. Shri Bibhuti Mishra :**
**Shri K. N. Tiwary :**

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that adequate publicity has not been made for making contribution to the National Defence Fund in the villages; and

(b) if so, the scheme Government propose to formulate in this regard ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) :** (a) Consistent with the availability of media of mass communication in villages as well as the financial resources of the rural areas, the publicity effort already made by the Union Government, in co-operation with the State Governments, is considered adequate.

(b) It will continue to be a constant endeavour on the part of Government to popularise the various Saving Schemes including the National Defence Fund, as widely as possible.

### सूचना के माध्यमों और प्रचार कार्य में सुधार करना

***1165. श्री राम सहाय पाण्डेय :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सूचना के माध्यमों तथा प्रचार कार्य को आपातिक आधार पर प्राथमिकता देने के हेतु उसमें सुधार करने के लिये कुछ ठोस कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो किये गये उपायों का विवरण क्या है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) संकट काल के उपयुक्त सूचना और प्रचार के विभिन्न विभागों के कार्य को और तेज और प्रभावी बनाने के उपाय सोचने और अमल में लाने के प्रयत्न बराबर किए जा रहे हैं।

(ख) किए गए या किए जाने वाले उपायों को बताना, जन हित में नहीं होगा।

## A. I. R. Budget File

*1166. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Dr. Ranen Sen :**
**Shri Brij Raj Singh : Shrimati Renuka Barkataki :**
**Shri Sidheshwar Prasad : Shri Onkar Lal Berwa :**
**Shri K. C. Pant : Shri Kajrolkar :**
**Shri Indrajit Gupta : Shri Parashar :**
**Shri Mohammad Elias :**

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item published in the NAVBHARAT TIMES of 9th February, 1966, that the file regarding the details of the All-India Radio Budget is missing ;

(b) if so, the circumstances under which it was misplaced and by whom;

(c) the steps taken to trace it; and

(d) the action taken against the persons responsible for this ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) :** (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House.

### Statement

My attention was drawn to the news item published in the Navbharat Times of the 9th February, 1966 that the files relating to the All India Radio budget were missing.

The budget files containing details of the All India Radio Stations and offices along with the mail meant for the Directorate General, All India Radio and other offices located in Akashvani Bhavan were given for delivery to a peon of the Secretariat on the 13th October, 1965. The peon is stated to have kept the dak meant for the Directorate General, All India Radio on the floor of the Receipt & Issue Section of that office and then went to distribute the dak meant for other offices in Akashvani Bhavan. On return he collected the duplicate copy of the challan on which the Clerk of the Directorate General, All India Radio had acknowledged the dak received by him. He had not, however, acknowledged in the challan the receipt of the budget files. The budget files despatched from the main Secretariat were not received by the Directorate General, All India Radio nor were they acknowledged. They are alleged to have been lost in transit. Enquiries were conducted and all concerned staff of the Secretariat and Directorate General, All India Radio were examined. It was not possible to trace the papers. The matter was also referred to the police authorities. Two officials of the main Secretariat and one of the Directorate General, All India Radio were *prima facie* held to have been negligent which led to the loss of the budget files. They were placed under suspension and an enquiry held. As one of the officials was not found responsible, he was cautioned to be more careful in checking the challan entries. In case of the other two, departmental enquiry is in progress. It may be added that the files have been reconstructed. Government have taken a serious view of the matter and steps to prevent a recurrence have been taken by issue of suitable instructions.

**Librarians in Indian Embassies Abroad**

*1167. **Shri Vishram Prasad :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Librarians in most of the Indian Embassies abroad are untrained ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government are considering the question of replacing them with the trained personnel; and

(d) if so the time by which they are likely to be replaced ?

**The Minister of State in the Ministry of External Affairs(Shri Dinesh Singh) :** (a) While it is a fact that except for four Posts, the Librarians are not technically-speaking trained, many of them have picked up the work through practical experience.

(b) It has not been possible to send trained librarians every where from India as the expenditure involved, mostly in foreign exchange, is much larger than in the case of locally employed staff.

(c) and (d). It has been decided in principle to send India-based librarians where necessary and justified; but this can be done only when more funds are available and the foreign exchange position improves.

**Depicting of National Flag in Posters**

*1168. **Shri Ram Sewak Yadav :** **Shri Bagri :**
**Dr. Ram Manohar Lohia :** **Shri Maurya :**
**Shri Kishen Pattnayak :**

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be plased to state :

(a) whether it is a fact that some posters and hoardings depicting National Flag were produced;

(b) whether it is also a fact that there had been some criticism in regard to the colours of the flag and spokes of the wheel;

(c) whether it is also a fact that action on this justified criticism was much delayed resulting in much damage; and

(d) the punishment given to the persons found guilty ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) :** (a) and (b). Yes, Sir.

(c) No, Sir. Prompt action was taken.

(d) No particular person could be held guilty and worthy of punishment. But since the printing of the National Flag demands great strictness and adherence to specifications, all concerned have been asked to be very careful in the future.

**भारत-चीन सीमा विवादों का निपटाया जाना**

*1169. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत के साम्यवादी (वामपंथी) दल ने "जोरदार राष्ट्रीय आन्दोलन" आरम्भ करने का आव्हान किया है ताकि बिन पूर्व शर्तों के भारत-चीन सीमा विवादों को निपटाने के लिये चीन के साथ बातचीत करने हेतु पहल करने के लिये केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाला जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार हमेशा भारत-चीन सीमा विवाद को शांति पूर्वक ढंग से हल करने के पक्ष में रही है। तदनुसार हम ने चीन सरकार को कई रचनात्मक सुझाव दिये हैं तथा हम ने कोलम्बू शक्तियों के प्रस्तावों को भी स्वीकार कर लिया है। फिर भी चीन सरकार इन प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार से बातचीत करने को लगातार मनाह करती रही है और यही कहती रही है कि बातचीत केवल उन की एकतरफा शर्तों के आधार पर हो सकती है। हाल के कुछ महीनों में चीन सरकार ने अपने कथनों तथा कार्यों से यह स्पष्ट कर दिया है कि वे सीमा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल नहीं करना चाहते। उन की इच्छा यह मालूम होती है कि वे सीमा विवाद के प्रश्न को लेकर भारत के साथ तनाव तथा झगड़ा बनाये रखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के साम्यवादी (वाम पंथी) दल के लिये भारत सरकार पर चीन से वार्ता आरम्भ करने के लिये जोर डालने के लिये राष्ट्रीय आन्दोलन करना ठीक नहीं है। वास्तव में चीन सरकार को अपने भारत विरोधी रवैये में परिवर्तन करना चाहिये।

## Suspension of Operations in Nagaland

***1170. Shri Onkar Lal Berwa :**
**Shri R. S. Pandey :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the period of suspension of operations in Nagaland has been further extended;

(b) if so, the period for which it has been extended ; and

(c) the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh)** : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) . The agreement for the suspension of operations has been extended up to 15th July, 1966, as negotiations are still continuing and the Government desires to explore every possibility of a peaceful settlement.

## चीन में निर्मित हथियारों का पाकिस्तान द्वारा प्रदर्शन

***1171. श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री हेम बरुआ :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्री लीलाधर कटकी :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री श्रीनारायण दास :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रावलपिंडी में पाकिस्तान दिवस समारोह के अवसर पर पाकिस्तान द्वारा सैनिक प्रदर्शन में किये गये चीन में निर्मित टैंकों और विमानों के प्रदर्शन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीकी सरकार का ध्यान चीन द्वारा पाकिस्तान को बड़े पमाने पर इन हथियारों के दिये जाने की ओर आकर्षित कराया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : अमरिकी सरकार के साथ इस मामले को खासतौर पर तो नहीं उठाया गया है लेकिन दोनों सरकारों के बीच सामान्य राजनायक परामर्श के दौरान यह मामला भी आया था। हमारा विश्वास है कि स्वयं अमरीकी सरकार को इस बात की और इसके सम्भाव्य परिणामों की पूरी जानकारी है।

**ढाका में मिजो लोगों का मुख्यालय**

*1172. **श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री धर्मलिंगम् :**
**श्री जसवन्त मेहता :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्रीमती रेणका बड़कटकी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय के समाचार प्राप्त हुए हैं कि मिज़ो नेशनल फ्रंट ने ढाका पूर्व-पाकिस्तान में मुख्यालय स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार को इस आशय का विरोध पत्र भेज दिया गया है कि मिज़ो लोगों को ऐसी सहायता देना भारत के आन्तरिक कार्यों में हस्तक्षेप करना है और परिणामतः यह ताशकन्द घोषणा का उल्लंघन है; और

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार ने इस संबंध में क्या उत्तर दिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ) : हालांकि इस तरह की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन सरकार को इस बारे में विश्वस्त रूप से सूचना मिली है कि मिज़ो उपद्रवियों के दल पूर्व पाकिस्तान में उपद्रवी मिज़ो लोगों को संगठित और प्रशिक्षित करने के लिए शिविर बना रहे हैं।

सरकार ने इस विषय में पाकिस्तान से विरोध प्रकट किया है। विरोध-पत्रों का कोई उत्तर नहीं आया है, लेकिन उसने सार्वजनिक रूप से इस बात को अस्वीकार किया है कि वह मीज़ो लोगों को हथियार या प्रशिक्षण दे रहा है।

**हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटड, बंगलोर में लाभानुसार (प्रोफिट शेयरिंग) बोनस**

*1173. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री वारियर :**
**श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के कर्मचारियों ने लाभानुसार बोनस दिये जाने के सम्बन्ध में आन्दोलन आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विवाद का स्वीकृत समझौता कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : 7-4-1966 को मैसूर सरकार ने झगडे को फैसले के लिए औद्योगिक ट्रिबुनल को सौंप दिया है।

## विदेशों में भारतीयों के लिये गुजराती भाषा में प्रसारण

*1175. **श्री जसवंत मेहता** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल, 1966 से अफ्रीका तथा मध्यपूर्व के देशों को रात्रि के सवा ग्यारह बज से लेकर रात्रि के 12 बज तक प्रसारित किये जाने वाले गुजराती समाज के प्रसारण कार्यक्रम के समय में परिवर्तन करने का निर्णय हाल में किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी की विदेश प्रसारण सेवा (गुजराती में विदेशी प्रसारण सहित) के समय को कुछ बदलना इसलिये आवश्यक हुआ, ताकि संसार के विभिन्न भागों के अंग्रेज़ी जाननेवाले श्रोताओं के लिय और अधिक कार्यक्रम प्रसारित किये जा सकें और इस प्रकार भारत के दृष्टिकोण को और विस्तृत और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।

## चीन की वायुसेना और नौसेना की शक्ति

*1176. **श्री मधु लिमये** :

**श्री किशन पटनायक** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीन की वायु सेना की शक्ति के संबंध में बढ़ा चढ़ा कर दिये जाने वाले समाचारों के बारे में एयर चीफ़ मार्शल के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या उसका ध्यान अमरीकी विशेषज्ञों द्वारा चीन की नौसेना की शक्ति के बारे में किये गये अध्ययन की ओर भी आकर्षित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने स्वयं भी चीन की वायु सेना तथा नौसेना की शक्ति का कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका मुख्य निष्कर्ष क्या निकला है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) से (ग) : जी, हां।

(घ) विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

## Strike in Hindustan Aeronautics Ltd.

*1177. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the amount of loss sustained by Government as a result of the strike in the Hindustan Aeronautics Ltd., Kanpur during January, 1966 ; and

(b) the measures adopted by Government to prevent such strikes in future ?

**The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan)** : (a) No loss in production was sustained, as the strike was by the trainees of the Apprentice Training School.

(b) Discussions were held by the Management with the Union leaders and representatives of trainees. Solutions have been devised for the reasonable demands of the trainees and these are in the process of implementation. As the main differences have been resolved, there should be no cause for strikes in the future.

## ग्राम्य क्षेत्रों में रेडियो

*1178. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
**श्री फिरोडिया :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंधी अमरीकी संस्था ने सुझाव दिया है कि देश में ग्राम्य क्षेत्रों में अधिक रेडियो सेटों की व्यवस्था करने की वांछनीयता का अध्ययन करने के लिये एक दल नियुक्त किया जाए, और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का मुख्य ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : चौथी पंचवर्षीय योजना में आकाशवाणी के देहाती प्रसारण क्षेत्र को बहुत बढ़ाने का विचार है। इस में सहायता देने के हेतु हमें कुछ प्रस्ताव मिले हैं। इनमें अमरीका सरकार का प्रस्ताव भी है। इसमें देश भर में स्थानीय रेडियो केन्द्र खोलने के लिए आकाशवाणी और अमरीकी विशषज्ञों के संयुक्त दल द्वारा मिलकर पड़ताल करने का प्रस्ताव है। सरकार ने संयुक्त पड़ताल के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

## Refugees Coming to India From East Pakistan

*1179. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Yudhvir Singh :**
**Shri Bade :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that refugees are still coming to India from East Pakistan ;

(b) whether it is also a fact that 120 refugees had come to India after the Tashkent Declaration ;

(c) whether it is also a fact that so far there is no improvement in the conditions of minorities in Pakistan ; and

(d) Government's attitude towards the said problems ?

**The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh)** : (a) & (b). After the Tashkent Declaration 159 displaced persons had come from East Pakistan to India upto the 18th of March, 1966.

(c) There nas been no noticeable change in the condition of minorities in Pakistan during the last few months.

(d) It is the view of the Government of India that responsibility for the welfare of minorities in Pakistan rests fully with the Government of Pakistan. The Government have on a number of occasion drawn the attention of the Government of Pakistan to this.

**पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द घोषणा का उल्लंघन**

*1180. **श्री बी० चं० शर्मा।** **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री लीलाधर कटकी :**
**श्री किन्दर लाल :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द घोषणा का उल्लंघन किये जाने के बारे में सोवियत संघ को सूचित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सोवियत संघ की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

**वदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख) : भारत सरकार ताशकंद घोषणा से संबद्ध महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में सोवियत सरकार को सूचित करती रही है। ख्याल है कि सोवियत सरकार ने इन घटनाओं पर समचित ध्यान दिया है।

**अमरीका द्वारा पाकिस्तान को घातक हथियारों के पूर्जों का दिया जाना**

*1181. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री श्रीनारायण दास :** **श्री लीलाधर कटकी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत को यह आश्वासन दिया है कि हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में नष्ट हो गये पैटन टैंको समेत घातक हथियारों के पुर्जे अमरीका द्वारा पाकिस्तान को नहीं दिये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो ठीक क्या आश्वासन दिया गया है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) कोई आश्वासन नहीं दिया गया है लेकिन यह पता चला है कि अमरीका पाकिस्तान को घातक हथियारों के पुर्जे नहीं दे रहा है जिसमें पैटन टैंकों के पुर्जे भी शामिल हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**रोडेशिया**

*1182. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 9 मार्च, 1966 को एक ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में दिये गये वक्तव्य के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अफ्रीकी एकता संघ राष्ट्रों, ब्रिटेन तथा राष्ट्र मंडल के अन्य सदस्य देशों के मेल से रोडेशिया के विरुद्ध किसी ठोस आधार पर कार्यवाही करने की योजना तैयार की है अथवा कर रही है; और

(ख) यदि हा, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख) : हमारी नीति यह रही है कि रोडशिया के गर-कानूनी अल्पमत शासन को समाप्त करने के लिए, अफ्रीकी एकता संगठन राष्ट्रमंडल देश और संयुक्त राष्ट्र संघ अन्य देशों से जो काम करवाना चाहें उसका पूरा समर्थन किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति की अभी हाल ही में जो बैठक हुई थी उसमें भारत ने साल्सबरी में गैर-कानूनी शासन को समाप्त करने के लिए तुरंत और दृढ़ उपाय बरतने की मांग का समर्थन किया था जिनमें शक्ति का प्रयोग भी सम्मिलित है।

## Opening of East Pakistan-West Bengal Border

†1183. **Shri Onkar Lal Berwa :**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Basumtari :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has not so far conveyed its opinion regarding the proposal for opening the East Pakistan-West Bengal border on the 4th April, 1966;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether India has closed its post on the border opened on the 21st March, 1966 for 11 days ?

**The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh)** : (a) Yes Sir. The Government of India advised the Government of Pakistan on the 16th March, 1966 that with effect from the 4th April, 1966 all the Indian checkposts on the land borders of India and Pakistan would be functioning normally, as before, on continuing basis in accordance with the existing India-Pakistan Passport and Visa Scheme, to facilitate the movement of persons from one country to the other. However, the Pakistan Government have not yet conveyed their acceptance to open corresponding Pakistan checkposts on a reciprocal basis as provided for under the agreed Scheme.

(b) The Government of India are not aware of the reasons for the lack of response from Pakistan.

(c) The Haridaspur checkpost on the East Pakistan-West Bengal border was opened on *ad-hoc* basis for a period of 11 days from March 21 to 31, 1966. This period has now been further extended upto April 30, 1966.

## नागाओं और बर्मा की सशस्त्र सेना के बीच मुठभेड़

*1184. **श्री मधु लिमये।**
**श्री किशन पटनायक :**
**डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की कोई जानकारी है कि बर्मा की सशस्त्र सेना तथा बर्मा होकर पाकिस्तानी राज्य-क्षेत्र में घुसने का प्रयत्न करते हुए विद्रोही नागाओं के बीच मुठभेड़ें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी मुठभेड़ें हुई हैं; और

(ग) कितने विद्रोही नागा मारे गये तथा विद्रोही नागाओं का और क्या नुकसान हुआ है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग): ठीक-ठीक संख्या मालूम नहीं है, लेकिन बर्मा के सुरक्षा सैनिकों और उपद्रवी नागाओं के बीच कुछ झडपें हुई थीं। इसमें कुछ उपद्रवी मारे गए और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है।

## "न्यूयार्क हेराल्ड" में अमरीकी सहायता के बारे में समाचार

***1185. श्री प्र० चं० बरुआ :**

**श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीकी दैनिक "न्यूयार्क हेराल्ड" में हाल में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जब तक भारत काश्मीर विवाद के संबंध में पाकिस्तान के साथ समझौता नहीं करता, अमरीका के लिए भारत की व्यापक आर्थिक समस्या की ओर ध्यान देना संभव नहीं हो सकेगा और समाचार में आगे यह भी कहा गया है कि भूख की समस्या के बारे समझौता नहीं हो सकता किन्तु काश्मीर के मामले में समझौता होना आवश्यक है और वह हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) जहां तक हम समझते हैं ऊपर (क) में उल्लिखित समाचारों में व्यक्त विचार अमरीकी सरकार के अधिकारिक रवैये से मेल नहीं खाते।

## Sealing of Hussainiwala Border

***1186. Shri Onkar Lal Berwa :**

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Hussainiwala border has been sealed ;

(b) whether it is also a fact that the said border was opened for ten days : and

(c) if so, the number of Pakistanis and Indians who crossed the border during this period ?

**The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh)** : (a) No, Sir.

(b) No, Sir. The border was first opened for a period of 22 days from February 12, to March 5, 1966. It was re-opened for a period of 11 days from March 21 to March 31, 1966, and this has now been further extended upto the 30th April 1966.

(c) During the period from February 12 to April 10, 1966, the number of Pakistanis and Indians who crossed the border was 7,623 and 3,184 respectively.

**संयुक्त अरब गणराज्य के उप-प्रधान मंत्री की भारत यात्रा**

**3811. श्री राम हरख यादव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य के उप-प्रधान मंत्री हाल ही में भारत आये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनके यहां आने का उद्देश्य क्या था ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख) : धर्म और वक्फ-संबंधी मामलों के संयुक्त अरब गणराज्य के उप प्रधान मंत्री, महामान्य श्री अहमद अब्दो एल-शाराबासी 6 से 10 अप्रैल तक बंबई में सैदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के मेहमान रहे थे और उनके साथ अल-अजहर के रेक्टर, श्री अहमद हसन एल-बकौरी भी थे। उप प्रधान मंत्री भारत सरकार के मेहमान के रूप में 11 अप्रैल को दिल्ली आए। उनकी इस यात्रा से विचारों के आदान-प्रदान का एक और अवसर मिला जिससे भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के अत्यंत निकट संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।

**उड़ीसा में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिये रेडिओ सेट**

**3812. डा० कोहोर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछल तीन वर्ष से अब तक उड़ीसा में सामुदायिक विकास परियोजना को, जिलावार, कितने रेडियो सेट दिये गये ;

(ख) इसके लिए किस प्रकार के रेडियो सेट खरीदे गये और थोक में किस फर्म से खरीदे गये ; और

(ग) क्या खरीद में कमीशन अथवा छूट मिली थी ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी।

**Former Deputy Minister of External Affairs Visits Abroad**

**3813. Shri Ram Sewak Yadav :**
**Shri Kishen Pattnayak :**
**Shri Madhu Limaye :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the countries visited by the former Deputy Minister of External Affairs from 1962 upto the end of his tenure ;

(b) the names of Indian Officers and representatives who accompanied him on the said visits ;

(c) the aim of the visits ;

(d) the period spent by such delegations in different countries, separately ; and

(e) the amount spent on these delegations ?

**The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh)** : (a) to (e). A statement is placed on the Table of the House. **[Placed in Library See No. LT/6065/66]**

**Compulsory Insurance Scheme for Defence Personnel**

**3814. Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration to formulate a compulsory insurance scheme for the Defence personnel ;

(b) if so, when the final decision is likely be taken; and

(c) the expenditure to be incurred by Government under the scheme ?

**The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) :** (a) No, Sir. But I.A.F. officers and Naval Aviation officers entitled to flying bounty are required to insure themselves.

(b) and (c) . Do not arise.

**डाक्टर तथा नर्सों की सशस्त्र सेनाओं के लिये अनिवार्य भर्ती**

**3815. श्री मधु लिमये :**

**श्री किशन पटनायक :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षित डाक्टरों तथा नर्सों को अनिवार्य रूप से सैनिक कार्यों में लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** (क) तथा (ख) : जी नहीं। तदपि एक योजना है कि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के काडरों में तथा राजकीय उपकरणों में डाक्टरों की भर्ती के नियमों में ऐसा उपबंध किया जा रहा है कि भावी प्रवेशकों को (प्रशिक्षण अवधि सहित) कम से कम चार वर्षों के लिये सशस्त्र सेनाओं में अथवा आवश्यक हुआ तो भारत या विदेश में रक्षा प्रयत्नों के कार्य में काम करना होगा। सशस्त्र सेनाओं में काम करने की देयता केवल उनकी सेवा के पहल 10 वर्षों तक सीमित है, और 45 वर्ष से अधिक आयु वाले डाक्टरों पर लागू न होगी। नर्सों के संबंध में ऐसी कोई योजना विद्यमान् नहीं है।

**Muslims in Sinkiang**

**3816. Shri Hukamchand Kachhavaiya :**

**Shri Yashpal Singh :**

**Shri Shinkre :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that muslims in Sinkiang are being oppressed by the Chinese Communists in many ways ;

(b) whether the Indian muslims are also there ; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard ?

**The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) :** (a) The Government have had information that Muslims in Sinkiang are being oppressed by the Chinese authorities. The flight of Sinkiang Muslims across the border to the Soviet Union in 1962 was striking evidence of discontent with Chinese policies in Sinkiang.

(b) We have no information.

(c) Does not arise.

**अणु विस्फोटों का पता लगाना**

**3817. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रेडियो धर्मी तत्वों (फालऔउट) का पता लगाने वाले केन्द्रों ने चीन के दो अणु विस्फोटों का पता लगा लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस रेडियो धर्मी तत्व के वैज्ञानिक विश्लेषण का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या मसूर के एक केन्द्र ने गत 30 अक्तूबर को अबुशन द्वीपसमूह में अमरीका द्वारा भूमि के नीचे किये गये परमाणु विस्फोट का पता लगा लिया था ?

**प्रधान मंत्री तथा अण शक्ति मंत्री ( ीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) जी, हां ।

(ख) रेडियोधर्मी तत्वों के वैज्ञानिक विश्लषण से पता लगा कि अणुविस्फोट में सम्भवत: यूरेनियम-235 इस्तेमाल किया गया था ।

(ग) जी, हां ।

**नेपाल की पुलिस द्वारा मारे गये भारतीय लोग**

**3818. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

**श्री किन्दर लाल :** **श्री राम हरख यादव :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 जनवरी, 1966 को नेपाल की पुलिस द्वारा कुछ भारतीय लोगों पर गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप दो भारतीय व्यक्ति मारे गये और तीन व्यक्ति घायल हो गये, जब वे लोग नारायणी नदी में एक किश्ती में पत्थर की कंकरीट ले जा रहे थे ;

(ख) क्या यह घटना तब हुई थी जब किश्ती बिहार के थरही गांव के पास थी;

(ग) क्या इस मामले के बारे में नेपाल की सरकार को पत्र लिखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख) : 2 जनवरी 1966 को नेपाली पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के परिणामस्वरूप दो भारतीय मारे गए और तीन घायल हुए । गोरखपुर के अस्पताल में घायल व्यक्तियों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दिन छिपे के करीब जब उनकी किश्तीयां सकर डिंडही (नेपाल) की चौकी पर पहुंची, तब नेपाल की पुलिस ने उन्हें रुक जाने और सामान्य टैक्स देने के लिए कहा । घायल व्यक्तियों ने बताया कि उन्होंने किश्तीयां रोकने की कोशिश की लेकिन वे उन्हें न रोक सके क्योंकि बहाव तेज़ था । उन्होंने नेपाली पुलिस वालों को बताया कि किश्ती काबू से बाहर हो गई है लेकिन नेपाली पुलिस ने यह समझकर गोली चला दी कि वे भाग निकलने की कोशिश कर रहे थे । घायल लोगों ने इस घटना की रिपोर्ट यु० पी० पुलिस को नही दी ।

(ग) चूंकि घायल व्यक्तियों ने कोई शिकायत नहीं की, इसलिए यह मामला नेपाल सरकार के साथ नहीं उठाया गया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**एक विदेशी दूतावास द्वारा सागरिक महत्व के नक्शों की कथित प्राप्ति**

**3819. श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जनवरी, 1966 के 'इंडियन आबजर्वर' साप्ताहिक में "फौरेन एम्बैसी प्रोक्योर्स टैट्रजिक मैप्स थ्रू पार्टीसिपैन्ट्स इन डान्स फैस्टिवल" (विदेशी दूतावास द्वारा नृत्य समारोह में भाग लेने वाले व्यक्तियों के जरिये सामरिक महत्व के नक्शों की प्राप्ति) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह समाचार कहां तक सच है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) इस रिपोर्ट में जो अस्पष्ट आरोप लगाए गए है, उनमें कोई तत्व नही है।

**समाचारपत्रों के मूल्यों में वृद्धि**

**3821. डा० रानेन सेन :**
**श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के समाचार पत्रों ने हाल में अपने मूल्य बढ़ा दिये हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : सम्बन्धित अखबारों का कहना है कि प्रकाशन खर्च बढ़ने के कारण, दाम बढ़ाया गया है। दाम बढ़ाना या घटाना अखबारों के प्रबधकों के ऊपर है। इसके लिए सरकार की इजाजत आवश्यक नही है और न ही सरकार इस विषय पर नियंत्रण रखती है।

**कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को बोनस**

**3822. श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री दाजी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तथा अन्य स्थानों के कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस दिया गया है ;

(ख) यदि नही , तो उसके क्या कारण है; और

(ग) कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: (क) से (ग): सी०एस०डी० (आई०) कर्मचारी बोनस एक्ट 1965 के उपबन्धों के अनुसार बोनस अधिकारी नहीं है। तदपि 1963 के 64 की बचत से 4.5 रूपये की एक राशि, और एक समतुल्य राशि 1964–65 की बचत से कर्मचारियों के लाभ के लिए बेनेवोलेण्ट फण्ड को दी गई है।

## सोवियत संघ से हेलीकोप्टर

3823. **श्री विश्वनाथ राय :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री लखमू भवानी :**
**श्री प्र० चं० बरूआ :**
**श्री हिम्मत सिंहका :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री राम सहाय पाण्डेय :**
**श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री रा० बरूआ :**
**श्री लीला धर कटकी :**
**श्री राम हरख यादव :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को हेलीकाप्टर देने के सम्बन्ध में हाल में सोवियत संघ और भारत के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: (क) तथा (ख): लगभग कुल 2.24 करोड़ रूपये की लागत पर 1966 और 1967 में वितरित करने के लिए 40 एम०आई० 4 हेलिकाप्टरों के लिए दिसम्बर 1965 में एविया एक्सपोर्ट यू०एस०एस०आर० से करार हुआ है। इसके अदायगी भारत और यू०एस०एस०आर० के बीच हुए साधारण व्यापार करार के अन्तर्गत की जाएगी।

## अमरीकी नौ-सेना के विध्वंसक जहाज (डेस्ट्रायर्ज)

3824. **श्री वासुदेवन नायर :**
**श्री वारियर :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी नौ-सेना के कुछ विध्वंसक जहाज हाल में कोचीन बन्दरगाह पर आये थे; और

(ख) यदि हां, तो अमरीकी नौ-सेना की इस यात्रा का क्या उद्देश्य था?

**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवंतराव चव्हाण)** : (क) तथा (ख): लाजिस्टिक अभिप्रायों से 8 यू० एस० ध्वंसक 6 मार्च 1966 को कोचीन में आए थे और 7 मार्च 1966 को वहां से प्रस्थान कर गए थे।

## T. V. Expansion

3825. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Information & Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that television service is to be extended in India with the assistance of Hungary; and

(b) if so, on what terms ?

**The Minister of Information & Broadcasting (Shri Raj Bahadur) :** (a) & (b). M/s. Bharat Electronics Limited have addressed a number of foreign parties, including the Commercial Councillor, People's Republic of Hungary for collaboration for manufacture and supply of electronic equipment required for television. Their report on the basis of replies received, is still awaited.

**Sainik Schools**

**3826. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state the number of boys whose fathers died in the recent Indo-Pak conflict for whom arrangements have been made by Government for their education in the Sainik Schools ?

**The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) :** Since the normal examination for admission to the January, 1966 term of the Sainik Schools was held before the Indo-Pakistan conflict, a special entrance examination has been held to enable mid-term admissions for children of Service personnel killed in action. The number of boys so admitted is being collected and information will be placed on the table of the House in due course.

The children of JCOs and ORs killed in action and admitted to Sainik and Military Schools will be given full scholarships. The number of scholarships for children of officers killed in action, who are joining Sainik Schools, Military Schools and Lawrence Schools have been increased from 50 to 100.

**प्रेस एसोसियेशन द्वारा प्रधान मंत्री का स्वागत**

**3827. डा० राम मनोहर लोहिया :**
**श्री मधु लिमये :**
**श्री बागड़ी :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने प्रेस एसोसियेशन के स्वागत समारोह में यह कहा था कि पश्चिमी बंगाल, केरल आदि में जो आन्दोलन हो रहे हैं वे चुनाव से पहिले के वर्ष में स्थिति का लाभ उठाने के उदेश्य से विरोधी दलों की एक चाल मात्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस वक्तव्य का क्या अर्थ है ?

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) और (ख) : प्रधान मन्त्री ने जो विचार प्रकट किए उनका आशय यह था कि देश के कुछ भागों में हाल में हुए उपद्रवो से ऐसा प्रतीत होता था कि चन्द विरोधी दलों ने विविध कठिनाइयों और शिकवों का लाभ उठाना चाहा। प्रधान मन्त्री ने यह भी कहा कि शायद आने वाल आम चुनावो-को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विरोधी दल इस सम्बन्ध में एक साथ मिल गए।

प्रधान मन्त्री ने ऐसा संकेत नहीं किया था कि वर्तमान स्थिति से लाभ उठाने के उद्देश्य से विरोधी दलों ने आपस में मिल-जुल कर कोई युक्ति बनाई है। उन्होंने केवल उस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया था जो चुनावों से पहले के वर्ष में आम तौर पर देखने में आती हैं।

**टस्कर संगठन के विरुद्ध जांच**

**3828. श्री हेम बरूआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद में 1963 में नेफा में काम कर रही तस्कर परियोजना के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाये गये थे :

(एक) नेफा में सड़कें विशिष्ट विवरणों के अनुसार नहीं बनाई गई थीं ;

(दो) नवम्बर, 1962 में ऐसे स्थानों पर भी जहां शत्रु ने आक्रमण नहीं किया था सामान अंधा-धुंध नष्ट किया गया था ;

(तीन) बहुत बड़े परिमाण में सामान स्थानीय बाजारों से बहुत अधिक दामों पर खरीदा गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन सभी आरोपों की जांच उपयुक्त प्राधिकारियों के द्वारा कराई गई है; और

(ग) उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) तथा (ख) : सदस्य महोदय का इशारा शायद कुछ उन आरोपों सहित जो गुमनाम थे, टस्कर (वर्तमान वर्तक) प्रायोजना संगठन के मुख्य इंजीनियरों के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की ओर है जो 1962 में चीनी आक्रमण के पश्चात अवधि के दौरान लगाए गए थे। अगर ऐसा है तो उन आरोपों की उपयक्त अधिकरण द्वारा जांच की गई थी।

(ग) उपरोक्त (क) क आरोपों में एक था किमिनजीरों सड़क की चौड़ाई का ब्यौरे अनुसार न होना। जांच के पश्चात् पता चला कि उस में कोई तथ्य नहीं है।

अंधा-धुंध मशीनों और साजसामान के ध्वंस संबंधी आरोप की जांच भी की गई थी। यह भी निराधार था। जांच के पश्चात, गाड़ियों, मशीनों, और साजसामान का जो ध्वंसन किया गया समय समय पर जारी किए गए आदेशों के सर्वथा अनुसार था, और उन वर्तमान परिस्थितियों में कम से कम था।

बड़ी चढ़ी कीमतों पर सामान के स्थानीय क्रय से संबंधित आरोप के फलस्वरूप कानूनी न्यायालयों में 6 मुकदमें दायर किए गए। वह अभी चल रहे हैं।

## Non-Indians as Librarians in Indian Embassies Abroad

**3829. Shri Vishram Prasad :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the non-Indians appointed as Librarians in the Indian Embassies abroad are fully acquainted with the background of Indian culture ;

(b) if not, the reasons for appointing them in the Libraries meant for publicity in foreign countries ; and

(c) the persons responsible for their appointments ?

**The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) :** (a) In making appointments to posts of Librarians in Indian Missions abroad, preference is given to candidates acquainted with the background of Indian culture. In some cases they are recruited from amongst local Indian nationals.

(b) Since the volume of work is not the same in all the Missions, suitable Librarians are appointed according to the requirements.

(c) Heads of Missions are empowered to appoint persons against local posts.

**थुम्बा स्थित भूमध्यवर्ती राकेट छोड़ने का केन्द्र**

**3830. श्री रा० गि० दुबे :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में थुम्बा स्थित भू-मध्यवर्ती राकेट छोड़ने के केन्द्र अन्तरिक्षा में छोड़े गये कासमास 110 उपग्रह की गतिविधियों का पता लगा सकी थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह यह भी प्रमाणित कर सकी है कि कुत्तों की हालत ठीक रही थी ?

**प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) थुम्बा स्थित भूमध्यवर्ती राकेट छोड़ने के केन्द्र में ऐसे राकेटों की गतिविधि का पता लगाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**C.O.D./Vehicle Depot Delhi Cantt.**

**3831. Shri P. L. Barupal :**
**Shri Yudhvir Singh :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that due to careless maintenance of Government vehicles at the Central Ordnance Depot/Vehicle Depot, Delhi Cantonment a loss of crores of rupees had to be incurred :

(b) whether it is also a fact that there are certain officers who have been in the Department for a long time and are making lakhs of rupees by their complicity with traders and are causing a loss of crores of rupees to Government ;

(c) whether Government are also aware that the officers of Central Ordnance Depot/Vehicle Depot, Delhi Cantonment allot vehicles in good condition under fictitious names and afterwards get them condemned and then sold to their favourites at a low price ; and

(d) if so the action Government propose to take in the matter ?

**The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) :** (a) No, Sir.

(b) No, Sir. Government is not aware of the alleged facts. There is also no case under investigation against any officer of these Depots for complicity or collusion with any firm or contractor.

(c) No allotment of vehicles is made by Depot authorities.

(d) Does not arise.

**Military Jeeps and Trucks**

**3832. Shri P. L. Barupal :**
**Shri Yudhvir Singh :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of military jeeps lying at the Motor Vehicle Depot, New Delhi in a defective condition ;

(b) the number of heavy and medium trucks, Ford Jeeps and Willy Jeeps separately ;

(c) the number of vehicles auctioned and the number of those sold at fixed prices; and

(d) the total cost of all these vehicles and the total amount received by selling them in damaged condition ?

**The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) :** (a) 1489.

(b) The number of defective venicles category-wise is as follows :—

| | |
|---|---|
| Heavy Trucks . . . . . | Nil. |
| Heavy Lorries . . . . . | 81 |
| Medium Trucks . . . . . | 6068 |
| Willys Jeeps . . . . . | 1460 |
| Ford Jeeps . . . . . | Nil. |

(c) and (d): 2982 defective vehicles were auctioned and 139 sold at fixed prices during the period from 1-9-64 to 31-3-66. Their book value was 3·34 Crores and sale value realised 1·16 Crores.

**Printing of Republic Day Speech of Prime Minister**

**3833. Dr. Ram Manohar Lohia :**
**Shri Ram Sewak Yadav :**
**Shri Kishen Pattnayak :**
**Shri Maurya :**
**Shri Bagri :**

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Republic Day speech of the Prime Minister was printed on imported art paper at Calcutta involving unnecessary expenditure; and

(b) whether it is also a fact that two Officers went to Calcutta by air in the first week of February in this connection and another officer took 2000 copies thereof to the Jaipur Congress Session ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) :** (a) The Republic Day broadcast of the Prime Minister was printed on imported art paper as the publication was mainly meant for distribution abroad.

(b) Two Technical officers had to visit Calcutta in connection with the production of a multi-colour illustrated pamphlet entiltled "Lal Bahadur Shastri A Man of Peace" and it was decided to take advantage of their presence in Calcutta for the production of the publication "A Pledge Renewed" containing the Prime Minister's broadcast on 26-1-1966. There was no unnecessary expenditure on this job.

A junior official took about 2000 copies of the pamphlet to the Regional Office of the press Information Bureau at Jaipur for distribution among the large number of foreign Press representatives who were covering the Congress Session which in itself provided a valuable opportunity for publicity.

**Defence Equipment from East European Countries**

3834. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Yudhvir Singh :**
**Shri Bade :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India would purchse defence equipment from some East European countries ;

(b) the details of the equipment and the amount to be paid in Indian currency therefor; and

(c) whether such equipment could not be manufactured in the country ?

**The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) :** (a) to (c). Only such defence equipment and stores are obtained from abroad as cannot be manufactured within the country within the period of requirements. Purchases made from East European countries are normally accommodated within the annual trade plan agreements with those countries and payment is generally made in non-convertible rupees.

It would not be in the public interest to disclose the details of the equipment purchased from these countries and the value thereof .

**सिनेमा फिल्मों में दलों के झंड़ों का प्रदर्शन**

3835. **डा० श्रीनिवासन :**
**श्री मलाइछामी :**
**श्री रेडियार :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में प्रचार कार्यों के लिये सिनेमा फिल्मों में दलों के झंडे दिखाये जाते हैं, और

(ख) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने इस प्रकार के प्रदर्शन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

**सशस्त्र सेनाओं के मैस के असैनिक कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते**

3837. **श्री गुलशन :**
**श्री प० ह० भील :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1965 स 1 मार्च, 1966 तक मैस के सभी वर्गों के असैनिक कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर सरकार द्वारा किये गय खच का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या विभिन्न मेंसों में यूनिट लेखापाल है; और

(ग) यदि हां, तो उनके कार्य क्या हैं और उक्त अवधि में उन पर कितनी राशि खर्च की गई ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) सेना में पीस एस्टब्लिशमेंट में संगठित यूनिटों में असैनिक मैस सेवक काम करते हैं, और इन सेवकों को मैस निधियों से अदायगी की जाती है। उनके संबंध में सरकार की कोई देयता नहीं है। वार एस्टेब्लिशमेंट पर यूनटें लड़ाकू मैस सेवकों की अधिकारी हैं, और जहां वह प्राप्य न हों उनके बदले असैनिक काम पर लगाए जाते हैं, और उनके वेतन और भत्तों की अदायगी सरकार की देयता है। ऐसे असैनिक मैस सेवकों की वेतन दरें स्थान से स्थान तक के लिए विभिन्न हैं।

वायु सेना में केवल असैनिक मैस सेवक काम पर लगाए जाते हैं, और उनके वेतन भत्तों का खर्च सरकार वहन करती है।

नौसेना में मैस असैनिकों नाम की कोई श्रेणी नहीं है। तदपि असैनिक रसोइए नैमित्तिक-तौर पर सेवाओं के सेवीवर्ग के स्थान पर काम पर लगाए जाते हैं। असैनिक मैस सेवकों असैनिक रसोइयों पर उठे खर्च के संबंध में सूचना प्राप्य नहीं है और विभिन्न यूनिटों, सिब-वन्दियों से एकट्ठी करनी पड़ेगी। इसे एकट्ठा करने में अन्तग्रस्त समय और श्रम प्राप्य हो पाने-वाले परिणाम के अनुरूप न होगा।

(ख) तथा (ग) : यूनिटों में कोई मैस एकाऊंटेंट नहीं है।

## Uranium in Rajasthan

**3838. Shri Tan Singh :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the places in Rajasthan where uranium has been located ;

(b) whether digging has been done at those places; and

(c) if so, the results thereof ?

**The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi)** : (a) Uranium deposits have been located at Umra, Udaisagar and Nayagaon-Khamor (Udaipur district), Bhunas, Pithas and Khera Nathji (Bhilwara district), Khandela (Sikar district), Kho-Daribo (Alwar district), Khetri (Jhunjhunu district) and in the Rajasthan mica belt.

(b) Underground development work has been carried out at Umra and Udaisagar (Udaipur district) and test pitting and trenching operations at Nayagaon-Khamor (Udaipur district), Bhunas (Bhilwara district), Khandela (Sikar district), Kho-Daribo (Alwar district) and Khetri (Jhunjhunu district).

(c) The results of these operations showed that the deposits are mostly unworkable because of the capricious occurrence, variable nature and low tenor of the ore and the small tonnages available.

## नौसेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

**3839. श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौसेना के आई० एन० एस० विक्रांत फ्लेग शिप का एक समुद्री विमान 29 मार्च, 1966 को बम्बई के सांताक्रुज हवाई अड्डे से लगभग 8 मील दूर बरसोवा के पास समुद्र में गिर गया था ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या इसके लिये कोई जांच की गई है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना का कारण अभी निर्धारित नहीं हो पाया।

(ग) जी हां। एक बोर्ड आफ इन्क्वायरी 1 अप्रैल 1966 को संगठित किया गया था।

## सामुदायिक रेडियो

**3840 श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में संघ राज्य क्षेत्रों समेत प्रत्येक राज्य को कितने कितने सामुदायिक रेडियो दिये गये,

(ख) ये आंकड़े किस आधार पर तैयार किये गये हैं, और

(ग) उन रेडियो की देखभाल के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए सख्या एल० टी० 6066/66]** सप्लाई करने वाले फर्मों ने विभिन्न राज्यों और संघ प्रशासित क्षेत्रों को जो पंचायती रेडियो सेट दिए हैं, उसका ब्यौरा इसमें दिया गया है।

(ग) पंचायती रेडियों सेटों की देख रेख और चालू रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ प्रशासित क्षेत्रों की है। उनके मार्ग-दर्शन के लिए, सेटों की अच्छी तरह देख भाल की एक आदर्श योजना बना कर राज्यों, आदि को भेज दी गई है। अधिकांश राज्यों ने इस के आधार पर देख रेख के संगठन स्थापित कर लिए हैं।

## लखनऊ और वाराणसी में ट्रांसमिटर

**3841. श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ और वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में प्रसारण उपकरण अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली हैं और उन क्षेत्रों के श्रोताओं ने इस सम्बन्ध में शिकायतें की हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं। आकाशवाणी के लखनऊ केन्द्र में एक उच्चशक्ति का मीडियम वेव ट्रांसमीटर तथा एक शार्ट-वेव ट्रांसमीटर है। वाराणसी के रिले केन्द्र में एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगा है। लखनऊ के मीडियम वेव ट्रांसमीटर की वही शक्ति है जो बम्बई, कलकत्ता, बंगलौर और कुछ केन्द्रों को है तथा वाराणसी के ट्रांसमीटर की शक्ति रामपुर, नागपुर, कालीकट तथा धारवाड़ के यंत्रों के समान हैं। इन ट्रांसमीटरों के प्रसारण क्षेत्र से कोई गम्भीर शिकायत नहीं मिली है।

(ख) प्रसारण क्षेत्र बढ़ाने के लिये, वाराणसी के मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति को दुगना करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त वहां के सहायक रिले केन्द्र को आंशिक रूप से मौलिक कार्यक्रम प्रसारण केन्द्र में बदलने के लिये, स्टूडियो की व्यवस्था तथा लखनऊ में स्टूडियो के विस्तार पर भी विचार हो रहा है।

## जम्मू तथा इम्फाल के लिये ट्रांसमिटर

**3842. श्री रिशांग किशिंग :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और इम्फाल में बड़ा शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो ट्रांसमीटर की क्षमता क्या होगी; और

(ग) ट्रांसमीटर लगाने का कार्य कब प्रारम्भ होगा तथा कब पूरा हो जायेगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख) : जी, हां। जम्मू और इम्फाल के वर्तमान अल्पशक्ति मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की जगह उच्च शक्ति के मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना काल में।

## तुलीहाल हवाई अड्डा

**3843. श्री रिशांग किशिंग :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मणिपुर में इम्फाल के हवाई अड्डे को विस्तृत करने तथा उसमें सुधार करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य जब आरम्भ होगा; और

(ग) इस कार्य के हेतु कितनी धनराशि की गई है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : काम शीघ्र शुरू होने की आशा है। इस विषय मे विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

## यूरेनियम अयस्क मिल

**3844. श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

**श्री किन्दर लाल :** **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरेनियम अयस्क मिल पूरा करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) कब तक इसके चालू हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितना खर्च हुआ है ?

**प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) जदुगुडा में यूरेनियम मिल बनाने का अधिकांश काम पूरा किया जा चुका है तथा आशा है कि यह अगस्त 1966 के अंत तक समाप्त हो जायेगा।

(ख) वर्तमान अनुमान के अनुसार मिल इस वर्ष के अंत तक चालू हो जायेगी। किन्तु इसका चालू होना सितम्बर, 1966 में मिल को परीक्षणात्मक रूप से चालू करने में सफलता, कुछ पुर्जों तथा कच्चे माल के आयात, जिसके लिए कोशिश की जा रही है, पर निर्भर करेगा।

(ग) फरवरी, 1966 के अंत तक मिल, रिहाइसी वस्ती तथा पानी सप्लाई करने की योजना पर निम्नलिखित खर्च किया गया :—

| | |
|---|---|
| यूरेनियम मिल . . . . | 333 लाख रुपये (लगभग) |
| रिहाइशी बस्ती . . . . | 151 लाख रुपये (लगभग) |
| पानी सप्लाई करने की योजना . . . | 69 लाख रुपये (लगभग) |

**भुवनेश्वर में सैनिक स्कूल**

3845. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर (उड़ीसा) के सैनिक स्कूल में कितने विद्यार्थियों को शिक्षा देने की व्यवस्था है ; और

(ख) उन स्कूल में इस समय कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) तथा (ख) : स्कूल जब पूर्णतया विकसित हुआ उस की क्षमता 525 छात्रों की होगी। छात्रों की वर्तमान संख्या 457 है।

**आकाशवाणी के कटक और सम्बलपूर केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्ट**

3846 **श्री रामचन्द्र उलाका :**

**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में उड़ीसा में कटक और सम्बलपुर में पृथक पृथक आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को वेतन के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ;

(ख) क्या उक्त अवधि में इन स्टाफ आर्टिस्टों को कोई विशेष भत्ते भी दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क)

| | कटक | सम्बलपुर |
|---|---|---|
| | रु० | रु० |
| फीस और भत्ते के रूप में दी गई कुल राशि . . | 2,00,584 | 1,591 |

(ख) जी, नहीं। असैनिक पदों पर तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले सभी भत्ते अब आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को भी दिए जाते हैं। किन्तु, सम्बलपुर के उद्घोषकों को निश्चित दर से कुछ अधिक प्रारंभिक फीस दी जाती है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

**भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान हवाई अड्डों को क्षति**

3847. **श्री गुलशन :**

**श्री प० ह० भील :**

**श्री राम सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1965 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान किसी भारतीय हवाई अड्डे को क्षति हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो हवाई अड्डों को हुई क्षति तथा कुल हुई हानि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या क्षतिग्रस्त हवाई अड्डों की मरम्मत कर दी गई है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) कुछ हवाई अड्डों में कुछ नुकसान हुआ था।

(ख) विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

(ग) हुए नुकसान की शीघ्र ही उसी समय मरम्मत कर ली गई थी, और कोई भी हवाई अड्डा कभी भी आधे घण्टे से अधिक से सिवाए गैर चालू हालत में नहीं रहा था।

## सूचना अधिकारी

**3848. श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन-संचार के प्रशिक्षण और अनुसन्धान के लिए विदेशों में भेजे गये चार भारतीय सूचना अधिकारी लौट आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या कार्य सौंपा गया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) वे अधिकारी निम्नलिखित पदों पर कार्य कर रहे हैं :—

| | |
|---|---|
| सीनियर उप-प्रधान सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय . | 1 |
| प्रोफेसर, भारतीय जन सम्पर्क संस्थान . . . | 2 |
| प्रचार अधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय . . | 1 |

## छोटे समाचार पत्र

**3849. श्री मुहम्मद कोया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे समाचार पत्रों सम्बन्धी जांच आयोग द्वारा प्रतिपादित परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले कितने छोटे समाचार पत्र, समाचार पत्र संख्या के प्रस्तोता (रजिस्ट्रार) के यहां पंजीकृत हैं ; और

(ख) विज्ञापनों के मामले में सरकार ने इन समाचार पत्रों को क्या प्रोत्साहन दिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) : छोटे समाचार पत्रों की जांच समिति ने, अखबारों व पत्रिकाओं को छोटे वर्ग में रखने के लिए, यह कसौटी निर्धारित की है :—

| | |
|---|---|
| दैनिक पत्र . . . | प्रचार संख्या 20,000 प्रतियों से अधिक न हो और कुल वार्षिक आय $12\frac{1}{2}$ लाख से अधिक न हो। |
| अन्य प्रकाशन (सप्ताह में तीन बार और दो बार छपने वाले तथा साप्ताहिक, पाक्षिक, और मासिक)। | प्रचार संख्या 15,000 प्रतियों से अधिक न हो और कुल वार्षिक आय 5 लाख अधिक न हो। |

क्योंकि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की आय के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है, इसलिये यह बताना सम्भव नहीं है कि भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के यहां पंजीकृत पत्रों में से कितने इस वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

सरकार की नीति है कि छोटे समाचार पत्रों को और अधिक सरकारी विज्ञापन दिया जाए।

### उत्तर प्रदेश में एनकार्डीओनाइट इलेक्ट्रोनिक्स कारखाना

3850. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में गैर-सरकारी क्षेत्र में एक एनकार्डीओनाइट इलेक्ट्रोनिक्स कारखाना स्थापित किया जायगा ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस परियोजना के लिये केन्द्रीय सरकार कुल कितनी सहायता देगी ?

**प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) :** (क) से (ग) : चिकित्सा क्षेत्र में प्राय: काम आने वाले बहुसरणि अभिलेखों (मल्टीचेनल रिकार्डों) और परांतरित्रों (ट्रांस्डयूसरों) के निर्माण के लिए लखनऊ में एक फैक्टरी स्थापित करने की एक योजना अन्त:कालीन पंजीबन्धन के लिए स्वीकार कर ली गई है, और संबंधित पक्ष को इस आशय का पत्र लिख दिया गया है। इस उपकरण के प्रवर्तक को आशा है कि फैक्ट्री 2 वर्ष की अवधि में उत्पादन शुरू कर देगी। इस योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई विशेष सहायता अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

### Production of HF-24 Jets

3852. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Bade :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the time by which the first instalment of HF-24 planes would be out from the Hindustan Aeronautics Ltd., Bangalore ;

(b) the annual production capacity of the said concern ; and

(c) whether this would make India self-sufficient ?

**The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) :** (a) Production of HF-24, Mk.1, aircraft has commenced and some aircrafts have been delivered to the IAF.

(b) and (c). This project has built up talent and resources for the design, development and production of HF-24 type of aircraft and has been helpful in making progress towards self-sufficiency in aircraft production. It will not be in public interest to disclose the capacity for production of HF-24 aircraft.

### परमाणु बिजली घर

3854. **श्री पे० वेंकटासुबय्या :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री प० ला० बारूपाल :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री रवीन्द्र वर्मा :**
**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
**श्री राम सहाय पाण्डेय :**
**श्री तिरुमल राव :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा प्राधिकार द्वारा कहां-कहां पर बिजलीघर स्थापित किये जा रहे हैं और कितनी ऊर्जा तयार करने का विचार है ;

(ख) क्या इनके लिये वित्त की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो निकटवर्ती राज्यों में ऊर्जा किस प्रकार बांटी जायेगी ?

**प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) तथा (ग) : आवश्यक सूचना सहित एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6067/66।]**

**(ख)** जी हां।

**परमाणु शक्ति आयोग के प्रधान**

**3855. श्री दी० चं० शर्मा :**

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु शक्ति आयोग के लिये नये प्रधान की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी अभी नहीं । तथापि, इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

## अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की और ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC INPORTANCE

**पूर्वी पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय सीमा पुलिस पर हमला**

**श्री श० ना० चतुर्वेदी:** (फिरोज़ाबाद) : श्रीमान्, मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य द :—

"9 अप्रैल, 1966 को पूर्वी पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय सीमा पुलिस के गश्ती दस्ते पर हमला।"

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी)** : महोदय, पश्चिम बंगाल से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 9 अप्रैल, 1966 को लगभग साढ़े बारह बजे एक सीमावर्ती ग्राम गोसाईंपुर में गश्ती ड्यूटी करते हुए सिधाई की बाहरी सीमा चौकी (पुलिस स्टेशन, हिली, ज़िला पश्चिम दिनाजपुर) के तीन सिपाहियों ने एक पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए देखा। गश्ती दस्ते ने उसका पीछा किया। तथा गोसाईंपुर ग्राम की सीमा पर उसे गिरफ्तार कर लिया। तब गिरफ्तार हुए पाकिस्तानी नागरिक ने शोर मचाया, तथा उसकी चिल्लाहट सुनकर पाकिस्तानी बाहरी सीमा चौकी हठकोला (पुलिस स्टेशन पंचबीबी, ज़िला बोगरा) के अधीन उषनी ग्राम के लगभग पचास-साठ पाकिस्तानी नागरिक एकदम से भारतीय सीमा में घुसे, और सिपाही पर आक्रमण करके उसकी राईफ़ल छीन ले गये और पाकिस्तानी नागरिक को बचा कर ले गये। इस संघष के दारान एक सिपाही को साधारण चोटें आईं।

सम्बन्धित सशत्र पुलिस बटलियन के कमाण्डेन्ट ने पाकिस्तानी समकक्ष अधिकारी को विरोधपत्र दिया है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी विदेश मन्त्रालय की यह प्रार्थना की है कि पाकिस्तान की सरकार को इस घटना पर विरोधपत्र भेजा जाय।

**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का यत्न किया है कि लाठियोंसे लैस व्यक्तियों ने सीमा पुलिस के गस्ती दस्ते पर कसे काबू पा लिया ? क्या वे उनका प्रतिरोध इसलिये नहीं कर सके क्योंकि इस प्रकार के आदेश दे रख हैं कि जब तक इन पर गोली न चलाई जाय तब तक इन्हें पाकिस्तानीयों पर गोली नहीं चलानी चाहिये ?

**श्री हाथी** : इस घटना का विवरण, जिसका हमें पता लगा है, इस प्रकार है। तीन सिपाही गश्त लगा रहे थे जिनमें से एक सिपाही कुछ आगे था और अन्य दो सिपाही उसके पीछे थे। जब आगे वाले सिपाही ने एक पाकिस्तानी को भारतीय राज्यक्षेत्र में घुसते हुए देखा तो उसने उस का पीछा कर उस को पकड़ लिया। तब गिरफ्तार हुए पाकिस्तानी नागरिक द्वारा शोर मचाये जाने के फलस्वरूप निकटवर्ती गांव से लगभग पचास अथवा साठ व्यक्ति हमारी सीमा में घुस आय और हमारे सिपाही को पकड़ लिया। इतने में हमारे अन्य दो सिपाही भी वहां पहुंच गये। तत्पश्चात जो संघर्ष हुआ उसमें एक सिपाही को चोटे आईं और वे लोग राइफलें छीन कर भाग गये।

**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : प्रश्न यह है कि क्या गोली चलाई गई थी?

**श्री हाथी** : हमारी ओर से ऐसे कोई आदेश नहीं हैं कि गोली न चलाई जाये।

**श्री स० मो० बनर्जी** : (कानपुर) : क्या यह सच है कि ताशकन्द समझौते के पश्चात तथा विशेष रूप से पाकिस्तान और भारत के सैनिक अधिकारियों में हुई बैठक के पश्चात पूर्वी क्षेत्र विशेषकर बंगाल सीमा के बारे में कुछ समझौते किये गये थे कि पाकिस्तान द्वारा खोदे गये बंकरों तथा खाइयों को ठीक किया जाना था और भविष्य में ऐसी छुटपुट की वारदातों को नहीं होने देना था ; और यदि हां, तो सरकार ने इस मामले की ओर पाकिस्तान का ध्यान आकर्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और यदि पाकिस्तान सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है तो उनकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

**श्री हाथी** : जहां तक इस स्थान विशेष का सम्बन्ध है, वहां पर कोई बंकर नहीं है और जो लोग आय थे वे ग्रामीण लोग थे। अत: वहां पर बंकरों के होने का प्रश्न नहीं उठता।

**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते है कि यदि विरोध-पत्र भेजा गया है तो उनकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है?

**श्री हाथी** : इस प्रकार की छोटी मोटी बातें होती रहती हैं।

**Shri Vishwa Nath Pandey** (Salempur) : Has Government sent any protest note to Pakistan in regard to this matter; and if so, the reaction of the Government of Pakistan thereto?

**Shri Hathi** : An appeal has been made but no reply has so far been received.

**Shri Yashpal Singh** (Kairana) : The Tashkent Declaration is being violated by Pakistan almost daily; may I know as to how long Government would go on tolerating it and what are the measures by adoption of which Government can persuade Pakistan to honour this Declaration ?

**Shri Hathi** : Such people who try to enter our territory like this, are to be prevented from doing so and for this we should strengthen our outposts. The Ministry of Foreign Affairs have written to the Government of Pakistan so that such incidents do not occur in future.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** (Dewas) : It appears that this place is very vulnerable and in view of this whether Government has made any arrangement to deploy troops there or otherwise ? Have any instructions been issued to the police patrols to the effect that in such circumstances, they should immediately open fire ?

**Shri Hathi** : They have been instructed to open fire at such occasions. It has also been decided that, instead of three constables there should be ten constables on patrol duty.

**श्री हेम बरुआ** : (गोहाटी) : ताशकन्द समझौते के उल्लंघन का यह एक स्पष्ट मामला है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 7 अप्रैल क। प्रधान मंत्री ने सभा को बताया था कि पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे उल्लंघनों की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये रूस सरकार ने अपना एक प्रतिनिधि भेजा है; क्या वह यह बता सकता हैं कि रुस के प्रतिनिधि के बारे में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्री हाथी** : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है हमें इसे ताशकन्द समझौते का उल्लंघन नहीं मानना चाहिये क्योंकि पाकिस्तान ने इससे भी अधिक गम्भीर कई और बाते की हैं जिन को हम उठा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस घटना विशष के बारे में कोई प्रश्न उठाया जाये।

**श्री हेम बरुआ** : मैं रूस सरकार द्वारा पाकिस्तान में भेजे गये प्रतिनिधि के प्रति पाकिस्तान का रवैया जानना चाहता हूं।

**प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : ऐसा मालूम हुआ कि वास्तव में वहां पर कोई प्रतिनिधि नहीं गया है। मुझे बताया गया था कि रूस के किसी प्रतिनिधि द्वारा यह मामला पाकिस्तान से उठाया जायेगा। अब वह कौन होगा अथवा वह कब जायेगा, यह सब मुझे नहीं बताया गया था और न ही मैंने पूछा था।

**Dr. Ram Manohar Lohia** (Farrukhabad) : I rise on a point of order, Sir. I have already submitted a privilege motion against the Prime Minister in this regard. The Prime Minister had stated in this House the other day that the Soviet Government had sent an emissary to Pakistan. But the Government of Pakistan has now refused having received any emissary from the Soviet Union. It is Obvious that either Soviet Russia or Pakistan or the Prime Minister has told a lie. Now if the Prime Minister gives on explanation to the effect that either Soviet Russia or Pakistan has told a lie, then the matter will end there. otherwise the House will take it that she has told a lie and thus tried to mislead this House. In this latter case, I would suggest that this question of privilege might be referred to the Committee of Privileges so that the House could know as to how such statements are made.

**श्री हेम बरुआ** : मैंने इस बारे में विशेषाधिकार प्रस्ताव की पहले ही सूचना भेज दी है। 7 अप्रैल को मेरे एक प्रश्न के उत्तर में प्रधान मंत्री ने बताया था कि इस सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये सोवियत संघ ने किसी व्यक्ति को पाकिस्तान भेज दिया है। चूंकि प्रधान मंत्री की यह एक महत्वपूर्ण घोषणा थी अत: समाचारपत्रों में इसे मोटे मोटे शीर्षक दे कर छापा गया। तत्पश्चात समाचारपत्रों में यह भी छपा कि पाकिस्तान ने इस बात से इन्कार कर दिया है कि वहां सोवियत रूस का कोई प्रतिनिधि आया है क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि उसने ताशकन्द समझौते का उल्लंघन नहीं किया है परन्तु भारत ने इसका उल्लंघन किया है। चाहे कुछ भी हो, प्रधान मंत्री ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि वह दूत वहां नहीं गया है। परन्तु ७ अप्रैल को उन्होंने कहा था कि दूत पहले ही रावलपिंडी चला गया है। ये दोनों बातों आपस में मेल नहीं खाती हैं।

**श्री रंगा** : (चित्तूर) : मेरी समझ में नहीं आता कि इस समय विशषाधिकार का प्रश्न कैसे उठता है क्योंकि हमारे पास सारी जानकारी नहीं है ? जब पत्र उपलब्ध न हो तो कोई भी गलती कर सकता है। परन्तु गलती को ठीक करना सद्र का अधिकार तथा कर्त्तव्य है। इसलिये यदि प्रधान मंत्री जी चाहें तो वह अपने वक्तव्य सम्बन्धी गलती ठीक कर सकती हैं। तब विशेषाधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता है।

**Dr. Ram Manohar Lohia** : It appears that you are going to become the Deputy Prime Minister.

**श्री ही० ना० मुकर्जी** : (कलकत्ता मध्य) : मेरी समझ में यह नहीं आया कि प्रधान मंत्री ने अपने पहले वक्तव्य को सभा के समक्ष ठीक क्यों नहीं किया। परन्तु आज उन्होंने ठीक कर लिया है। इसके लिये मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता। फिर भी हम आशा करते हैं कि जब कभी किसी मंत्री अथवा प्रधान मंत्री से वक्तव्य देने में कोई गलती हो जाये, विशेषकर किसी अन्य देश से सम्बन्धित वक्तव्य में, तो उन्हें यथा-सम्भव शीघ्र सभा के समक्ष उसे ठीक करना चाहिये। परन्तु आज क्या हुआ है। मामले के प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी मंत्री महोदय अनिच्छुक थे। श्री हाथी हिचकिचा रहे थे। मैं उन्हें दोष नहीं देता हूं क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। परन्तु प्रधान मंत्री वहां थीं और उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। यह गलत बात है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री मुकर्जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधान मंत्री सहित सभी मंत्रियों को चाहिये कि जब कभी उनके वक्तव्य में अशुद्ध बात कही जाये और उन्हें उसका पता लग जाये तब उन्हें स्वयं सभा में उसको ठीक करना चाहिये।

**Shri Bagri** (Hissar) : Mr. Speaker, Sir. You have also said the same thing.

**Mr. Speaker** : Then, is there a privilege motion against me also?

**Dr. Ram Manohar Lohia** : You have been mislead by the Prime Minister.

**Mr. Speaker** : The question is not of misleading me. If it is found that a certain inaccuracy has crept up in the Statement but unless it is proved that it has been done so deliberately the question of privilege motion does not arise. Therefore to presume at this time that facts were known and a wrong statement was given deliberately is not correct. She had said that an impression was given to her that they would take some steps in regard thereto.

**श्री हेम बारुआ** : जी नहीं उन्होंने कहां है इसका अर्थ यह हुआ कि मास्को से रावल पिंडी कोई भेजा गया है।

**Dr. Ram Manohar Lohia** : Sir, you had yourself said that the Prime Minister has told that a man has been sent from Russia.

**Mr. Speaker** : I merely repeated what she had said.

".....they have sent somebody there to talk this over.

**Dr. Ram Manohar Lohia** : You should not give shelter to the Prime Minister like that.

**Mr. Speaker** : I dont know what sin I have committed by repeating the statement. I have not become responsible for repeating it.

**Dr. Ram Manohar Lohia** : You had not given any statement. You were simply mislead.

**श्री हेम बरुआ** : प्रधान मंत्री को सभा में माफी मांगनी चाहिये। उस से मामला समाप्त हो सकता है।

**Mr. Speaker** : Order, Order. There should not be any further discussion. Let me hear the Hon. Prime Minister.

**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मेरे विचार से आपके तथा प्रधान मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वक्तव्य किसी विशेष संदर्भ में समय व स्थान को ध्यान में रखते हुए ही दिये जाते हैं। प्रधान मंत्री ने अपना वक्तव्य बड़ी दयानतदारी से दिया था।

**श्री बागड़ी** : क्या यह दयानतदारी है ?

**श्री दी० चं० शर्मा :** उनके पास यही जानकारी थी। सभा को गुमराह करने की कोई बात न थी। उन्होंने वक्तव्य किसी विशेष संदर्भ में दिया था। और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों सम्बन्धी संदर्भ समय समय पर बदलता रहता है। अत: इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। प्रधान मंत्री ने किसी भी तरह सभा को गुमराह नहीं किया था।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** प्रो० शर्मा ने ठीक ही कहा है कि सभा को गुमराह करने की मेरी कोई मन्शा न थी और न ही मैंने गुमराह किया है। ताशकंद समझौते के तुरन्त बाद पाकिस्तान में उस समझौते के विपरीत कुछ घटनायें घटी थी। हम उन घटनाओं के बारे में रूस सरकार को सूचित करते रहे हैं। रूस सरकार भी उस पर कार्यवाही करती रही है। कम से कम वे हमें कहते रहे हैं कि वे पाकिस्तान के साथ उस मामले को उठाते है। जब पाकिस्तान कोई शिकायत करता है तो वह हमारे प्राधिकारियों से पत्रव्यवहार करते हैं।

**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : उन्होंने भेजने का वचन दिया है .....

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** निश्चय ही उन्होंने मेरे से कहा है कि पाकिस्तान ने भी शिकायत की है। इस संदर्भ में ही पाकिस्तान ने कहा था कि "हम मामले को उठाते हैं और उठाते भी रहेंगे।" जहा तक किसी व्यक्ति को भेजने का सम्बन्ध है उन्होंने नहीं बताया था किस को भेजा जायेगा।

**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या उन्होंने वास्तव में किसी व्यक्ति को भेजा था ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

**श्री हेम बरुआ :** उन्हें रूस के प्रधान मंत्री ने गुमराह किया था।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** मुझे किसी ने गुमराह नहीं किया था।

**Dr. Ram Manohar Lohia :** The Prime Minister had said previously that Russia has taken up the matter with Pakistan in regard to the violation of Tashkent Declaration. There was no mention of Indian side. But now she has said that Bharat was also involved. Therefore the two statements of the Prime Minister are paradoxical. That is why I want to raise a question of privilege.

**Mr. Speaker :** After hearing all this I am still of the same opinion that the Prime Minister had not tried to mislead the House deliberately. Therefore the question of breach of privilege does not arise at all.

**श्री रंगा :** पहले प्रधान मंत्री ने कहा था कि एक व्यक्ति वहां भेज दिया गया है परन्तु आज सुबह उन्होंने कहा है कि किसी को नहीं भेजा गया है। अब उन्हें सभा को सूचित करना चाहिये था कि मेरे द्वारा वक्तव्य गलत दिया गया था और अब म उस गलती को ठीक करना चाहती हूं।

**श्री ही० ना० मुकर्जी :** यह प्रश्न तो तथ्य का है। जो कुछ प्रधान मंत्री जी ने 7 अप्रैल को कहा वह रिकार्ड में है। कोई नहीं चाहता कि प्रधान मंत्री माफी मांगे जब तक नितान्त आवश्यक न हो। इसलिये मेरी समझ में नही आता कि वह क्यों नहीं कह देती कि मैंने गलत बयान दिया था ?

**श्री हेम बरुआ :** श्री दी० चं० शर्मा ने कहा था कि इसे संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री दी० चं० शर्मा ने चाहे कुछ भी कहा हो।

**श्री हेम बरुआ :** क्या मैं अब उस संदर्भ में पढ़ सकता हूं ?

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसकी अनुमति नहीं देता। **(अन्तर्बाधायें)***

**अध्यक्ष महोदय :** यह गलत तरीका है। मैं उन्हें न बोलने के लिय कह रहा हूं। इसे कार्य वाही में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। **(अन्तर्बाधायें)***

*कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : जो कुछ प्रधान मंत्री जी ने कहा है मैं उससे अंशत: संतुष्ट हूं। उन्हें यह कह देना चाहिये था कि सोवियत नेताओं से बातचीत करके मैंने अनुमान लगाया था कि उन्होंने किसी को पाकिस्तान भेजा है। परन्तु अब स्पष्टीकरण करके पता लगा कि किसी को नहीं भेजा गया है है। यदि वह यह बात कह देती तो सारी बात स्पष्ट हो जाती।

**श्री खाडिलकर** (खेड) : मेरा विचार है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न बहुत तुच्छ आधार पर उठाया गया है, और आपने जो विनिर्णय दिया है वह ठीक है।

**श्री नाथ पाई** : आप गलत बात कर रहे है।

**श्री हेम बरुआ** : वह यह कहने वाले कौन होते हैं ?

**श्री नाथ पाई** : उनकी आवाज का कोई वजन नहीं होगा।

**श्री हेम बरुआ** : यह मामला सदा के लिये हल किया जाना चाहिये। संसद-सदस्य होने के नाते हमारा यह कर्त्तव्य था इसीलिये मैंने यह विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं बोल रहा हूं तथा एक और माननीय सदस्य ने बोलना शुरू कर दिया है। मैंने श्री हेम बरुआ को बुलाया नहीं परन्तु उन्होंने उठाकर बोलना शुरू कर दिया है।

**श्री हेम बरुआ** : उन्होंने मेरे प्रस्ताव को तुच्छ कहा है। मैं इसे सहन न कर सकता।

**श्री खाडिलकर** : मैं इसे दस बार और दोहरा सकता हूं।

**श्री नाथ पाई** : मैं देखता हूं वह कैसा दोहरा सकते हैं ?

**श्री हेम बारूआ** : * *

**अध्यक्ष महोदय** : यह बात कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

**श्री खाडिलकर** : मैं एक बात आपके तथा सभा के विचार के लिये प्रस्तुत करता हूं। यदि हम एक बात को ले कर यह कहने लग जायें कि प्रधान मंत्री ने जानबुझ कर यह बात कही थी तो मेरे विचार से यह ठीक बात नही है। मैंने "तुच्छ" शब्द का प्रयोग इसलिये किया था ताकि सभी सदस्य, विरोधी दलों के सदस्य भी, सोच समझ कर शब्दों का प्रयोग करें। यह शब्द असंसदीय भी नहीं था। प्रधान मंत्री की की अनौपचारिक बातचीत हुई थी और उनकी ऐसी धारणा हो गयी थी और सभा को विश्वास में लेकर उन्होंने कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया। इसलिये मैं फिर कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना .....

**श्रीमती इंदिरा गांधी** : मैं समझती हूं कि जो बात मैंने वास्तव में कही थी वह वही थी जो श्री हेम बरुआ ने कही है।

**श्री हेम बरूआ** : प्रधान मंत्री जी को मेरे शब्द पढ़ने दीजिये।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : मैं उन्हें जानती हूं। मैंने पढ़ा है। वह "प्रावदा" रिपोर्ट के बारे में था। अत: दो चीजें आपस में मिल गयी थी। एक बात तो भूतकाल के बारे में थी और वे इन मामलों में पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे थे। फिर मैंने कहा था कि भविष्य में कोई वक्त भेजा जायेगा। कौन भेजा जायेगा यह मने स्पष्ट नहीं किया था। इसीलिये दोनों बातें आपस में मिल गई। उसी कारण यह सब गलतफहमी हो गयी। मेरे मन में उस समय दो बातें थी और मैं सभा को सूचित करती हूं कि मैं सभा को गुमराह नहीं करना चाहती थी।

*कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

## ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)
RE. CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

**Shri Bagri** (Hissar) : May I know what has happened to the item Calling Attention Notice ?

**Mr. Speaker :** Order, order.

**Dr. Ram Manohar Lohia** (Farrukhabad) : Sir, the item Calling Attention Notice should not be ignored. I have also to raise discussion regarding Shri Shastri's death in Tashkent along with that discussion.

**Mr. Speaker :** You please sit down.

**Dr. Ram Manohar Lohia :** The hon. Minister for External Affairs has told a lie regarding the death of Shri Shastri in Tashkent....

**Mr. Speaker :** Papers to be laid on the Table.

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

**बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, आय-कर अधिनियम, केरल स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें**

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):** श्री ब० रा० भगत की ओर से मैं इन पत्रों को सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 की धारा 96 की उपधारा (2) के अन्तर्गत बम्बई पुनर्गठन (पुनर्गठित निगमों की हानि-अनुभाजन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 29 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1038 में प्रकाशित हुये थे।

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 280 जेड०ई० की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर प्रत्यय प्रमाणपत्र (अतिरिक्त निष्कासन पर उत्पादन-शुल्क) संशोधन योजना, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 1 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 489 में प्रकाशित हुई थी।

(3) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुये उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल स्टाम्प अधिनियम, 1959 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 426/65 जो दिनांक 7 सितम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 9/66 जो दिनांक 11 जनवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(4) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल स्टाम्प अधिनियम, 1959 की धारा 69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम्स० 927/65/आर० डी० की एक प्रति, जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

**(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० 6060/66 एल० टी० 6061/66 एल० टी० 6062/66 और एल० टी० 6462/66।)**

**कर्मचारी राज्य बिमा निगम के वर्ष 1965-66 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों तथा वर्ष 1966-67 के बजट प्राक्कलन**

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1965–66 के पुनरिक्षित प्राक्कलनों तथा वर्ष 1966–67 के बजट प्राक्कलनों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

**[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 6004/66।]**

## सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति
## LEAVE OF ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF HOUSE

**अध्यक्ष महोदय** : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने सोलहवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में बताई गयी अवधि के लिये सभा बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :—

(1) श्री कोल्ला वेंकैया।
(2) श्री अ० क० गोपालन।
(3) डा० सारादीश राय।
(4) श्री दशरथ देव।
(5) श्री बासप्पा।
(6) श्री गयासुद्दीन अहमद।
(7) श्री खाडिलकर।
(8) श्री काशीनाथ पांडे।
(9) श्री छोटूभाई पटेल।
(10) श्री बीरेन दत्त।
(11) श्री लक्ष्मी दास।
(12) श्री नम्बियार।
(13) सैयद बदरुद्दुजा।
(14) श्री यु० द० सिंह।
(15) श्री कनकसबै।
(16) श्री प० कुन्हन।
(17) श्री म० ना० स्वामी।
(18) श्री नल्लाकोया थांगल।
(19) श्री वि० तु० पाटिल।
(20) डा० ब० ना० सिंह।
(21) श्री उमानाथ।

अब क्या मैं यह समझ लूं कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है ?

**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : इस सूचि से पता लगता है कि आधे से अधिक आवेदन-पत्र नज़बन्द व्यक्तियों के हैं। इसलिये समिति ने ठीक ही सिफारिश की है क्योंकि अनुपस्थित रहने के लिये उनका कोई दोष नहीं है। साथ ही साथ मेरा निवेदन यह भी है कि सारे दल को बाहर रखने की सरकार की वर्तमान प्रथा समाप्त होनी चाहिये। इसलिये जब हम इस प्रतिवेदन को स्वीकार करते हैं तो हम यह भी सिफारिश करते हैं कि सभी नजरबन्द सदस्यों को तुरन्त रिहा किया जाये।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : 21 सदस्यों में से 11 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने नजरबन्द होने के कारण आवेदन-पत्र भेजे हैं। उनमें से दो रिहा हो चुक हैं और एक पैरोल पर है।

मेरा निवेदन है कि इन में से किसी सदस्य को अवकाश लेने की इच्छा नहीं थी . . . . .

**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन्होंने छुट्टी की अर्जी नहीं भेजी है।

**श्री खाडिलकर** (खेड) : हर एक ने भेजी है।

**श्री रंगा** (चित्तूर) : उनके पास और कोई चारा नहीं था।

**श्री स० मो० बनर्जी** : दुसरी बात म यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन सदस्यों ने लिखा है कि उनको कितनी अवधि के लिये छुट्टी चाहिये। मेरा निवेदन है कि उनको पता नहीं है कि वे कितने समय तक नजरबन्द रहेंगे। जब तक सरकार चाहे उनको जेल में रहना पड़ेगा। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि क्या आपातकाल और भारत सुरक्षा नियमों को समाप्त करने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है। दो बजट सत्र गुजर चुके हैं और उनमें से अभी किसी को भी रिहा नहीं किया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : भारत रक्षा नियमों तथा सदस्यों की रिहाई का मामला इस समय नहीं उठाया जा सकता है। इस समय तो अनुपस्थिति की अनुमति के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरे मामले नहो उठाये जा सकते हैं। यदि समिति के सभापति चाहें तो उत्तर दे सकते हैं।

**श्री स० मो० बनर्जी** : उन्हें दोनों बातें स्पष्ट करनी चाहिये। उन्हें रिहा भी किया जाना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न को हम कैसे उठा सकते हैं।

**श्री स० मो० बनर्जी** : यह मामला समिति की सिफारिशों के लिये उन्हें सौंपा जाना चाहिये। जब बजट सत्र चल रहा है तो क्या वे जेल में ही रहें।

**अध्यक्ष महोदय** : हम केवल अनुपस्थिति की अनुमति के बारे में ही विचार कर सकते हैं।

**श्री बूटा सिंह** (मोगा) : समाचारपत्रों में ऐसा बताया गया था कि गृह-कार्य मंत्री पंजाबी सूबे पर वक्तव्य देने वाले हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि वह कब वक्तव्य देने वाले हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : जब किसी एक विषय पर चर्चा हो रही हो तो माननीय सदस्यों को उस पर ही बातचीत करनी चाहिये।

**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : श्री बरदुजा ने डर के कारण इस सत्र के अन्त तक के लिये छुट्टी मांग ली थी। परन्तु उनका डर सच न हुआ और उन्हें पहले ही रिहा कर दिया गया। उन्होंने 14 फरवरी से 13 मई, 1966 तक छुट्टी मांगी थी परन्तु उन्हें 15 फरवरी को रिहा कर दिया गया। अतः दो दिन की छुट्टी की सिफारिश की गई है। मेरा विश्वास है कि दूसरे के साथ यह बात नहीं हो सकती है।

श्री कनकसबै ने 15 अप्रैल तक छुट्टी मांगी है। परन्तु आज 18 अप्रैल हो गया है।

श्री वि० तु० पाटिल ने 20 अप्रैल तक छुट्टी मांगी है। वह स्पष्टतया 8 मार्च को बीमार हो गये और उन्होंने 20 अप्रैल तक छुट्टी मांग ली। मेरे विचार से कहना यह मुमकिन नहीं है कि बीमार व्यक्ति कब तक बीमार रहेगा। इस बारे में बताया जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें यह नहीं पूछना चाहिये। यह सदस्य की अपनी मर्जी है।

**श्री सोनावने** (पंढरपुर) : माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं।

**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं प्रसन्न हूं कि वे वापिस आ गये हैं।

डा० ब० ना० सिंह ने 16 फरवरी से 13 मई तक अर्थात् 87 दिन की छुट्टी मांगी है। उन्होंने यह छुट्टी बीमार होने के कारण मांगी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपनी अर्जी में लिखा है कि उनको क्या बीमारी है जिस लिये उन्होंने इतनी लम्बी छुट्टी मांगी है।

**Dr. Ram Manohar Lohia** (Farrukhabad) : Has Shri Gopalan also applied? We have come to know that he is not keeping good health and that is why he is asking for leave. I would therefore request that his case must be considered and he should be released. His condition is serious and he cannot even sleep.

**श्री खाडिलकर :** समिति ने श्री गोपालन की छुट्टी की सिफारिश की है क्योंकि वह नजरबन्द है। उनकी बीमारी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जहां तक संभव हो हम सदस्यों के स्वास्थ के बारे में पूछते रहते हैं। श्री य० द० सिंह ठीक है और वे सभा में आने लग गये हैं। श्री गया सुद्दीन अहमद का धुबरी में उपचार हो रहा है। श्री कनकसबै के घर से कोई सूचना नहीं आयी है। श्री पाटिल भी निकट भविष्य में सभा में आने लग जायेंगे।

**एक माननीय सदस्य :** वह यहां ही है।

**श्री खाडिलकर :** डा० ब० ना० सिंह को सांस का रोग है। परन्तु उनके घर से कोई उत्तर नहीं आया है।

**श्री स० मो० बनर्जी :** अध्यक्ष महोदय मैं एक प्रश्न पर आप का विनिर्णय चाहता हुं। मान लीजिये कि मैं जैल में हूं और मुझे 15 रोज के लिये पैरोल पर छोड़ दिया जाता है और मैं सभा में आता हूं तो क्या मुझे अनुपस्थित दिखाया जायेगा जबकि मैं संसद में वास्तव में आया हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं असंगत प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता।

**श्री स० मो० बनर्जी :** यह असंगत प्रश्न नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं यह समझ लेता हूं कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है।

**कुछ माननीय सदस्य :** जी, हां जी, हां।

**अध्यक्ष महोदय :** सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायगा।

---

## आ घण्टे की चर्चा का स्थगन

## POSTPONEMENT OF HALF-AN HOUR DISCUSSION

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा को सूचित करना है कि कार्यसूची में दी गई आधे-घण्टे की चर्चा आज नहीं ली जायेगी। माननीय सदस्य ने प्रार्थना की थी और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है।

---

## लोक लेखा समिति

## PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

### अड़तालीसवां प्रतिवेदन

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** (बुलन्दशहर) : मैं विनियोग लेखे (प्रतिरक्षा सेवायें) 1963-64 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिरक्षा सेवायें) । 1965 के बारे में लोक लेखा समिति का अड़तालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

## दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक
## DELHI HIGH COURT BILL

### प्रवर समिति का प्रतिवेदन

**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र के लिये एक उच्च न्यायालयो के गठन, हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य-क्षेत्र पर उस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तारण तथा तत्संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

### साक्ष्य

**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र के लिये एक उच्च न्यायालय के गठन, हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य-क्षेत्र पर उस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तारण तथा तत्संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

---

## याचिक का उपस्थापन
## PRESENTATION OF PETITION

**श्री शिवमूति स्वामी** (कोपाल) : में खाद्य तथा कृषि के लियें बजट आवटनों के बारे में पाच याचिका कर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हुं ।

## मंत्री द्वारा वक्तव्य
## STATEMENT BY MINISTER

### वर्तमान पंजाब राज्य का पुनर्गठन

**गृह-कार्य मंत्री** (श्री नन्दा) : भारत सरकार का विचार वर्तमान पंजाब राज्य में से दो राज्य-पंजाब तथा हरियाना बनाने के बारे में कार्यवाही करने का है । हिमाचल प्रदेश में, जो संघ राज्य-क्षेत्र बना रहेगा, वर्तमान पंजाब राज्य के हिन्दी क्षेत्र के ऐसे पहाडी क्षेत्रों को मिला दिया जायगा जो हिमाचल प्रदेश के साथ लगते हैं और जिनका सांस्कृतिक तथा भाषायी आधार पर इस राज्य-क्षत्र से सम्बन्ध है । इन राज्यो की सीमाएं निश्चित करने के लिये सरकार यह आवश्यक समझती है कि एक आयोग इसकी जांच करे और सरकार ने एक आयोग नियुक्त करने का फैसला किया है ।

आयोग वर्तमान पंजाब राज्य के हिन्दी और पंजाबी प्रदेशों की वर्तमान सीमाओं की जांच करेगा और सिफोरिश करेगा कि प्रस्तावित पंजाब और हरियाना राज्यों की भाषाई एकता बनाये रखने के लिये कौन कौन से परिवर्तन किये जांय । आयोग वर्तमान पंजाब राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों की उन सीमाओं के बारे में भी बतायेगा जिनका हिमाचल प्रदेश से भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर सम्बन्ध है । आयोग 1961 की जनगणना के आंकड़ों तथा अन्य बातों का पूरा ध्यान रखते हुए भाषाई सिद्धान्त अपनायेगा । आयोग प्रशासनिक सुविधा तथा आर्थिक सुव्यवस्था, भौगोलिक समीपता और संचार सुविधा जैसी अन्य बातों का भी ध्यान रखेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा जो भी फेर बदल किया जायगा उनमें वर्तमान तहसीलों को नहीं तोड़ा जायगा । आयोग अपना कार्य समाप्त कर के मई 1966 के अन्त तक सरकार को अपना प्रतिवेदन दे देगा ।

पुनर्गठन की योजना को क्रियान्वित करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के अन्तर्गत कानून बनाने होंगे । सरकार ने फैसला किया है कि संविधान के अनुच्छेद 3 में संशोधन करने वाला एक विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश किया जाय। इससे प्रस्तावित आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद जैसा भी निर्णय हो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिलाने के लिये संसद को आवश्यक अधिकार मिल जायेगा ।

जैसे ही नये राज्यों की सीमायें निश्चित हो जायेगी, संशोधित रूप में अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत आवश्यक विधान प्रस्तुत किया जायगा और यदि अगले अधिवेशन के आरम्भ में संसद इसे पारित कर देगी तो आशा है कि हम पुनर्गठन 1 अक्तूबर, 1966 से कर सकेंगे ।

नई दिल्ली को छोड़ कर दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को ही हरियाना राज्य में मिलाने के बारे में सरकार ने बड़ी सावधानी से विचार किया है । पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली पूर्णतया एकीकृत प्रशासनिक एकक है और यह राष्ट्रीय संसद और राष्ट्रीय सरकार का मुख्यालय है । दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक अखण्डता को किसी प्रकार भी तोडना संभव तथा वांछनीय नहीं होगा पंजाब के प्रस्तावित पुनर्गठन से समीपवर्ती राज्यों के राज्यक्षेत्र पर किसी प्रकार भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : आयोग में कौन कौन व्यक्ति होंगे ?

**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : मुझे प्रश्न पूछने की बजाय इस वक्तव्य के बारे में कुछ कहने की अनुमति दी जाय ।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री के वक्तव्य के बारे में केवल प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं ।

**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : अन्य व्यक्तियों को भी ऐसा करने की अनुमति दी जाय ।

**श्री कपूर सिंह** : हरियाना प्रान्त और पंजाबी भाषा राज्य की सीमाओं के निर्धारण के लिये 1961 की जनगणना के आंकड़ो को आधार माना जायगा । क्या सरकार को पता है कि 1961 की जनगणना के आंकड़े भाषाई आधार पर एकत्र नहीं किये गये थे । क्या गृह मंत्री या सरकार यह चाहती है कि पंजाबी-भाषी राज्य एक सिख राज्य हो या भाषायी राज्य ?

**श्री नन्दा** : अन्य बातों के साथ साथ इस पर भी ध्यान दिया जायगा । मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता ।

**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : मंत्री महोदय को इस विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देना ही चाहिये ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : संसदीय समिति का प्रतिवेदन आ ही चुका है । कई मामले उठाये गये हैं । इस प्रस्तावित आयोग के निदेश-पदों में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें प्रश्न द्वारा स्पष्ट नहीं कराया जा सकता ।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई सदस्य नोटिस देता है तो सरकार यह फैसला कर सकती है कि वह इस पर चर्चा के लिये तैयार है या नहीं ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इसीलिये मैं ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहता जिनका मंत्री महोदय विस्तार से उत्तर न दे सकें । इसलिये सरकार को इस पर चर्चा के लिये एक प्रस्ताव पेश करना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने एक सुझाव दिया है । वे इस बारे में विचार करेंगे ।

**श्री कपूर सिंह** : मेरी प्रार्थना पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय ।

**Shri Rameshwaranand** (Karnal) : Previously when this question was raised it was said that Panjabi Suba will not be formed as this step would be communal. How this declaration has been made now ? From Sardar Kapur Singh's statement it appears that it would be a Sikh State. Will Hindus be thrown out from there ?

**Mr. Speaker** : He has not said so.

**Shri Tyagi** (Dehradun) : In Article 2 of the Constituted it is said that "Parliament may by law admit into the Union or establish new States on such terms and conditions as it thinks fit". I do not like the bifurcation of the country on the basis of language or community. But Government are taking all powers with them. Will the sanction of Parliament be sought after all arrangements are completed. ? Parliament is a sovereign body. First a bill should be brought forward here.

**Mr. Speaker** : Order, order. At present only questions can be put. This is not the time for making statement and criticism.

**Shri Tyagi** : On a point of order. Can Government act over the head of Parliament.

**Mr. Speaker** : He has to consider that.

**Shri Prakash Vir Shastri** (Bijnaur) : The Government decided about the division of Panjab. A parliamentary committee submitted a report to the effect and today a criteria has been put for the demarcation of boundaries. But Parliament was not taken into confidence. I want that before a bill is brought forward the views of the representatives of the people should be known to the Government.

Secondly, it is said that census of 1961 will be one of the factors with due regard to other considerations in deciding upon the boundaries. Why Government is not firm on this. Has he kept in view the results of this division,

Before implementing the decision whether there will be functioning the same Government in Panjab or there will be President's rule.

**Shri Nanda** : We shall consider that.

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (धनबाद) : क्या सरकार ने किसी प्रकार के मत-संग्रह के जरिये दिल्ली की जनता की राय पता लगाने की कोई योजना बनायी है ?

**श्री नन्दा** : कई राय है और कई बातें हैं । सभी बातों पर विचार करके सरकार एक निष्कर्ष पर पहुंची है । यदि संसद कोई निर्णय करना चाहती है तो कर सकती है ।

**Shri B. P. Maurya** (Aligarh) : It is in a democratic way that States are reorganised on the basis of language and facility of public. Has the attention of Government been drawn to the demand put forward for the merger of old Delhi, Haryana and 20 districts of U.P. into Greater Delhi ?

**श्री अ० प्र० शर्मा** (बक्सर) : श्री मौर्य बिल्कुल असंगत बातें कर रहे हैं । उन्हें और बोलने की इजाजत न दी जाय ।

**श्री दी० चं० शर्मा** : गृह-मंत्री जी के वक्तव्य पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठ सकता है । उन्होंने अपने वक्तव्य में चार बातें उठायी हैं । यह हमारे बड़े नेताओं की नीति के विरुद्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये ।

श्री वी० चं० शर्मा : इस आयोग के सदस्य कौन कौन होंगे ?

श्री नन्दा : जैसे ही फैसला हो जायगा, सभा को सूचित कर दिया जायगा ।

**Shri Jagdev Singh Siddhanti** (Jhajjar) : Old Delhi should be included in Haryana.

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह अच्छा होता यदि 1955 और 1956 में इस सभा में भाषाई आधार पर प्रान्तों अथवा राज्यों के पुनर्गठन सम्बन्धी विधेयक पर बहस के समय श्री त्यागी जरा सजग रहते । तब उन्हें क्या हो गया था । इस मामले पर चर्चा होनी चाहिये । मुझे आशा है कि सरकार इसके लिये कुछ समय निकालेगी । इस आयोग के सदस्यों के बारे में चुप्पी क्यों साधी जा रही है ? क्या यह कोई गोपनीय बात है ।

श्री नन्दा : जी, हां । इस बारे में जैसे ही फैसला हो जायेगा सभा को बतला दिया जायेगा ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : इसमें एक सदस्य होगा या ज्यादा ।

श्री नन्दा : एक भी हो सकता है । ज्यादा भी हो सकते हैं ।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** (Dewas) : I want to know whether Government is firm on the assurance given to Shri Yagya Datt Sharma ?

**Shri Bagri** (Hissar) : What was the assurance given ?

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने कोई आश्वासन दिया था । और यदि हां, तो क्या आश्वासन दिया था ?

श्री नन्दा : वह आश्वासन किस को कह रहे हैं ।

**Shri Bagri** : In view of the demand for Greater Haryana Province is Government prepared to consider the formation of Haryana which includes Agra, Meerut, Bharatpur etc. ? Is it proper to keep that Govt. their which opposed the formation of Panjabi Suba earlier ?

**Mr. Speaker** : He has said that no other State will be touched.

**Shri Nanda** : This is a wrong question. The views expressed at particular stage have no bearing. The decision taken should be implemented.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : My question has not been answered. Shri Yagya Datt Sharma broke his fast on the assurance given by Govt.....

**Mr. Speaker** : Neither Govt. knows nor I know.

**Shri Buta Singh** (Moga) : When census of 1961 is considered the basis for partition of Panjab, does it not mean that Panjab is being reorganised on the communal basis?

श्री नन्दा : यह स्पष्ट है कि इस बारे में विभिन्न विचार है । आयोग निदेश पदों में आयोग को छूट दी गई है और आयोग हर किसी की बात सुन कर परिस्थितियों पर विचार कर के ही कोई सिफारिश देगा ।

**Shri Raghunath Singh** (Varanasi) : Regarding census of 1941 and 1951 it was said that figures are wrong. Such is the case with census of 1961. I want to know why the census of 1961 is not treated as the basis ? For this purpose Parliament is not consulted, the party is not consulted.

---

## गुजरात के पंचमहल जिले में आदिवासीयों पर गोली चलाये जाने वक्तव्य के बारे में

## Re : STATEMENT ABOUT FIRING ON ADIVASIS IN PANCHMAHAL DISTRICT OF GUJARAT

**श्री रंगा** (चित्तूर) : अध्यक्ष महोदय, आपने श्री भील की ध्यानाकर्षण सूचना को अनुमति नहीं दी । हम आपका निर्णय मानते हैं । मैं यह चाहता हूं कि गृह-मंत्री जी अपनी सुविधानुसार आज या कल गुजरात में पंचमहल जिले में हुए गोलीकांड के बारे में, जिसमें कुछ पुलिसमैन और कुछ आदिवासी घायल हुए, एक वक्तव्य दें ।

**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : मुझे राज्य सरकार से तथ्य प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं है । मैं वह जानकारी सभा के समक्ष रख दूंगा ।

**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : कल जारी किये गये समाचार भाग–2 को देख कर हमें आश्चर्य हुआ है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर कल विचार करूंगा ।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** (Dewas) : When the information is likely to be placed before the House ?

**Mr. Speaker** : After it is received.

---

## अनुदानों की मांगें—जारी

## DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

### श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय—जारी

**अध्यक्ष महोदय** : अब श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय की मांगों पर आगे चर्चा होगी । इसके लिये अब चार घंटे और 55 मिनट शेष हैं ।

[ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair* ]

**Shri D. S. Patil** (Yeotmal) : Mr. Deputy Speaker, Sir, it is a matter of great pleasure that Shri Jagjiwan Ram has taken over charge of this Ministry. No attention has been paid towards the betterment of agricultural labour. The problem of agricultural labour is a colossal problem and their responsibility lies on the Hon. Minister, on this Parliament and on the Indian society. Their condition has to be raised to a level where they can get equal status and opportunities with the other sections of the society. These persons are most downtrodden people in the country. Nobody has given a thought over their living condition, their wages etc.

[Shri D. S. Patil]

No wage committee has ever been appointed for fixing the minimum wages for the agricultural labour while in many other industries wage boards have been set up and minimum wages have been fixed for various categories of workers. When farmer gets economic price, reasonable price for his produce why not the agricultural labour is paid the minimum wages. He is the person who gets the least.

A sum of Rs. 7 crores was allocated in the Third Five Year Plan for the upliftment of landless agricultural labour. This allocation has been reduced to Rs. 5 crores in the Fourth Plan. The agricultural labourers have been ignored all along. Similarly while in the Third Plan the allocation for the settlement of the landless labour consisted of 75 per cent grant and 25 per cent loans, in the Fourth Plan it has been made as 66 per cent grant and 34 per cent loan.

The rural manpower project has no relation with the agricultural labour ; yet it has been said that the scheme is for the benefit of agricultural labour. He gets whatever is paid to him by the contractor. It has been pointed out by the Public Accounts Committee that the amount meant for rural man Power project is misutilised.

Grery Committee has pointed out the pitiable condition of the agricultural labour. Ther per capita income is as low as 68 paise per day. The Mahalanobis Committee has stated in their report that a notable exception is agricultural labourers who do not seem to have a share in the increase in income.

A department should be opened for the upliftment of agricultural labour and for the protection of their interests. The Planning Commission has already set up a department for the purpose. There should be a Agricultural Labourers Welfare Department.

The programme of resettlement of landless labourers should be expedited. The Processing Industry and the Sugar Industry should be established by the organisations of land less labourers and they should be given adequate training for running the industry. There should be a scholarship scheme for them as is there for Adivasis. The problem of landless labourer is a national problem which needs a definite satisfactory solution.

**Shrimati Subhadra Joshi** (Balrampur) : It is a matter of good fortune for the labourers that Shri Jagjiwan Ram has taken charge of this Ministry. Many years ago he got amended the Trade Unions Act, wherein recognition of unions was made compulsory. Now the first step towards socialism is the recognition of the rights of labourers to organise themselves and to help them in it. But in this regard the position in our country is not at all satisfactory. Not to talk of private employers, even the Government department, do not allow the labourers to form any unions. They do not recognise such unions. On the contrary, efforts are made to play one section of labourers against the other and to make capital out of it. The hon. Minister should take steps to see that the trade unions get due recognition.

The adjudication proceedings continue for a very long period. In many cases, they take as long as 10 years or even more. This is really ridiculous. For instance, a textile mill Labour Union had brought forward the case of 20,000 workers in 1957 and it was referred for adjudication after a year. The hearing and re-hearing continued till 1966. When the decision was nearer, the employers again

submitted some objections and arguments have been invited again. In the meanwhile, hundreds of workers have been turned out and they have not been given a single paisa by way of gratuity.

The Government had appointed a Bonus Commission to devise a bonus formula. As a result the whole of Bonus Act was changed. It is difficult to interpret the provisions of Bonus Act. The Act should be amended immediately and its defects should be removed.

The report of Bonus Commission was almost unanimous but the Act has been wholly changed at the instance of representative of the employers. The Minister should tell the number of cases in which the Government deviated from the recommendations of Commissions in favour of labourers and in how many cases have they deviated in favour of the management.

There is no one to look after the interests of unorganised labour. Even when the Government employs contract labour, nobody cares to know what they actualiy get. Their condition is deplorable. Even the Government victimises such labour in backward area. The Government should take steps to help them.

The demand for increase in D.A. of workers is justified on account of ever rising prices. The rising prices are affecting the labourers very much. The Government should ensure that daily necessities of life are made available to the labourers at cheap rates. Their problem will not be solved by opening fair price shops in the factories. The hon. Minister should look into all those questions and take necessary steps.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** (Dewas) : A vast number of workers are working in small shops. They do not get any gratuity. There is also no provision of a minimum wage for them. A Wage Board should be set up for such workers. They should get a minimum wage of Rupees 150. Those people are removed from service even after 20 or 30 years of service.

Provident Fund Scheme is applicable to the employees of the factories and industries covered by the factories Act. Facilities like Provident fund should be given to the employees of the industries employing five or more persons. A number of factories and industries show the strength of their staff in their records much less than the actual strength so that thery could escape the application of factories Act. The Government should pay attention to this matter.

The Government should explain why the Minimum Wages Act has not been applied to the workers of drug manufacturing and selling concerns. It should also be stated why a Wage Board has not been set up for those employees. The Government should seriously consider the question of setting-up a Nationl Wage Board so that the interests of all kinds of labourers are safeguarded.

There are big factories in our country in both private and public sector where 50 per cent employees are temporary. In the struggle in Delhi Cloth Mills recently temporary employees suffered greatly. Thirteen thousand temporary employees of public sector factory at Bhillai were retrenched. The temporary workers should be confirmed.

No Wage Board has been set up for agarbati and bidi industries in Madhya Pradesh. Provident fund and medical facilities etc. were not given to workers of those industries. Those facilities should be provided and bonus should be given to them.

[Shri Hukam Chand Kachhavaiya]

The condition of coal mine workers in Madhya Pradesh and Bihar is very bad. They are victimised by the employees. They are given less amount and are asked to sign for having received bigger amount. The Government should pay attention to this matter. Contract labour system should be abolished. The labourers do not get full wages under this system.

No heed is paid to the wages of police men. Their duty is very hard and their pay is too less. Their pay should be increased. The pay of compounders in the hospitals should also be increased. They should be paid according to work.

The condition of bus conductors in the country is not good. A conductor in shahjahanpur was stabbed because he refused to provide seat to some passengers. In spite of all this, their salaries is too low. Government should look into it.

There are lots of malpractices in Employment Exchanges. Corruption is open and common. The Government should take steps to improve the situation.

**श्री श्यामलाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं श्रम, नियोजन तथा पुनर्वास मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। कार्मिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य रूप से गठित संघों को पंजीकृत किया जा रहा है परन्तु मैं मंत्री तथा उपमंत्री का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि श्रमिकों की कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिन के संघों को कार्मिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्रदान नहीं की गई है यद्यपि उन के सदस्यों की संख्या पूरी है, ऐसे संघ चाहे किसी वि ाग में हों, उन्हे मान्यता दी जानी चाहिये।

ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, चाहे वे भूस्वामी हों अथवा भूमि जोतने वाले, पूरे वर्ष के लिए काम नहीं मिलता। यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये जाने चाहिये कि ऐसे लोगों को परियोजनाओं में काम करने का अवसर मिले।

पाकिस्तान के साथ हाल ही के संघर्ष में मेरे राज्य तथा पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर विशेषतया खेमकरण पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था। उस में एक लाख से भी अधिक लोग बेघर हो गये हैं। छम्ब जोरियां क्षेत्र में पूर्ण विनाश हो गया है। पाकिस्तानियों ने न केवल उन की फस्लें तबाह कर दी हैं बल्कि पीने के जल तक को गन्दा कर दिया है। श्री चव्हाण ने स्वयं देखा होगा कि रेवल गड़ी तक लोग अपने घरों में रहते हैं। इस से आगे लोग शिविरों में रहते हैं परन्तु प्लावा के आगे शिविरों में रहने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं गया है। आज भी लोगों को अपनी सुरक्षा का विश्वास नहीं है। जब तक सरकार यह बात पूर्णतया सुनिश्चित नहीं कर लेती कि सीमाओं पर बसाये जाने वाले लोगों को यह विश्वास हो जाये कि वे सुरक्षित है और रक्षा सेनायें उनकी रक्षा के लिए है, तब तक एक भी व्यक्ति वहां जाने के लिए तैयार नहीं। केन्द्रीय सरकार को उन लोगों को पुनर्वासित करने के लिए किये जा रहे कार्य पर ध्यान देना चाहिये।

काश्मीर वादी के एक क्षेत्र, गुलमर्ग में सेकड़ों हिन्दू तथा सिख परिवारों को भाग कर जाना पड़ा। श्रीनगर में भी लोगों को सहायता करनी पड़ती है। केन्द्रीय सरकार को उन लोगों को पुनर्वासित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिये। उड़ी की सीमा तथा हाजीपुर के ठीक नीचे तक कुछ ग्रामों में कुछ लोगों को पुनर्वासित करने की आवश्यकता है, मुख्य समस्या अखनूर से छम्ब तक के पुराने क्षेत्र की है उस पर पाकिस्तान सेनाओं ने कब्जा कर लिया था और वहां के सभी घर तोड़ दिये थे, यदि सरकार इस मामले पर अभी पूरा ध्यान नहीं देगी तो समूचा क्षेत्र भविष्य में आक्रमण के लिए खुला रहेगा तथा आक्रान्ता सीधे जम्मू तथा काश्मीर के उस क्षेत्र में आ सकते हैं। सरकार को उन सभी क्षेत्रों के पुनर्वास के कार्यों पर ध्यान देना चाहिये जहां हाल ही के संघर्ष का प्रभाव पड़ा है। इन मामलों में सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

**श्री प्रिय गुप्त**(कटिहार) : सरकार वेतन आयोग अथवा मजूरी बोर्ड नियुक्त कर रही है । क्या सरकार मजूरी निर्धारिण के लिए कुछ पद निर्देश पूव शर्त के रूप में निश्चित करेगी ताकि ऐसी राशि निर्धारित की जाय जो इस देश में लोगों की न्यूनतम आवश्यकतायें पूरी कर सके । मै श्रम मंत्री से अपील करता हूं कि वह न्यूनतम मजूरी के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचें और भविष्य के लिए मजूरी बोर्ड नियुक्त करें ।

ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के मजदूरों के लिए चिकित्सा और आवास की उचित सुविधायें नहीं है। उनके बच्चों के लिए शिक्षा की उचित सुविधायें नहीं है। वे बच्चे जीवन में प्रगति करने की आशा नहीं कर सकते। श्रम मंत्रालय को मजदूरों की स्थिति में सुधार करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिये।

मालूम नहीं चौथी योजना में नियोजन सामर्थ्य के लिए क्या व्यवस्था की गई है। कामदिलाऊ दफतर यह आंकड़े देते है कि इतने लाख व्यक्ति भरती किये गये । लेकिन छटंनी किये जाने वाले व्यक्तियों के बारे में कोई आंकड़े नहीं दिये जाते। सरकार को छंटनी किये गये व्यक्तियों तथा काम दिलाऊ दफतरों द्वारा दिलाये गये रोज़गार के सम्बन्ध में जानकार देनी चाहिये ।

यंत्रीकरण तकनीकी विकास का परिणाम है । इस तकनीकी विकास से लाभ भी हुये है और हानि भी । इन संगणकों तथा यंत्रों से कार्य कुशलता बढ़ी है परन्तु उस से छंटनी भी हुई है । इस समस्या पर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

यदि पुनर्वास की समस्या के बारे में हमारा दृष्टिकोण व्यावहारिक होता तो शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या हल हो जाती । सरकार पाकिस्तान तथा पश्चिमी सीमा से आये हुये हज़ारों लोगों के प्रति अपनी ज़िम्मेवारी से बच नहीं सकती । उन के पुनर्वास के लिए सरकार को कायवाही करनी चाहिये ।

श्रम अफसर, समझौता अफसर आदि चाय बागान कम्पनियों के प्रबन्धकों तथा टाटा-बिड़ला कम्पनी के प्रबन्धक पर तो नियंत्रण रख सकते है परन्तु राजपत्रित अधिकारियों तथा सरकारी कर्मचारियों से डरते हैं । इसलिए, सभी श्रम विधियों का उल्लंघन किया जा रहा है । केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के श्रम अफसरों की स्थिति भी वैसे ही है । वे केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के अधीन श्रम विधियों के उल्लंघन के बारे में लिखने से डरते हैं ।

**श्री अ० प्र० शर्मा** (बक्सर) : तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सरकार ने यह माना है कि सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में श्रम नीतियाँ लागू करने के बारे में कोई मतभेद नहीं किया जायेगा । उन्होंने कई मजूरी बोर्ड स्थापित किये है और उन मजूरी बोर्डो की सिफारिशों तथा उनकी क्रियान्विति के परिणामस्वरूप श्रमिकों की दशा में सुधार हुआ है ।

श्रम विधियों के अनुसार किसी विवाद के बारे में सब से पहले प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच बातचीत होती है और यदि बातचीत असफल हो तो सरकार विवाद न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट कर देती है परन्तु नियोजक मत्रालयों द्वारा श्रम सम्बन्धी विवा ों को हल करने के लिए सामान्य प्रथा नहीं अपनाई जाती । रेलवे मंत्रालय में श्रमिकों की बहुत सी शिकायतों पर विचार करना शेष है ।

सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों को व्हिटले परिषद् नाम की संयुक्त सलाहकार और अनिर्वाय मध्यस्थ निर्णय वाली व्यवस्था बनाने का आश्वासन दिया गया था । खेद की बात है कि यह व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है । मैं मंत्रालय को चेतावनी देता हूं कि यदि वह देश में औद्योगिक शन्ति चाहता है तो औद्योगिक विवाद अधिनियम प्रमुख मंत्रालयों में, विशेष रूप से रेलवे मंत्रालय में तुरन्त लागू किया जाना चाहिये ।

[श्री अ० प्र० शर्मा]

यदि सरकार देश में औद्योगिक शान्ति चाहती है तो विधि सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू की जानी चाहिये। श्रम विधियां लागू करने के मामले में असमानता नहीं होनी चाहिये। श्रम मंत्रालय का यह कर्तव्य है कि वह इस पर ध्यान दे कि केन्द्रीय सरकार, जोकि देश में सब से बड़ी नियोजक है, प्रत्येक मंत्रालय के लिए एक पृथक आयोग स्थापित करे अथवा सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतनों सम्बन्धी जांच करने के लिए एक मजूरी बोर्ड अथवा आयोग स्थापित करे।

द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जब औसत निर्वाह व्यय देशनांक में 5 अंकों की वृद्धि हो तो सरकार को प्रत्येक छः मास में एक बार महंगाई भत्ते पर पुनर्विचार करे। श्री जगन्नाथ दास आयोग की सिफारिशों के अनुसार 95 प्रतिशत तक महंगाई के लिए प्रतिकर दिया जाना चाहिये। परन्तु सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते के अनुसार केवल 75 प्रतिशत तक प्रतिकर दिया गया है। सरकार को ऐसा मन माना निर्णय नहीं लेना चाहिये।

मैंने रिपोर्ट का अच्छी तरह अध्ययन किया है। इसमें सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों सम्बन्धी विधियों के लागू किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

**श्री म० प० स्वामी** (टंकासी) : मैं श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। बर्मा तथा श्रीलंका से आने वाले लोगों के पुर्नवास की इस मंत्रालय की जिम्मेदारी है। लगभग 1,37,000 व्यक्ति पहले ही आ चुके है और चालू वर्ष में 70,000 और व्यक्तियों के आने की आशा है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इन लोगों को और अधिक रोजगार सुविधाएं मिलनी चाहियें।

[ **श्री सोनावने पीठासीन हुए**
SHRI SONAVANE *in the Chair* ]

इनके लिय बहुत से धन की व्यवस्था की जानी चाहिये और सभी राज्यों को इस बारे में सहायता देनी चाहिये। इन लोगों के आने से मद्रास तथा आंध्र प्रदेश पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मद्रास में लगभग 70,000 लोगों को रोजगार दिला दिया गया है। मुझे हर्ष है कि मद्रास सरकार इस बारे में काफ़ी सहायता कार्य कर रही है। उन्हें शिक्षा तथा रोजगार के मामले में रियायतें दी जा रही है। यह लोग भारतीय है। इन को राष्ट्रीय स्तर पर हल करना चाहिये।

चालू वर्ष में जून से श्रीलंका से हजारों लोग वार्षिक आना आरंभ कर देंगे। अभी से उन के पुर्नवास के योजनाएं तैयार की जानी चाहिये। मद्रास सरकार 10,000 एकड़ भूमि पर चाय बागान लगाने के लिये कार्यवाही कर रही है। यह उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए उनको अधिक भूमि देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

बोनस से श्रमिकों की आय में वृद्धि हो गई है। मैं बोनस अधिनियम में कम से कम 4 प्रतिशत बोनस और अधिकतम 20 प्रतिशत बोनस सीमा की व्यवस्था का स्वागत करता हूं। बोनस अधिनियम में आवश्यक संशोधन होना चाहिये और जहां पर पहले 20 प्रतिशत से अधिक बोनस मिलता था वहां बोनस की अधिकतम 20 प्रतिशत से बढ़ा दी जानी चाहिये।

शिक्षा के प्रसार से बेकारी की समस्या अधिक जटिल हो गई है। सरकार को इसका यथा शीघ्र समाधान करना चाहिये। गैर-सरकारी क्षेत्र में मालिक लोग अपने सम्बधियों को ही रोजगार में लगाते है। मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिये कर्मचारियों द्वारा देय व्यवसाय कर प्रबन्धकों के माध्यम से इकट्ठा होना चाहिये। इस बारे में अधिनियम संशोधन होना चाहिये।

औद्योगिक व्यापारियों के बंगलों में चौकीदारों तथा मालियों को भी भविष्य निधि योजना का लाभ मिलना चाहिये। यह एक अच्छी बात है कि सरकार ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों के काम की शर्तों के बारे में कानून बना रही है। राज्यों में मोटर गाड़ी अधिनियम उचित रूप से लागू नहीं किये जा रहे। इस से कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। सरकार को इस बारे केन्द्रीय सरकार को मोटर गाड़ी अधिनियम को ठीक प्रकार से लागू कराना चाहिये

**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतेहपुर) : यह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है । श्रमिकों पर हमारा उत्पादन निर्भर करता है । अतः हमारी अर्थ-व्यवस्था का आधार इस मंत्रालय के काय पर निर्भर है । सरकार को श्रमिकों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहियें । पिछले 18 वर्षों में श्रमिकों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है । हां कहीं कहीं कुछ क्वार्टर आदि बनाये गये है । केन्द्रीय सरकार को राज्यों द्वारा बनाई गई श्रम विधियों के साथ साथ और ऐसी विधियां बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । केवल तभी श्रमिकों को लाभ हो सकता है ।

राज्यों के कई कानून बिल्कुल व्यर्थ है । उन्हें ठीक प्रकार से लागू नहीं किया जाता है और मज़दूरों को किसी प्रकार का लाभ नहीं होता । इसी प्रकार देहाती क्षेत्रों में खेतिहर मज़दूरों की दशा भी शोचनीय है । न तो केन्द्रीय सरकार और न ही राज्य सरकार ने उनके स्तर को औद्योगिक मज़दूरों के बराबर करने की कोशिश की है ।

श्रमिकों के बारे में विधियों को लागू करने के मामले में सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये । श्रमिकों के कल्याण के बारे में तथा श्रम विधियों के लागू करने के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये उदाहरण स्थापित करना चाहिये । मज़दूरों का महंगाई भत्ता भी महंगाई में वृद्धि के साथ साथ बढ़ाया जाना चाहिये । सरकार को इस बारे में निर्णय कर लेना चाहिये । इस से मज़दूरों में संतोष फैलेगा और उत्पादन में वृद्धि होगी ।

बोनस सम्बन्धी कानून का मैं स्वागत करता हूं । अब यदि मालिक लोक बोनस का भुगतान न करें तो श्रम मंत्रालय का कर्तव्य है कि इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करे । केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की श्रम कल्याण सम्बन्धी कार्य में समन्वय होना चाहिये ।

**डा० मेलकोटे** (हैदराबाद) : श्रीमान, मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । श्रम मंत्रालय का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है । इसे श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करना होता है । इस मंत्रालय के समक्ष और भी कई समस्याएं है । जैसे कर्मचारियों का बीमा, बढ़ती हुई बेकारी, बढ़ती हुई कीमतें, वेतन, बोनस, चौथी योजना में श्रमिकों का स्थान, आदि ।

मैं सरकारी उपक्रमों के कार्यसंचालन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इनके द्वारा उचित लाभ न दिखाने का क्या कारण है ?

इन उपक्रमों में करदाताओं का धन लगा हुआ है । पिछले 19 वर्षों में इन उपक्रमों में उचित दक्षता नहीं आयी है । हमें इस पर विचार करना है । विदेशी कम्पनियां बहुत अधिक वेतन देती है जबकि इन उपक्रमों में बहुत कम वेतन मिलता है । हमें यह मालूम करना चाहिये कि इन में सुचारू रूप से कार्य क्यों नहीं हो रहा है । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और श्रमिकों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन के प्रश्न पर विचार करने के लिये राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये । श्रमिक भी तो चाहते है कि उत्पादन में वृद्धि हो । हमें चौथी योजना काल में इन उपक्रमों के उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करनी चाहिये ।

रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि कि श्रमिकों की लगभग 55 प्रतिशत शिकायतें सेवा शर्तों के बारे में हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि श्रमिकों पर लागू होने वाले सरकारी कानूनों को ठीक प्रकार से लागू नहीं किया जाता । यही कारण है कि मज़दूरों में बेचैनी फैली हुई है । सेवा शर्तों को और स्पष्ट कर देना चाहिये ।

श्रमिक अधिकारियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है । मैं उन्हें बधाई देता हूं । इन को प्रथम श्रेणी के अधिकारी घोषित किया जाना चाहिये और इन को पर्याप्त अधिकार मिलने चाहिये । हमारे देश में श्रम तथा कच्चा माल सस्ता है और यहां पर मशीनें भी बहुत अच्छी हैं । फिर भी हम अभी तक अधिक उत्पादन नहीं कर सके और न ही श्रमिकों को अच्छा वेतन दे सके हैं । इस लिये प्रबन्ध में कहीं न कहीं कोई त्रुटि अवश्य है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये । हमारे मज़दूरों ने अपनी देश भक्ति और कार्य निष्ठा परिचय विदेशी आक्रमण के समय देकर बहुत अच्छा कार्य किया है ।

[डा० मेलकोटे]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ ऐसे मामले हैं कि जिन के बारे में न्यायालयों में 15-16 वर्षों के बाद भी निर्णय नहीं हुआ है । कई मामलों के बारे में निर्णय हो गये है परन्तु उन्हें लागू नहीं किया गया है । श्रम विभाग को इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिये । औद्योगिक कानूनों प्रतिरक्षा सम्बन्धी उपक्रमों पर भी लागू किया जाना चाहिये । उन्हे संघ बनाने की आज्ञा होनी चाहिये ।

**Shri Tulsidas Jadhav** (Nanded) : Sir, the rehabilitation problem is very difficult one. The number of refugees who have come from East Pakistan runs into lakhs. It is the result of partition of the country. Their disputes regarding claims of refugees who migrated in 1947 have also not been settled as yet.

Apart from that, lakhs of people have come from Burma, Ceylone and Mozambique. This Report does not give any idea as to what has been done in their case. There are about one lakh refugees at Ulhas Nagar in Maharashtra state. They have not been provided adequate facilities. I want that the hon. Minister should say something in this regard while replying. The refugees should also do constructive work and should stand up on their own legs. Tney should not depend too much on Government. The textile mills which are not working should be started and the workers that have been thrown out of employment should be given work.

**श्री अ० व० राघवन** (बड़ागरा) : केरल राज्य में बागान मजदूरों की रहने सहने की हालत बहुत खराब है । उनकी संख्या 3 लाख के लगभग है । वहां पर राष्ट्रपति का शासन चल रहा है । इसलिये केन्द्रीय श्रम मंत्रालय की यह जिम्मेदारी है कि वहां पर स्थिति में सुधार करे । वहां पर मजदूरों ने हड़ताल का नोटिस दे दिया है । उनकी मुख्य मांगे मंजूरी में वृद्धि, बोनस, चिकित्सा सुविधाओं आदि से सम्बन्ध रखती हैं । बीड़ी श्रमिकों के बारे विधेयक अभी तक पारित नहीं किया गया है । इस विधेयक को इसी सत्र में पारित किया जाना चाहिये । हमारी सरकार कानून तो बना देती है परन्तु उन्हें ठीक प्रकार से लागू नहीं किया जाता । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

विदेशी तेल कम्पनियों में कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है । सरकार को वहां पर काम करने वालों की सेवा की सुरक्षा करनी चाहिये और छंटनी नहीं होने देनी चाहिये ।

**Shri Balmiki** (Khurja) : The dignity of human labour should go up with the changing times. I want to draw the attention of the hon. Minister to the sad plight of the workers working on roads, in transport and electricity departments. I welcome his statement made on 3rd April, 1966 in Kanpur that a wage board would be set up for these workers. I am thankful to the hon. Minister that he has in mind the welfare of these workers.

I had said in my speech of 14th March, 1950 that in view of sad working conditions of these workers and their exploitation, a Commission should be appointed to look into their working conditions. The hon. Minister had replied that the Government does not make any distinction in labour legislation between the other type of workers and municipal workers or scavenging staff.

In this connection I want to submit that there is disparity between the workers of a factory. But sub-human treatment is meted out to the workers of municipalities and private sector. Shri Pant had appointed a sub-Committee to stop the system of carrying night soil on the head. There is great disparity between the pay scales of municipal workers. We have become very hopeful ever since. Shri Jagjivan Ram look over this port folio that we would get justice and social security which we are not getting now. Many important announcements

have been made within last three or four months wnich affect millions of persons. Babuji used to say that the country cannot progress unless and until these brethren do not gain a respectful and honourable place in the society. I thank Babu Jagjiwan Ram as an optimist. The important step taken by him has kindled a ray of hope that the pay scales would be improved and their working conditions would change for the better.

The third announcement made by him was that labour laws should be made applicable to scavengers and the over lapping between the laws of the state should be removed. Socialism can be said to exist in the country only when the labour class feels that there is socialism in the country and it is meant for the welfare and uplift of the labour.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** There is no quoram in the House.

**Mr. Chairman :** Shri Balmiki should sit down, as there is no quoram.

**Shri Balmiki :** The work which was left undone by the Royal Commission is being completed by the Wage Board.

**सभापति महोदय :** जब सभा में गणपूर्ति नहीं है तो माननीय सदस्य का अपना भाषण जारी रखना फिजूल है। गणपूर्ति की ओर ध्यान दिलाया गया है। घंटी बजाई जा रही है। अब सभा में गणपूर्ति है। सदस्य अपना भाषण जारी रख।

**Shri Balmiki :** I would conclude in a minute. I was stating that the work which had been left undone by the Royal Commission or the labour panel of Planning Commission would be completed by the Wage Board and I hope that you would soon announce its appointment.

**श्रीमती रेणुका बड़कटकी** (बारपेटा) : श्रम तथा रोजगार मंत्रालय को कई क्षेत्रों में कई पेचीदा समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे औद्योगीकरण और नियोजन का स्वरूप, कर्मचारियों के अधिकार, कल्याण और शिक्षा आदि आदि। यह जांच करना आवश्यक है कि समस्याओं को सुलझाने में मंत्रालय कहां तक सफल रहा है। मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता चलता है कि पिछले वर्ष हड़तालों के कारण 63 लाख दिन काम नहीं हुआ था; 1964 में 77 लाख दिन काम नहीं हुआ था और 1963 में, जब चीन ने हम पर आक्रमण किया था, केवल 33 लाख दिन काम नहीं हुआ। इन आंकड़ों से पता चलता है कि यद्यपि 1965 में बेकार दिन 1964 से कम हैं फिर भी वे और वर्षों से बहुत अधिक हैं। अतः देश में आये दिन हड़तालों और बन्द को देखते हुए यह विश्वास करना हमारे लिए असम्भव है कि सामान्य श्रम स्थिति में कोई सुधार हुआ है।

मेरे विचार में श्रमिकों में असंतोष का मुख्य कारण यह है कि उनकी मजूरी में कोई सुधार नहीं किया गया है। यद्यपि कुछ उद्योगों में मजूरी में वृद्धि की गई है परन्तु मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण यह वृद्धि न के बराबर है। मजदूरों की वास्तविक मजूरी में तब तक वृद्धि नहीं होगी जब तक कि उनके लिए उपभोक्ता सहकारी स्टोर और सस्ते मूल्य की दुकानें नही खोली जातीं और मजदूरों को अनाज और दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं जैसे कपड़ा, औषधियां, पुस्तकें आदि सस्ते दामों पर नही दी जाती। हमने इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित करने का प्रयत्न नहीं किया है। कई उद्योगों में जहा मजदूर संगठन नहीं हैं अथवा वे मजूरी बोर्ड के अन्तर्गत नहीं आते, वहां मजूरी का महंगाई से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। और जहां कहीं भी मजूरी महंगाई के हिसाब से मिलती है वहां वह नाम मात्र है।

हमें मजूरो को वास्तविक मजूरी के साथ साथ कुछ और सेवायें और सुविधायें भी देनी चाहिएं। न्यूनतम मजूरी अधिनियम, जो अभी कुछ ही उद्योगों पर लागू होता है; यह सभी उद्योगों पर लागू होना चाहिए और इसके अन्तर्गत जो कम से कम मजूरी निश्चित की गई है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह अधिनियम लागू किया गया है अथवा नहीं एक प्रभावकारी व्यवस्था बनानी चाहिए।

[श्रीमती रेणुका बड़कटकी]

जहां तक कृषि श्रमिकों का सम्बन्ध है, कृषि श्रमिकों सम्बन्धी गोष्ठी की चार समितियों ने इन श्रमिकों के जीवन स्तर और काम की स्थिति में सुधार करने हेतु कई व्यवहार्य और अविलम्ब उठाये जाने वाले कदमों का सुझाव दिया था। मुझ आशा है कि सरकार इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में जरा भी समय नष्ट नहीं करेगी। बागानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति बहुत ही शोचनीय है। उनके काम की स्थिति की जांच करने के लिए जो एक आयोग नियुक्त किया गया था उसने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है। सरकार को इसे तुरन्त कार्यान्वित करना चाहिए।

बेरोजगारी में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। 15 वर्ष की आयोजना के पश्चात् भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। राष्ट्रीय रोजगार सेवा के निदेशक द्वारा शहरी और ग्रामीण रोजगारों पर दिये गये प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारों में 33.8 प्रतिशत वृद्धि हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में 34.2 प्रतिशत हुई।

केवल आसाम राज्य में ही चौथी योजना के अन्त तक 10 लाख बेरोजगार लोग बचे रहेंगे। इससे हमारी रोजगार सम्बन्धी नीती कहां तक सफल हुई?

यदि सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योगों से लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता तो हमें ऐसे उद्योग स्थापित करने चाहिए जिससे कि विनियोजन के अनुपात में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। आसाम में रोजगार कार्यालय में दर्ज किये गये व्यक्तियों और जिनको रोजगार दिया गया है उन व्यक्तियों का अनुपात 1:15 है। इसका कारण यह है कि यहां पर अधिकतर उद्योगपति बाहर से आए हुए हैं और वे रोजगार की ऐसी शर्तें लगाते हैं जिससे स्थानीय लोग न आ सकें। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में शिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या में वृद्धि और प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी के बारे में बताया गया है। इस सब को देखते हुए हमें अपनी नीतियों में आमूल परिवर्तन करना चाहिये।

पुनर्वास विभाग ने कई ऊंच नीच देखे हैं। पूर्वी पाकिस्तान से बहुत संख्या में शरणार्थियों के आने के कारण यह समस्या बहुत गम्भीर हो गई है। हमें इन लोगों को दोबारा बसाने के लिये हर सम्भव प्रयास करना चाहिए। परन्तु नेहरु-लियाकत अली समझौते के अन्तर्गत हमें विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति का मुआवजा मांगना चाहिए। परन्तु पाकिस्तान न तो इन विस्थापित व्यक्तियों को अपनी सम्पत्ति बेचने देता है और न ही उसका मआवजा देता है। सरकार को ताशकंद समझौते के अनुसरण में होने वाली बैठकों में इस प्रश्न को उठाना चाहिए। आसाम में 2 वर्ष के पश्चात् भी शरणार्थियों की जांच का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह सच है कि अवैध घुसपैठियों के कारण इस कार्य में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

पुनर्वास मंत्रालय के प्रतिवेदन में कई पुनर्वास योजनाओं के बारे में बताया गया है; परन्तु यह नहीं बताया गया कि उनसे लाभ क्या हुआ। उदाहरणार्थ, गारो हिल में भूमि को कृषि-योग्य बनाने की 31 लाख रुपये की योजना है, परन्तु वहां अभी तक 12 परिवार बसाये गये हैं। ऐसे में कई उदाहरण दे सकती हूं।

**श्री ह० प० चटर्जी** (नवद्वीप): मैं पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के बारे में कहना चाहता हूं। हमें इन लोगों को शरणार्थी नहीं कहना चाहिए क्योंकि इस दुःखद स्थिति के लिए वे सभी स्वयं जिम्मेवार नहीं हैं। यह सब देश के विभाजन के कारण हुआ है जो सब हमारी गलती के कारण हुआ। हमने वचन दिया था कि देश के विभाजन से जिन लोगों को हानि उठानी पड़ेगी उनको हम प्रतिकर देंगे।

विभाजन के पश्चात्, 1949 में 45 लाख विस्थापित व्यक्ति पंजाब से आये। हमने उनको 187.56 करोड़ रुपये मुआवज़ के रूप में दिये, परन्तु पूर्वी पाकिस्तान से जो शरणार्थी आये, हमने उन पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। हमने पंजाब से आये विस्थापित व्यक्तियों को 20,16,107 स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि भी दी है जबकि हमने पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को केवल 1,93,000 एकड़ भूमि दी है। पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है। पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को जो ऋण दिये गये थे वे अभी तक वापस नहीं किये गये हैं और सरकार ऋणियों का कुछ पता भी नहीं लगा सकी है। हमें इस समस्या को गांधी जी के ढंग से सुलझाना चाहिए। पूर्वी बंगाल से आये विस्थापित लोगों को आपने अंशदायी भवन-निर्माण दिये; ये ऋण 5,000 रुपये से अधिक नहीं थे। इन लोगों का विचार था कि वे पाकिस्तान में अपनी सम्पत्ति को बेच कर ऋण चुका देंगे। परन्तु जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान ने इस सम्पत्ति को हड़प लिया और ये लोग अपना ऋण अदा नहीं कर सके। अतः सरकार से अनुरोध किया गया कि कम से कम इन अंशदायी ऋणों पर ब्याज से छूट दी जाये। आश्वासन तो सभी ने दिया, परन्तु किया किसी ने कुछ नहीं। इनको नोटिस दिया गया कि यदि शीघ्र ऋण अदा नहीं किया गया तो उनके मकान नीलाम कर दिये जायेंगे। आपने यह भी नहीं सोचा कि वे ऋण चुकाने की स्थिति में हैं अथवा नहीं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अंशदायी ऋण की अदायगी से उनको छूट दो जाये क्योंकि उनके पास देने के लिए धन नहीं है।

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair* ]

**श्री मं० रं० कृष्ण** (पदमपल्लि) : देश में श्रम सम्बन्धी समस्याएं और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरी योजना के दौरान सरकार ने कहा था कि वह बेरोजगारी को दूर कर देगी। यह भी कहा गया था कि तीसरी योजना में 170 लाख बेरोजगार लोगों में से 140 लाख लोगों को रोजगार दिया जायेगा। परन्तु ऐसा मालूम होता है कि योजनाओं के कारण बेरोजगारी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। ग्राम तथा कुटीर उद्योग आयोग का कार्य लोगों को उचित मजूरी दिलाना और बेरोजगारी को दूर करना है। यदि श्रम मंत्रालय को वास्तव में उपयोगी बनाना है तो उसे ग्राम तथा कुटीर उद्योग आयोग के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए।

देश की कुल मजदूरों में से 69.5 प्रति शत कृषक मजदूर हैं। पहले श्रम मंत्री ने स्वीकार कर लिया था कि सरकार ने इन लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, अतः वह चाहते हैं कि कृषक श्रमिकों को भी न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाये। मुझे आशा है कि वर्तमान श्रम मंत्री भूतपूर्व मंत्री के वचन का पालन करेंगे।

**श्री जगजीवन राम** : यह पहले ही लागू किया जा चुका है।

**श्री मं० रं० कृष्ण** : परन्तु यह प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। जो सुविधायें श्रमिकों को अन्य देशों में प्राप्त हैं उन्हें हम यहां लागू करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। अधिकतर गैर-सरकारी उद्योगों को सरकारी ऋणों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या श्रम मंत्रालय अथवा किसी और मंत्रालय ने उनसे कहा है कि वे प्रबन्ध में श्रमिकों को भाग लेने दें। सहकारी चीनी की मिलों से यह आशा की जाती है कि वे सभी स्तर के व्यक्तियों को, श्रमिकों सहित, प्रबन्ध में भाग लेने देंगे। परन्तु इन में से कुछ मिलों में श्रमिकों को प्रबन्ध के मामले में पूछा भी नहीं जा रहा है। यदि सहकारी मिलों में भी श्रमिकों को प्रबन्ध में भाग न लेने दिया गया तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां उन्हें भाग लेने दिया जायेगा। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि कम से कम सहकारी मिलों में, जहां राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार ने अधिकतर रुपया लगाया हुआ है, वहां श्रमिकों को प्रबन्ध में भाग लेने दिया जाये।

[श्री मं० रं० कृष्ण]

विभिन्न स्थानों से बेघरबार होकर आये हुये लोगों को काफी अच्छी सुविधाएं दी गई हैं किन्तु बर्मा से आने वाले जिन शरणार्थियों को मद्रास और आन्ध्र प्रदेश में भेजा गया है उनको ठेके तक नहीं दिये जा रहे हैं जिनको वे लोग पूरे कर सकते हैं। इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

मोजम्बीक तथा अन्य दूसरे स्थानों से निकाले गये जिन लोगों को गुजरात में बसाया गया है, उन्हे 5,000 रुपये तक के ऋण दिय गये थ किन्तु उसी प्रकार बेघरबार होकर बर्मा से आने वाले जिन लोगों को मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश में बसाया गया है उनको केवल 2,000 रुपये तक ही दिये गये हैं। एसा भेद-भाव नहीं किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय को इस मामले पर विचार करना चाहिये।

रेलवे और दूसरे विभागों में अनुसूचित जाति के लोगों को अपने हितों की रक्षा करने के लिये संस्थाएं स्थापित करने की अनमति नहीं दी जाती है। यदि संस्था बनाने की उन्हे अनुमति भी दी जाती है, तो उस स्थिति में प्रशासन उनसे पत्र व्यवहार तथा बात-चीत नहो करता हैं। मंत्री महोदय को इस मामले की ओर ध्यान देना चाहिये जिससे इस अव्यवस्था को दूर किया जा सके।

**श्री अ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर) : हमारे देश में श्रम कानून का एक प्रयोजन यह है कि श्रमिकों को, जो अच्छी स्थिति में नहीं हैं, शक्ति दी जाये जिससे यथासमय वे इस स्थिति में हो जाय कि नियोजकों के साथ समान आधार पर बातचीत कर सकें। मजदूर संघों को सुदृढ़ करने से ऐसा हो सकता है। सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के नियोजकों की नीति मजदूर संघों को मान्यता देने की होनी चाहिये और उन्हें मजदूर संघों को भिन्न दृष्टिकोण से देखना चाहिये। हमारी नीति देश में एक ऐसा वातावरण तयार करने की होनी चाहिये जिसमें लोग श्रमिको की विशेष स्थिति को समझ सकें। हम अधिक उत्पादन चाहते हैं। परन्तु यदि उत्पादकों को देश में उचित सम्मान नहीं मिलेगा और उनका कोई पद तथा प्रतिष्ठा नहीं होगी तो फिर वे किस प्रोत्साहन के बल पर अधिक उत्पादन करेंगे। समाज के सभी वर्गों ने श्रमिकों का सम्मान करना चाहिये। उन्हें सम्यक प्रतिष्ठा दी जानी चाहिये।

समूची श्रम नीति का निर्देशन श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिये न कि प्रशासनि मंत्रालयों द्वारा। प्रशासनिक मंत्रालय श्रम सम्बन्धी मामलों में विशेषज्ञ नहीं होते। इन मामलों में श्रम मंत्रालय ही विशषज्ञ होता है।

जहां तक औद्योगिक विवादों का सम्बन्ध है कई विवादों के बारे में पंचाटों को लागू नहीं किया गया है। पंचाटों के फलस्वरूप इस समय श्रमिकों को करोड़ों रुपये देय है। परन्तु उस राशि का भुगतान नहीं किया गया है। कई बार यह कहा गया है कि उस राशि को राजस्व की देय बकाया राशि के रूप में वसूल किया जायेगा। जब मामले भू-राजस्व अधिकारियों को सौंपे जाते हैं तो वे अधिक समय लेते हैं। देय बकाया राशि की वसूली का मामला श्रम मंत्रालय के ऊपर छोड़ा जाना चाहिये। इस मंत्रालय को यह राशि वसूल करने की शक्ति दी जानी चाहिये और आवश्यकता पड़ने पर हमें कानून में भी संशोधन करना चाहिये।

बोनस अधिनियम का मैं स्वागत करता हूं। किन्तु इस अधिनियम में कुछ त्रुटियां रह गई हैं—जिसके परिणाम स्वरूप अधिनियम की उचित क्रियान्विति नहीं हो पा रही है। कुछ सन्देह उत्पन्न हो गये हैं। इस समूचे अधिनियम पर श्रम मंत्रालय को स्वतः पुनर्विचार करना चाहिये और मामले हल करने तथा स्थिति में सुधार करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

छावनी बोर्ड के कर्मचारियों की अजीब स्थिति है। वे काम तो प्रतिरक्षा मंत्रालय का करते हैं किन्तु वे प्रतिरक्षा मंत्रालय की सेवा में नहीं है। यद्यपि वे प्रतिरक्षा मंत्रालय के कर्मचारी नहीं है, उनकी सेवा की शर्तें प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा निश्चित की जाती हैं। इन कर्मचारियों के मामले पांच-सात वर्ष से अनिर्णित पड़े हैं। उनके वेतन तथा महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं की गई है। उनके सेवा नियमों के बारे में उन से परामश नहीं किया जाता। इन मामलों को श्रम मंत्रालय द्वारा निबटाया जाना चाहिये।

यद्यपि मूल्य काफी बढ़ गये हैं तथापि बहुत से मामलों में महंगाई भत्ते के प्रश्न को निबटाया नहीं गया है। श्रम मंत्रालय को इस प्रश्न पर विशेष रूप से विचार करना चाहिये।

जहां तक खेतिहर मजदूरों का सम्बन्ध है न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत उनके लिये कई राज्यों ने निम्नतम मजूरी निर्धारित की है किन्तु उसे कार्यरूप नहीं दिया जा सका है। आज खेतिहर मजदूरों को निम्नतम मजूरी नहीं मिलती है। इस सम्बन्ध में सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये।

एक बात और है। प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्थाएं है किन्तु सरकार को समय समय पर इस प्रशिक्षण के प्रभाव के बारे में पता लगाना चाहिये क्योंकि प्रतिवेदन से इस बात का पता नहीं चलता कि उसका परिणाम क्या रहा है; कोई परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं। यह भी बहुत आवश्यक है।

**श्री मोहसिन** (धारवाड़ दक्षिण) : मे श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय की मांगों का समथन करता हूं।

राष्ट्रीय विकास के मामले में श्रम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और देश की आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति भी श्रम पर अधिक निर्भर करती है।

यद्यपि वर्ष 1965-66 में मजदूरों तथा प्रबन्ध के बीच सम्बन्ध पिछले वर्षों की अपेक्षा काफी रहे है तथापि उत्पादन में वृद्धि न होने के कारण हमें काफी निराशा हुई है। किन्तु कुल उत्पादन को दृष्टि में रखते हुए उसे सन्तोषजनक ही कहा जा सकता है। प्रबन्ध में मजदूरों के योगदान के कार्यक्रम के बारे में सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई है और जितनी संयुक्त परिषदें अब तक बनाई गई हैं वे पर्याप्त नहीं है। श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के बीच अच्छ सम्बन्ध बनाये रखने तथा अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये ऐसी परिषदों की स्थापना बहुत आवश्यक है। कम से कम सरकारी क्षेत्र में तो इन परिषदों को स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में पिछले चार वर्षों में जो प्रगति हुई है वह बिलकुल ही अपर्याप्त है।

जहां तक मजूरी का सम्बन्ध है, यद्यपि बहुत से मजूरी बोर्ड बनाये गये है और उन्होंने कई सिफारिश की है किन्तु उन्हें उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता है। मजूरी, मजदूरों के जीवन निर्वाह की लागत के अनुरूप अब भी नहीं दी जाती है और देशभर में मजदूर अप्रसन्न हैं। जिसके फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्रों में हर जगह हड़तालें आदि हो रही है। श्रम सम्बन्धी विवादों के अधिकतर मामलों में निर्णय मजदूरों के पक्ष में दिया गया है जिससे यह प्रमाण मिलता है कि ज्यादातर मामलों में मजदूर सही रास्ते पर थ और प्रबन्ध द्वारा उनके प्रति अन्याय किया जाता है। अतः सम्बन्धित मशीनरी को चाहिये कि वह शक्ती से पेश आये और अनुचित विवादों को पैदा करने के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे।

यद्यपि खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी अधिनियम है, किन्तु इस अधिनियम को उचित रूप से लागू नहीं किया जाता जिस के परिणामस्वरूप खेतों में काम करने वाले मजदूरों को उचित मजूरी नहीं मिल रही है। अगस्त, 1965 में इस विषय के बारे में चार समितियों द्वारा जो सिफारिशें की गई थी, मैं नहीं जानता उन संकल्पों अथवा सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और उन्हें स्वीकार किया गया था और क्रियान्वित किया गया था। सरकार को इस सम्बन्ध में सक्रिय पग उठाने चाहिये।

देश में रोजगार सम्बन्धी स्थिति अच्छी नहीं है। शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी से जो निरंतर बढ़ती जा रही है स्थिति काफी चिन्ताजनक बन गई है। इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। यद्यपि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं पर सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है, परन्तु उनमें से प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को रोजगार दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

[श्री मोहसिन]

विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान से आये हुये शरणार्थियों तथा उन शरणार्थियों के प्रति, जो अब आ रहे हैं, हमारा एक उत्तरदायित्व है और उन्हें उचित रूप में तथा पूरी तरह बसाने के लिये हमें भरसक प्रयत्न करने हैं, परन्तु मुस्लिम तथा गैर-मुस्लिम शरणार्थियों के बीच कोई भेद भाव नहीं किया जाना चाहिये। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और हम शरणार्थियों के बीच कोई भद-भाव नहीं रख सकते। इस बात का कोई कारण नहीं है कि जो मुसलमान यहां आना और बसना चाहें, उन्हें पुनर्वास की सुविधाएं एवं लाभ न मिलें।

जब शरणार्थी पश्चिम बंगाल तथा अन्य सीमान्त राज्यों में आये, तो उन स्थानों के कुछ मुसलमान बेघरबार हो गये। सभा को बताया जाना चाहिये कि उन लोगों के पुनर्वास के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

[ श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair* ]

**Shri Mohamad Tahir** (Kishanganj) : Mr. Speaker, Sir, it is, no doubt, the Governments' duty to see that the displaced persons from Pakistan are properly rehabilitated and given necessary benefits. But the Government have not taken any steps to give any relief to those persons who have been uprooted by the refugees coming from Pakistan. Thousands of persons who were living in Calcutta and surrounding areas and who are citizens of India have been uprooted in that manner and the refugees have taken possession of their houses and property. The Ministry of Rehabilitation and the State Government have not been able to take any action in the matter. The new Minister, Snri Jagjivan Ram should look into this and see that the houses and property were restored to the rightful owners.

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1965-66 के प्रतिवेदन को पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है कि प्रतिवेदन में पश्चिम बंगाल की समस्याओं के प्रश्न का बिलकुल कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों की समस्या अब भी एक सिरदर्द बनी हुई है। यह कहना कि पश्चिम बंगाल में अब उनकी कोई समस्या नहीं रही, एक उपहासजनक बात है। 60-70 प्रतिशत शरणार्थियों ने अपने पुनर्वास के लिये सरकार से एक पैसा तक नहीं लिया। केवल 30 से 35 प्रतिशत शरणार्थियों ने सरकार से सहायता मांगी है।

इस सम्बन्ध में, मैं सरकार के विचारार्थ दो-तीन बातें कहूंगी जिनमें से पहली बात मैं स्थायी दायित्व शिबिरों के सम्बन्ध में कहूंगी। ये शिबिर उन महिलाओं के लिये खोले गये है जिनके पति खो गये थे अथवा जिनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया था या जिनके पति मारे गये थे। इन स्थायी दायित्व शिबिरों के लिये किसी कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता नहीं है। इसलिये ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि उन्हें पश्चिम बंगाल में रखा जाये। नदिया, टीटागढ़, बैरकपुर तथा कई अन्य स्थानों पर स्थायी दायित्व शिबिर है। इन शिबिरों के कार्यों को अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। परन्तु इन्हें शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया है। टीटागढ़ शिबिर में अब भी ऐसी महिलाएं है जो फट-पुराने तम्बुओं में रहती है। वहां पर उनकी दशा अति दयनीय है। एक महिने के राशन के लिये उन्हें केवल नौ रुपये दो आने मिलते है। इन महिलाओं के लिये छोटे-छोटे मकान बनाने के लिये भी कुछ नहीं किया गया है, यद्यपि इस सम्बन्ध में मैंने शिक्षा मंत्रालय को भी जुलाई, 1962 में एक पत्र लिखा था। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे इन महिलाओं के रहने के लिये मकानों की कुछ न कुछ उपयुक्त व्यवस्था अवश्य करें। दूसरी बात यह है कि उन सभी महिलाओं को मकानों के लिये भूमि दी जानी चाहिये जिनके बच्चे बड़े हो गये है। किन्तु हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि भूमि अर्जन के लिये निर्धारित न्यूनतम धनराशि बहुत ही कम है। जिसके फलस्वरूप हमें भूमि नहीं मिल रही है।

इसके अतिरिक्त वहां पर एक ऐसा केन्द्र है जो बड़ी धूम धाम से खोला गया था परन्तु वास्तव में उसे कभी स्थापित नहीं किया गया। एक अभ्रक कारखाने का, जहां महिलाएं काम करने जाती हैं, शिलान्यास रखा गया था, किन्तु वास्तव में उसे कभी स्थापित नहीं किया गया।

जहां तक अनधिकार वासियों के बस्ति यों का सम्बन्ध है, ये वे क्षेत्र है, जहां शरणार्थी आये थे और जहां वे अनधिकृत रूप से बस गये थे और तत्पश्चात् उन्हें नियमित कर दिया गया है और शरणार्थियों को भूमि खरीदने के लिये ऋण दिये गये है। बहुत समय तक केन्द्रीय सरकार ने इस योजना के लिये मंजूरी नहीं दी थी। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच वही पुरानी कुछ अड़चन थी।

विभिन्न बस्तियों में गन्दे पानी के निकास के लिये नाले तथा वहां पर सड़कें बनाई जानी चाहिये। कालीताला बस्ती जो कि एक सैनिक कैम्प है शरणार्थियों को दे दी जानी चाहिये।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वह नगरपालिका के अध्यक्ष तथा सदस्यों के साथ बातचीत करके इस योजना को अन्तिम रूप दें।

पूर्व बंगाल से आये जिन विस्थापितों को पश्चिमी बंगाल में भूमि नहीं दी गई उनको दण्डकारण्य भेजा गया है। वे लोग अच्छे कृषक हैं। वहां पर पानी की बहुत कमी है क्योंकि वहां पर बासकल नामक एक ही बांध है। वहां पर अधिक पानी की व्यवस्था की जानी चाहिये।

**श्री ब० कु० दास** (कंटाई) : पुनर्वास मंत्रालय को विभाग में बदले जाने से मैं प्रसन्न नहीं हूं। यद्यपि मंत्री महोदय एक योग्य व्यक्ति हैं और उनको इस विषय के बारे में पूरी जानकारी है तथापि वह भी पुनर्वास की समस्या पर पूरा ध्यान नही दे सकेंगे।

अब भी केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के विभिन्न कैम्पों में लगभग 43,000 व्यक्ति रहते हैं। इनमें से लगभग 8 प्रतिशत लोग कृषक हैं। लगभग 11 हजार परिवारों को रोजगार दिया गया है या उनको पुनर्वास के स्थानों पर भेज दिया गया है।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Mr. Chairman. There is no quoram in the House.

**सभापति महोदय :** घंटी बजाई जा रही है। अब सभा में गणपूर्ति है।

**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर) : सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम प्रतिदिन लगभग प्रातः 9 बजे घर से चलते हैं और सायं 5 बजे के बाद आम तौर पर सदस्य चले जाते हैं जिसके फलस्वरूप सभा में गणपूर्ति नही होती। इसलिये सभा को पांच बजे के बाद नही बैठना चाहिये। मैं अध्यक्ष महोदय तथा कार्य परामर्शदात्री समिति दोनों से निवेदन करता हूं कि सभा को 5 बजे के पश्चात नही बैठने दिया जाना चाहिये। मैं पहले भी 5 बार यह मामला सभा में उठा चुका हूं। परन्तु संसदकार्य मंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें सायं 6 बजे तक बैठना चाहिये।

**श्री सत्य नारायण सिंह :** यह मामला कार्य परामर्शदात्री समिति तथा इसके पश्चात सभा के सम्मुख रखा गया था। सभा ने इस बात को स्वीकार किया था कि 6 बजे तक बैठना चाहिये परन्तु यदि सदस्य इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस बातको सभा ने मंजूर किया था इस लिये इसको सभा ही रद्द कर सकती है। मेरा सुझाव है कि कल इस मामले को सभा में पेश किया जाये और यदि सभा इस समय को बदलना चाहती हो तो बदल दे।

**सभापति महोदय :** आज स्थिति यह है कि जब गणपूर्ति की घंटी बजाई जाती है तो सदस्य सभा में आने की बजाय वहीं पर ही रहते हैं जहां पर कि वे होते हैं इस लिये श्री भागवत झा आज़ाद ने जो कुछ कहा है हमें अभी उस पर निर्णय नहीं लेना चाहिये ।

**श्री ब० कु० दास :** मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा नेफा में कृषि सम्बन्धी योजनाएं बनाई गई हैं । इन योजनाओं के अन्तर्गत 15,000 परिवारों को ही काम पर लगाया जा सकता है । इससे अधिक नहीं । जब विभिन्न राज्यों को भूमि के लिये कहा गया था तो हमें बताया गया था कि वे लगभग 67,000 परिवारों के कृषि करने के लिये भूमि देंगे । परन्तु वे पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं कर सके हैं । मध्य प्रदेश सरकार ने 10,000 परिवारों को भूमि देने के लिये कहा था परन्तु वह भी केवल चार हजार परिवारों को ही बसा सके हैं । दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत भी केवल 10,000 परिवारों को बसाया जा सका है जब कि अनुमान 45,000 परिवारों को बसाने का था आशा है इन लोगों के पुनर्वास के लिये कृषि योग्य भूमि ढूंढने पर सरकार पूर्ण ध्यान देगी ।

**Shri N. P. Jadav** (Sitamarhi) : Mr. Chairman, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the miserable condition of labourers working in the sugar Mills. These labourers have not been provided either with the housing or medical facilities. Especially condition of the labourers working in the sugar mill which one located in North Bihar is very poor. Labour Commissioner and Inspector specially recruited to look after the welfare of the labourers do not care much for them.

Today thousands of youngmen are getting training in I.T.I. But even after the completion of 1½ or 3 years course these youngmen dont get the job. There is unemployment in the educated class. I would request the hon. Minister to prepare a list of trained and other persons who are still getting training in I.T.I. and see that they get employment during the Fourth Plan.

There are so many Paddy Mills in the North Bihar. Working conditions of the labourers working in those mills are not satisfactory. Housing and medical facilities have not been provided to them. There is no amangement for the education of their children. I would request the hon. Minister to look into these matters and see that necessary facilities are provided to labourers in the country.

**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : सभापति महोदय संसार के किसी भाग में भी श्रमिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता इस लिये मेरा निवेदन है कि इस मंत्रालय का नाम बदल कर कर्मकार, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय रख दिया जाना चाहिये ।

प्रतिरक्षा तथा रेलवे के श्रमिक इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आते हैं । मेरा सुझाव है कि सभी मजदूरों की जिम्मेदारी इसी मंत्रालय पर होनी चाहिये ताकि समूचे देश के मजदूरों की थति का पता लग सके तथा नियम और विनियम लागू किये जा सके ।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिये भिन्न भिन्न नियम हैं । इस प्रकार के सभी भेदभाव दूर किये जाने चाहिये ।

मंत्रालय द्वारा मजूरी बोर्ड स्थापित किये जाने पर मैं बहुत प्रसन्न हूं । मेरा निवेदन है कि प्राथमिक स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के लिये भी मजूरी बोर्ड स्थापित किये जाने चाहिये । योजना आयोग के सदस्य द्वारा भी ऐसा सुझाव दिया गया था परन्तु सभी उनके लिये कोई बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है ।

पत्रकारों की दशा में सुधार किया जाना चाहिये। पता नहीं क्या कारण है कि पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने अभीतक अपना कार्य क्यों समाप्त नहीं किया है।

मैं अपने माननीय मित्र श्री जगजीवनराम को निवेदन करूंगा कि वह भारत को ऐसा देश बनायें जहां .....

**एक माननीय सदस्य :** महोदय 6 बज चुके हैं।

**श्री दी० चं० शर्मा :** महोदय मैं अपना भाषण कल समाप्त करूंगा।

**सभापति महोदय :** माननीय मंत्री कल उत्तर देंगे।

सभा कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

**इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार 19 अप्रैल 1966/29 चैत्र, 1888 के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April* 1966/ *Chaitra* 29, 1888 *(Saka).*

---



भा० स० मु० ना०-वि० 6-57 लोक सभा/66-9-9-67-565